पंचम माला, खंड 42, अंक 11, सोमवार, 5 अगस्त, 1974/14 श्रावण, 1896 (शक)
Fifth Series. Vol. XLII, No. 11. Monday. August 5, 1974/Sravana 14, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th LOK SABHA DEBATES

ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session

Preservation Unit
Fumigated
On 28-8-92
Parliament Library

खंड 42 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 11 to 20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/ हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—369LSS/74

विषय सूची/CONTENTS

अंक 11, सोमवार, 5 अगस्त, 1974/14 श्रावण, 1896 (शक)

No. 11, Monday, Aug. 5, 1974/Sravana 14, 1896 (Saka)

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
201.	दिल्ली में विशेष बस सेवा शुरू करने की छात्रों की मांग	Demand of Special Bus Service in Delhi by Students . . .	1—4
207.	हिमाचल प्रदेश के निवासियों को गेहूं ले जाने की अनुमति देने सम्बन्धी पंजाब सरकार का प्रस्ताव	Proposal by Punjab Government for allowing Natives of Himachal Pradesh to take wheat . .	4—5
208.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अधिष्ठापित क्षमता से कम वनस्पति का उत्पादन	Production of Vanaspati below installed capacity by Hindustan Lever Limited	5—8
210.	खोसला समिति द्वारा की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementation of Recommendations made by Khosla Committee	8—10
211.	भारी वर्षा के कारण बम्बई पत्तन पर आयातित गेहूं का खराब होना	Damage to Imported Wheat at Bombay Port due to heavy rains	10—12
212.	सोवियत संघ से बीस लाख टन गेहूं का आयात	Import of 2 million Tons of Soviet Wheat	12—13
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
202.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर विस्तार कार्य	Expansion work on National Highway No. 28	13—14
203.	मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पशु नस्ल सुधार और डेरी विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐजेंसी से ऋण	Credit from IDA for intensive Cattle and Dairy Development in Madhya Pradesh . . .	14—15
204.	केरल में गम्भीर खाद्य स्थिति	Serious Food Situation in Kerala	15
205.	बम्बई पत्तन ट्रस्ट में इकट्ठे हो गए आयातित माल के पैकेज	Imported Cargo Packages piled up in Bombay Port Trust . .	15—16

किसी निशान पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
206.	राजा राममोहन पुस्तकालय प्रतिष्ठान का कार्यकरण	Functioning of Raja Rammohan Library Foundation . . .	16
209.	भूमि सुधार उपायों की क्रियान्विती में प्रगति	Progress of Implementation of Land Reform	16—18
213.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में रैगिंग	Ragging in I.I.T.'s	18—19
214.	उड़ीसा में पाराद्वीप पत्तन को हुआ घाटा	Loss suffered by Paradeep Port in Orissa	19—20
215.	अधिक उपज वाली किस्मों के लिए अखिल भारतीय समन्वित चावल अनुसंधान योजना के निष्कर्षों का अमल में लाया जाना	Introduction of Findings of all India Coordinated Rice Research Scheme for High Yielding Varieties	20
216.	देश में 1972-73 और 1973-74 में खाद्य तेलों का उत्पादन अथवा आयात और निर्माताओं को दी गई प्रतिशतता	Edible Oils produced indigenously or Imported during 1972-73 and 1973-74 and percentage gone to Manufacturers	20—22
217.	दिल्ली में बेकरियों को मैदा सप्लाई न किए जाने के कारण उनके उत्पादों के मूल्य में हुई वृद्धि	Non supply of Maida to Bakeries in Delhi resulting in increase in price of their products . .	22—23
218.	पश्चिम बंगाल, मिदनापुर में भुखमरी	Starvation deaths in Midnapur, West Bengal	23
219.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली गड़बड़ को रोकने के लिए उपाय	Measures to stop bungling by FCI	23
220.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जीवन बीमा निगम को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to LIC by DDA	24
अता० प्र० सं० U.S.Q.No.			
1483.	मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के बाहर खुले में पड़ा हुआ गेहूं	Wheat lying in open outside FCI Godowns in M.P. . . .	24
1484.	नाइट्रोजन-युक्त अधिक उर्वरकों के लिए आन्ध्र प्रदेश की ओर से अनुरोध	Request from Andhra Pradesh for more nitrogenous fertilizers .	24
1485.	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर-अनुशासनीय प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of an inter-disciplinary authority under command area development programme . .	25

अता० प्र० स० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1486.	ग्रामीण रोज़गार के लिए द्रुत कार्यक्रम में उत्पन्न किए गए रोजगार के अवसर और नियत की गई धनराशि	Employment created and Allocations made for crash programme for Rural Employment . .	25—26
1487.	जल प्रदाय उपक्रम को नगर निगम के अधिकार से लेना	Take over of Water Supply undertaking from Municipal Corporation	26
1488.	अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी	Shortage of Essential Commodities	26—27
1489.	भारत में उपभोक्ता समितियां	Consumer Societies in India . .	27—28
1490.	वनस्पति संकट का समाधान	Solution of Vanaspati problem Tangle	28
1491.	नई गेहूं नीति सम्बन्धी समन्वय समिति की बैठक	Meeting of the Committee on New Wheat Policy . . .	28—29
1492.	वनस्पति का उत्पादन बंद होना	Stoppage of Vanaspati production	29
1493.	नाइट्रोजन का निर्धारण करने वाले बैक्टीरिया के विकास में अनुसंधान	Research in Development of Nitrogen Fixing Bacteria . .	29—30
1494.	थोक व्यापारियों द्वारा पचास प्रतिशत गेहूं सरकार को दिया जाना	Handling over of Fifty per cent of Wheat by Wholesalers . .	30
1495.	पशु पालन के लिए विदेशी सहायता	Foreign Aid for Animal Husbandry	30—31
1496.	जून, 1974 से डबलरोटी के मूल्य में वृद्धि	Increase in cost of Bread from June, 1974.	32
1497.	उड़ीसा में वनस्पति का मूल्य नियंत्रित मूल्य से अधिक होना	Vanaspati costing more than controlled price in Orissa . .	32
1498.	सोया दूध का उत्पादन	Production of Soya Milk .	33
1499.	पांचवीं योजना प्रारूप की शिक्षा योजनाओं का परित्याग	Dropping of Education Scheme Envisaged in Draft 5th Plan .	33—34
1500.	दिल्ली दुग्ध योजना के नए दुग्ध संयंत्र के कार्य में प्रगति	Progress of New Milk Plant of Delhi Milk Scheme	34
1501.	भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिए भूमि आयोग	Land Commission on Implementation of Land Reforms . .	34
1502.	महाराष्ट्र को सप्लाई की गई चीनी एवं चावल की मात्रा	Rice and Sugar Supplied to Maharashtra.	34—35
1503.	भारतीय जनसंघ द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग	Demand for fixation of support price of wheat at Rs. 125 by Bhartiya Jan Sangh	35
1504.	गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में रेत का बढ़ाव रोका जाना	Check of Advance of Sand on Coastal areas of Gujarat . . .	35
1505.	केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम की परिवहन आय में गिरावट	Decline in Traffic Earnings of the Central Road Transport Corporation	36

अता० प्र० सं० U,S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1506.	कपास, मूंगफली और जूट के लिए फसल-बीमा	Crop Insurance for Cotton, Groundnut and Jute	36—37
1507.	पहाड़ी क्षत्रों में छोटी सिंचाई परियोजनाए	Minor Irrigation projects in Hilly Areas	37
1508.	राज्यों तथा विश्वविद्यालयों में परीक्षा सम्वन्धी सुधारों को कार्यरूप देना	Implementation of Examination Reforms in States and Universities	37—38
1509.	राज्यों में मध्याह्न-भोजन कार्यक्रम आरम्भ करना	Introduction of Mid Day Meals Programme in States . .	38—39
1510.	राज्यों में 12 वर्षीय स्कूली पाठ्यक्रम का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of 12 year school Pattern in States	39—40
1511.	माडर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली के प्रबंधकों द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम का कथित उल्लंघन	Alleged Violation of Delhi School Education Act by Management of Modern School, Barakhambha Road, New Delhi	40
1512.	दिल्ली में निजी डबलरोटी निर्माताओं को राज सहायता देना बंद करना	Withdrawal of Subsidy from Private Bakers in Delhi. . . .	41
1513.	सरकारी मुर्गी फार्मों का पुनरुत्थान	Revitalisation of Government Poultry Form	41
1514.	दिल्ली में डबलरोटी का उत्पादन तथा उसके मूल्य की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव	Proposal for a Committee to go into Production and price of Bread in Delhi	41—42
1515.	भावनगर, गुजरात में विक्टोरिया पार्क का विकास	Development of Victoria Park, Bhavnagar, Gujarat . .	42
1516.	वघाई, गुजरात में बायोलाजिकल गार्डन	Biological Garden at Waghai, Gujarat	42
1517.	पशु-पालन को प्रोत्साहन	Encouragement to Breeding of Livestock	42—43
1518.	पांचवीं योजना के दौरान लद्दाख में वन रोपण के लिए धनराशि का आवंटन	Allocation for Afforestation in Ladakh during Fifth Plan . .	43
1519.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और वनारस हिन्दु विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Jawaharlal Nehru, Aligarh Muslim and Banaras Hindu Universities .	43—44
1520.	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टैक्नोलोजी द्वारा पेट्रोल के स्थान पर अन्य वस्तु का पता लगाया जाना	Finding of Substitute for petrol by Indian Institute of Technology .	44
1521.	गुजरात राज्य में रूई का उत्पादन	Cotton Production in Gujarat	45

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1522.	गुजरात राज्य में सड़क परिवहन व्यवस्था को पहुंची क्षति	Damage caused to Road Transport System in Gujarat State . .	45—46
1523.	बिहार को वनस्पति का आवंटन	Allotment of Vanaspati to Bihar	46—47
1524.	दिल्ली टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के बारे में जांच अधिकारी के प्रतिवेदन में विलम्ब	Delay in Report of the Enquiry Officer on Delhi Teacher's Co-operative House Building Society Ltd. Delhi	47
1525.	किसानों के पास गेहूं के स्टाक और उनके द्वारा उसकी बिक्री के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना	U.P. Government Notification on Wheat Stocks with the Farmers and Wheat Sales by them	47—48
1526.	रूई की फसल का अनुमान और इसके मूल्य में उतार-चढ़ाव	Estimate of cotton crop and fluctuation in its price . . .	48
1527.	वर्ष 1973-74 में हुआ चीनी का उत्पादन और निर्माताओं को दी गई रियायतें	Sugar Production and concession given to Manufacturers during 1973-74	49
1528.	पटसन की खेती में कमी	Fall in Jute Cultivation . .	49
1529.	केन्द्र शासित प्रदेशों में स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था के बच्चों के लिए पोषाहार योजनाएं आरम्भ करना	Introduction of Nutrition Schemes for Pre-School Students in Centrally Administered Areas .	50
1530.	दिल्ली में स्कूल जाने की पूर्व अवस्था के बच्चों के लिए विशेष पोषाहार योजना	Special Nutrition Scheme for Pre-School Children in Delhi . .	50—51
1531	फसल बीमा के बारे में सामान्य बीमा निगम की योजना	Scheme of General Insurance Corporation of Crop Insurance	51
1532.	मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर पुलियों का निर्माण	Construction of Culverts on National Highway No. 6 Passing through Madhya Pradesh . .	51—52
1533.	दिल्ली में वनस्पति एककों को नियंत्रण में लेना	Take over of Vanaspati Units in Delhi	52
1534.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न-आय समह और जनता समूह से ली गई पट्टे की दर	Lease Money charged by DDA from Low Income Group and Janta Group	52—53
1535.	गृह-कर तथा जल प्रभार के मामलों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का निर्णय	DDA decision on cases of House Tax and Water Charges . .	54
1536.	दिल्ली विकास प्राधिकरण कालोनियों में लगाए गए नलकूप	Tube wells sunk in DDA Colonies .	54

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1537.	कृषि अनुसंधान सम्बन्धी दावों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने तथा अधिक उपज देने वाली मेक्सिकन गेहूं का अनायोजित प्रचार खाद्य संकट के लिए जिम्मेदार	Exaggerated claims on Agricultural Research and Unplanned propagation of High Yielding Mexican Wheat responsible for Food Crisis	54—55
1538.	राजस्थान में भूमिगत जल का उपयोग	Exploitation of Sub soil Water in Rajasthan	55
1539.	दिल्ली में सुगम बस सेवा का विस्तार	Extension of Sugam Seva Bus Service in Delhi . . .	55—56
1540.	कृषि उत्पादन की दर	Rate of Agricultural Production	56
1541.	केरल में राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण	Construction of National Highways in Kerala	56—57
1542.	पांचवीं योजना के दौरान बंजर भूमि के विकास के लिए धन का आवंटन करने हेतु केरल की ओर से अनुरोध	Request from Kerala for allotment of Funds for Developing of waste Land during the Fifth Plan	57—58
1543.	केरल में चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवहन सुविधाओं सम्बन्धी लक्ष्य की प्राप्ति	Target of Transport facilities achieved during Fourth Plan in Kerala	58
1544.	केरल में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में परिवहन सुविधाओं का लक्ष्य	Target of Transport facilities during First Year of Fifth Plan in Kerala	58—59
1545.	उत्तर प्रदेश में चीनी के मूल्य में वृद्धि करने के लिए चीनी कारखानों की मांग	Demand of Sugar Mills in U.P. for increase in Sugar Prices	60
1546.	सुपर बाजार दिल्ली में अनियमितताएं	Irregularities in Super Bazar Delhi	
1547.	लोगों के भूखे रहने की जिम्मेवारी चूहों पर	Rodents responsible for Starvation of People	60—61
1548.	'राजेन्द्र' जलयान पर प्रशिक्षण अवधि में कमी	Reduction in Training period of Ship 'Rajendra'. . . .	61
1549.	इलाहाबाद के किले और लाल किले को भारतीय पुरातत्व-सर्वेक्षण विभाग को हस्तान्तरित किया जाना	Transferring of Allahabad Fort and Red Fort to Archaeological Survey of India	61
1550.	जैविक कीट-नियंत्रण	Biological Pest Control .	62—63
1551.	पटना में खुदाबक्स ओरियेन्टल पब्लिक लाइब्रेरी भवन के निर्माण के लिए योजना	Scheme for construction of Khudabaksh Oriental Public Library Building in Patna . .	63
1552.	मैसर्स पटेल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड को हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं के लिए जारी किया गया परमिट	Export permit for wheat issued to M/s Patel Seeds Private Limited by Haryana Government .	63—64

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1553.	चीनी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report on Sugar Enquiry Commission	64
1554.	भवन सामग्री के मूल्यों में वृद्धि का जन साधारण पर प्रभाव	Impact of rise in prices of building material on common man .	64—65
1555.	वनस्पति बनाने के लिए 'फूड लिकर' नामक राजस्थानी तेल का प्रयोग	Use of Rajasthan oil called Food Liqueur for manufacture of Vanaspati	65
1556.	हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में उचित मूल्य की दुकान को सप्लाई किए जा रहे गेहूं और चावल की किस्म	Quality of wheat and rice being supplied to fair price shop in Hyderabad House, Delhi . .	65—66
1557.	पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली के सुपर बाजार में शैल्फों की बुरी दशा	Bad condition of shelves in Super Bazar of East Patel Nagar, New Delhi	66
1558.	एक मामले में दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतें	Complaints in a case against DTC officials	66—67
1559.	राशन कार्ड पर उर्वरकों का वितरण	Distribution of fertiliser on ration card	67
1560.	सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड से सदस्यता समाप्त किया जाना	Expulsion from Membership of CPWD industrial workers Co-operative Thrift and Credit Society	67—68
1561.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किल में वर्क चार्जड् कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि नियम	Provident Fund Rules for the work charged Staff of Arunachal Pradesh circles of C.P.W.D. .	68
1562.	राजधानी में गृह निर्माण कार्य रुक जाना	Construction of Houses at Standstill in the Capital . . .	69
1563.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का संशोधन	Amendment of UGC Act	69
1564.	राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना	Establishment of National Museum of Man	69—70
1565.	राज्यों में ट्रैक्टरों की आवश्यकता	Requirement of Tractors in States	70
1566.	भेड़ों के फेफड़ों में कीड़ों का संक्रमण को रोकने के लिए टीके लगाना	Vaccine for lung worm infection of Sheep	70
1567.	भारतीय नौवहन निगम का विस्तार कार्यक्रम	Expansion programme of the Shipping Corporation of India .	71
1568.	हल्दिया गोदी पर कार्य आरम्भ होना	Commissioning of Haldia Dock	71

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1569.	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अध्ययन की नई शाखाओं के विकास हेतु रूस सरकार से सहायता	Soviet Assistance for developing new branches of Scientific and Technological Studies . .	72-73
1570.	कलकत्ता बंदरगाह पर गेहूं न उतरा जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा किया गया विलम्ब शुल्क	Demurrage paid by FCI due to unloading of wheat at Calcutta port.	73
1571.	ग्रामीण क्षत्रों के लिए नियत वनस्पति के कोटे की दिल्ली में चोर बाजार में बिक्री	Sale of Vanaspati meant for Rural Areas in Black Market, in Delhi	73-74
1572.	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं की तस्करी का केन्द्र	Rural Areas of Delhi as Centres of smuggling wheat . . .	74
1573.	सरकार का विश्वविद्यालय अनुदाम आयोग को "नान-फंक्शनल" भवनों पर धनराशि व्यय न करने के बारे में निदेश	Government Directive to UGC for not spending Money on Non Functional Building . . .	74
1574.	गेहूं से लदे जहाज से माल न उतारने के लिए विलम्ब शुल्क	Demurrage for unloading of Wheat Vessels	75
1575.	हिमाचल पर्वत पर पद यात्रा (ट्रेकिंग) को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय	Steps to encourage trekking in the Himalayas	75-76
1576.	मद्रास पत्तन पर नौवहन कम्पनियों में असंतोष	Discontentment among the Shippers at Madras Port . . .	76-77
1577.	छिपे खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश	Directive to State Governments to Unearth Foodgrains and other Essential Commodities . .	77
1578.	केरल को शिशु आहार के कोटे में भूमि	Increase in Quota of Baby Food to Kerala	77
1579.	खाद्य के रूप में कूड़े करकट का उपयोग	Utilisation of Waste material for Manurial Purpose . . .	78
1580.	कृषि उत्पादन के लिए उर्वरकों की आवश्यकता और उनकी चोर बाजारी को रोका जाना	Requirements of Fertilisers for Agricultural Production and Step to Check Blank Marketing	79
1581.	पश्चिम बंगाल में राहत कार्य	Relief measures in West Bengal	79-80
1582.	कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के नए वेतनमानों की क्रियान्विति को अस्थगित करने सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय	UFC decision to defer implementation of new pay scales for College and University Teachers . .	80

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1583.	कलकत्ता के शहरी जीवन की स्थिति के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट	ILO Report regarding conditions of city life of Calcutta . .	80-81
1584.	मांग की पूर्ति के लिए उर्वरकों का आयात	Import of Fertilisers to meet demand	81
1585.	वाइस प्रिंसिपलों और प्रिंसिपलों की नियुक्ति और उनको पदोन्नत करने के लिए दिल्ली प्रशासन के भर्ती नियत	Delhi Administration Recruitment Rules for Appointment and promotion of Vice Principals and Principals	81
1586.	दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों को आरक्षण के आधार पर दिया गया 'सलेक्शन ग्रेड'	Teachers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Given Selection Grade on reservation basis by Delhi Administration	82
1587.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों के आवंटन में प्राथमिकता	Preference for Allotment of DDA flats	82
1588.	निम्न आय वर्ग के लिए आवास योजनाओं के वित्त पोषण की नीति	Policy to Finance Housing Schemes for Low Income Groups . .	83
1589.	पांचवीं योजना के दौरान राजस्थान के रेगिस्तान के विकास के लिए धन राशि	Funds for development of Rajasthan Desert during Fifth Plan . .	83
1590.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण के पुनरीक्षण के लिए समिति	Committee to review functioning of UGC	83-84
1591.	पाठ्य-पुस्तकों के लिए कागज देने हेतु राज्यों का अनरोध	Request from States for release of paper for text books . .	84
1592.	राजस्थान में सीमांत सड़कों का विकास	Development of border roads in Rajasthan	84-85
1593.	स्कूलों और कालेजों में भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना	Inclusion of History of Indian Freedom Movement as Compulsory subject Schools and Colleges	85
1594.	कोचीन पत्तन में सुपर टैंकर बर्थ का निर्माण	Construction of the super tanker berth at Cochin Port . .	85-86
1595.	केरल में खेल-कूद स्कूलों की स्थापना	Setting up of sports schools in Kerala .	86
1596.	पोलैंड, इटली और मैक्सिको से जहाजों का खरीदा जाना	Purchase of vessels from Poland, Italy and Mexico . . .	86

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1597.	ग्रामीण मेधावी बच्चों को वित्तीय सहायता देने की योजना	Scheme for providing financial help to talented rural children . .	87-88
1598.	आदिवासी शिक्षा का सर्वेक्षण	Survey of Tribal Education .	89
1590.	महाराष्ट्र में मछली पकड़ने के प्रमुख बन्दरगाहों के स्थान	Location of Major Fishing Harbours in Maharashtra . . .	89
1600.	रत्नगिरि बन्दरगाह में पनकट दीवार	Break Water wall in Ratnagiri Harbour	89-90
1601.	'मुगल लाइंस' द्वारा कोंकण तट पर यात्री भाड़े में वृद्धि	Increase in Passenger fare on Konkan Coast by Moghul Lines .	90
1602.	ट्रैक्टरों बैलों द्वारा जोते जाने वाली कृषि योग्य भूमि	Area of Cultivable Land Ploughed by Tractor/Bullocks . . .	90
1603.	आवास और गन्दी वस्ती सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बारे में केन्द्र की जिम्मेदारी	Central responsibility for Housing and slum programmes . .	91
1604.	वायु सदूषण पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्ताव	Proposal received from Maharashtra for controlling Air Pollution .	91
1605.	राज्यों में लम्बे फासले के नए बस मार्ग खोलने पर प्रतिबन्ध	Restriction on opening of new long-distance bus routes in States .	91-92
1606.	दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में नालियों और सड़कों का निर्माण	Construction Work of drains and roads in a DDA Colony. .	92
1607.	दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन-1 कालोनी में मकान बनाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण की उप समिति का प्रतिवेदन	DDA Sub Committee report regarding release of building activity in Dilshad Garden Extension I, Colony	92-93
1608.	उत्तर पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय द्वारा हेलीकोप्टर की खरीद	Purchase of Helicopter by North Eastern Hill University . .	93
1609.	राज्यों में मद्यनिषेध	Prohibition in States	93-94
610.	गहरे नलकूपों के लिए केन्द्रीय सहायता और उसका उपयोग	Central aid for deep tube wells and its utilisation	95
611.	गेहूं, चावल और चीनी के कुल उत्पादन में से खुले बाजार में बिकने वाले सामान की प्रतिशतता	Percentage of total production of wheat rice and sugar sold in open market	95
612.	शराब के नशीले तथा हानिकारक प्रभाव के बारे में जांच-पड़ताल	Investigation into intoxicating and harmful effect of liquor . .	96

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1613.	सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के कब्जे वाले सरकारी क्वार्टरों का किराया	Rent of Government quarters in Occupation of retired Government Servants	96-97
1614.	सरकारी फ्लैटों के बारे में संवाददाताओं को सुविधाएं	Facilities to Press Correspondents re : Government Flats . .	97
1615.	गैर-सरकारी व्यक्तियों को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government Accommodation to non-officials .	97-98
1616.	सलाहकार अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक	Meeting of Department promotion committee of Advisory Officers	98
1617.	'मुगल लाइंस' द्वारा चलाई जा रही कोंकण तटवर्ती यात्री स्टीमर सेवा	Konkan Coast Passenger Steamer Service run by Moghul Lines .	98-99
1618.	कोंकण यात्री स्टीमर सेवा के किरायों में वृद्धि	Increase in the Konkan Passenger Steamer Service Fares .	99
1619.	बीज खरीदने के लिए राज्यों को केन्द्रीय ऋण	Central Loan to States for purchases of Seeds	99-100
1620.	कांगड़बाग (पटना) में केन्द्रीय स्कूल का खोला जाना	Opening of Central School at Kangerbagh (Patna) . . .	100
1621.	'ए' 'बी' तथा 'सी' श्रेणी के नगरों में निर्मित भवनों के मामले में आदिवासियों को रियायत	Concession to Adivasi in respect of Houses constructed in 'A' 'B' & 'C' Classes of cities . . .	100
1622.	दिल्ली में राशन कार्ड धारियों को सप्लाई किए जाने वाले चीनी के कोटे में कमी	Reduction in Sugar Quota being supplied to Ration Card Holders in Delhi	101
1624.	बच्चों के बारे में राष्ट्रीय नीति संकल्प का स्वीकार किया जाना	Adoption of National Policy Resolution for Children . . .	101
1625.	मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए वर्कशाप स्थापित किया जाना	Setting up of Workshop for Mentally Retarded	101
1626.	धौलपुर के निकट चम्बल पर पुल	Chambal bridge near Dholpur	101-102
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table . .	103-104
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	104
	एयर इंडिया के कुछ विमान चालकों को निलंबित करने का समाचार	Reported suspension of some Air India Pilots	104
	श्री निहार लास्कर	Shri Nihar Laskar .	104
	डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi	104-107

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
गया में देखते ही गोली मारने के कथित आदेश के बारे में वक्तव्य	Statement re. Alleged Shoot at sight orders at Gaya	109
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit .	109-110
समितियों के लिए चुनाव	Elections to Committees .	110
(i) राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति;	Central Advisory Committee for NCC	110-111
(ii) भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद् बंगलौर; और	Council of Indian Institute of Science Bangalore; and . .	111
(iii) काफी बोर्ड	Coffee Board . . .	111
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377 .	111
(i) नेताजी जांच आयोग के प्रतिवेदन को पुनः सभा पटल पर रखना	Re. laying of Report of Netaji Inquiry Commission . .	111-112
(ii) सीमा सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा नागालैण्ड विधान सभा के एक सदस्य का अपहरण और गारो हिल्स में उनके द्वारा एक गाँव को लूटने का मामला	Reported Kidnapping of a Member of Nagaland Legislative Assembly by BSF personnel and ransacking by them of village in Garo Hills .	112-113
उत्तर प्रदेश में बिस्कुट बनाने वालों को मैदा सप्लाई न करने तथा दिल्ली में डबलरोटी की कमी के बारे में	Re. Non Supply of maida to biscuit manufacturers in U.P. and Scarcity of bread in Delhi . .	113
कम्पनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill	113
विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by Joint Committee	113
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve	114
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	115
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai .	116
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	117
श्री टी० एस० लक्ष्मणन	Shri T.S. Lakshmanan .	118
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	119
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	121
श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R. Gokhale	121

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	खण्ड 2 से 43 और 1	Clauses 2 to 43 and 1 .	128-145
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . . .	146
	श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	146
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	146
	श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R. Gokhale .	147

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 5 अगस्त, 1974/14 श्रावण, 1896 (शक)
Monday, August 5, 1974/Sravana 14, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजकर दो मिन्ट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at Two minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री गोपाल नारायण की दुखद मृत्यु की सूचना देनी है। उनका स्वर्गवास 28 जुलाई, 1974 को हुआ। उनकी आयु 77 वर्ष थी।

श्री गोपाल नारायण वर्ष 1946 से 1950 तक संविधान सभा के सदस्य थे। मृत्यु के समय वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य थे।

हमें अपने मित्र की मृत्यु पर गहरा दुःख है। मुझे विश्वास है कि मुझे संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भजने में सदन भी मेरे साथ है।

सदस्यगण शोक प्रगट करने के लिए कुछ समय के लिए मौन खड़े होंगे।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे।
The House then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Demand of Special Bus Service in Delhi by Students

*201. SHRI B. S. CHOWHAN : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether students of Delhi have demanded that special bus services should be started to and from the university and colleges to carry them when these institutions open; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष कई नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे विद्यार्थियों को काफी लाभ हुआ है।

SHRI B. S. CHOWHAN: It is said that there is no proper arrangements of buses for going to College, school and University. The present bus service is no good. We have complaind several times in this respect but they have not provided any facilities in this matter I want to kno w whether some separate arrangements will be made for the students to enable them reach their classes in time.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह कहना उचित नहीं है कि विश्वविद्यालय और कालेजों के विद्यार्थियों के लिए विशेष बसों की व्यवस्था नहीं है। वास्तव में विद्यार्थियों के लिए, गत वर्ष की भांति 85 विश्वविद्यालय स्पेशल और रूटों पर चलने वाली स्पेशल बसें उपलब्ध हैं। 85 विश्वविद्यालय स्पेशलों के अतिरिक्त, 2 ग्रीनलाइन सेवाएं ;—नं० 210 और 430 भी केवल विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय कैम्पस और कालेज जाने के लिए उपलब्ध हैं। इन दो ग्रीन लाइन सेवाओं के अतिरिक्त 611, 511, 512, 711 और 811 नम्बर कुछ फीडर सेवाएं और 60 नम्बर शटल सेवा विभिन्न स्थानों से विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय कैम्पस और कालेज ले जाने के लिए आरम्भ की गई हैं। इसके अतिरिक्त हम विद्यार्थियों के लिए कुछ अतिरिक्त फीडर बस सेवाएं और सुगम सेवा संख्या 41 और 51 आरम्भ कर रहे हैं। इन उपायों और विद्यमान सुविधाओं के परिणामस्वरूप और उनके गत वर्ष से लगातार जारी रहने से और विद्यार्थियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जाने से विद्यार्थियों की ओर अधिक ध्यान देना तथा उन्हे कैम्पस ले जाना तथा वहां से वापिस लाना सम्भव हो जायेगा।

Shri B. S. Chowhan : I want to know whether their demands in this respect have been fulfilled. The "Mudrika service" recently introduced by the Government leaves then at a place from where it take 20 minutes to reach the University. It is true that you have started serveral bus services, but I want to know how for these services have proved. adequate for them ? The students are very much dissatisfied with the present bus services. You have simply named some of the bus services but you have not been able to create confidence and satisfaction amongst the students in this matter. I want to know whether Government have considered their demands sympathetically and will they try to implement them ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) : Sir, with your permission the Hon. Member has been given sufficient information regarding the bus service. We feel that there is less dissatisfaction amongst the students as compared to before......

Shri Atal Bihari Vajpayee : Are they satisfied or dissatisfied ?

Shri Kamlapati Tripathi : There is a lot of satisfaction in regard to bus service. We immediately take action on any compliants we receive so that their difficulties may be removed immediately. If some hon. member wants to give some suggestions regarding the defects in a particular bus service or wants to give some suggestions regarding improvement in a particular bus service, he may sent them to us and we will certainly consider those suggestions.

Shri D. N. Tiwari : I want to know whether Government has estimated the number of college, School and University students requiring these buses? I want to know whether arrangements have been made taking this aspect into consideration so that there may not be any hijacking or destruction of the buses ?

Shri Kamlapati Tripathi : Arrangements have been made keeping all these things in mind. Rationalisation of routes has been done on that basis.

Shri D. N. Tiwary : What is your estimate in this regard?

Shri Kamlapati Tripathi : I cannot tell the number at hand. It requires notice. But I think we are fulfilling the requirement of 85—90 percent of school and college students.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know whether there is no direct bus available to students, going to University from Shahdara and whether they have to change buses? I also want to know whether it is also true, as any friend Shri Chowhan has said, that the "Mudrika Service" leaves the students on Mall Road where from the Students have to walk upto the University. I want to know whether he is aware of all these facts and is going to make necessary arrangements in this respect ?

Shri Kamlapati Tripathi : It is not true. The bus takes them to some central place and from there another bus is available. They have not to spend more for that purpose. They can go at the same concessional rate. It has been convenient to them. But if there is some such place where the difficulty is felt, we can make immediate arrangements to remove the difficulty.

Shri Atal Bihari Vajpayee : There is no direct bus from Shahdara.

Shri Kamlapati Tripathi : I have noted it, but it will be greatly appreciated if he gives me in writing.

Shrimati Savitri Shyam : No doubt, there has been considerable improvement in the bus service. Sometimes, when I come by bus I hear people saying that since the Minister from U. P. has come, there has been considerable improvement in the bus service. But I am sorry to state that the behaviour of the bus conductors with the common men and the passengers is not upto the mark. There should be improvement in this respect I also want to know whether there is or there is not any bus service for the students going between Malaviya nagar and Malaviya nagar Extension ? If not, I want to know the steps being taken to provide this facility ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : पहला प्रश्न कन्डैक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में था। यह सच है कि कभी-कभी हमें कन्डक्टरों, ड्राइवरों आदि के दुर्व्यवहार के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं और उनकी जांच की जाती है। उनके प्रशिक्षण और उन्हें प्रेरणा आदि देने की दिशा में सुधार किये जा रहे हैं जिससे इस प्रकार के अपराधों में कमी हो सके। मालवीय नगर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बस सेवा आरम्भ करने से पूर्व हम उनका विश्वास प्राप्त करते हैं और उनके साथ विचार-विमर्श करते हैं और दिल्ली परिवहन निगम की सलाहकार परिषद् में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में भी प्रबन्ध किये जा रहे हैं। यह सच नहीं है कि दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारी विद्यार्थियों से सलाह किये बिना कुछ सेवाएं आरम्भ कर देते हैं। जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने उल्लेख किया है कि यदि वे सेवाओं में सुधार करने के बारे में कुछ ठोस सुझाव देंगे तो उन पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती सावित्री श्याम : मैंने माननीय मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी को दो पत्र लिखे हैं।

Shri Ramavtar Shastri : Claims have been made that there has been improvement in the bus services. But I am telling with my own experience that I could not get a bus one day inspite of waiting for more than half an hour. **(interruptions)**. It is not the case with students only the queue was so big that I could not catch the bus.

I want to know whether the Government has made an estimate of the requirement of buses, keeping in view the number of students ? I also want to know whether Government have made some efforts to discuss this matter with the different students unions of Colleges . I want to know whether efforts are being made to solve this problem. in consultation with them ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक बस सेवाओं का सम्बन्ध है, यह प्रश्न विद्यार्थियों के लिए विशेष बस सेवाओं का प्रबन्ध किये जाने से सम्बन्धित है, अतः मैं केवल उक्त प्रश्न का ही उत्तर दे सकता हूं। यह सच है कि उक्त सेवाएं कालेजों और विश्वविद्यालय के खुलने

के बाद और विद्यार्थियों से सलाह करने के बाद आरम्भ की गईं थीं। प्रत्येक विद्यार्थी संघ से सलाह करना सम्भव नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपयी : क्या आपने दिल्ली विद्यार्थी संघ से सलाह की थी ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : हमने विश्वविद्यालय और कालेज अधिकारियों से सलाह की थी। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि दिल्ली परिवहन निगम सलाहकार परिषद् में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है···

अध्यक्ष महोदय : आप घुमा कर उत्तर क्यों दे रहे हैं? वह आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने किसी विद्यार्थी संघ से सलाह की थी अथवा नहीं? आप 'हां' अथवा 'नहीं' में जबाव दे सकते हैं क्योंकि उनका प्रश्न स्पष्ट है।

Shri Bhagwat Jha Azad : While praising the "Green Line" service and "Mudrika" service I want to know whether it is not a fact that although the students have been provided facilities, they have not been provided more facilities because 30 percent of the D.T.S. buses are in workshops for repair ? I want to know what steps have been taken to improve in this incidence of break-down of 30 percent so that more buses may be available for students and points like Krishi Bhavan ?

Shri Kamlapati Tripathi : It is true that 400 buses are old and they are not road worthy. We have made arrangement to purchase new buses. We have already purchased 400 buses this year and are considering to purchase about 590 buses next year. Thus we are getting some new buses and some old buses are also running. We are constructing depots so that the repair of the buses may be done early and they may have not to wait long for repairs. We are considering to construct five depots this year and five depots next year. There has been some delay in the construction of these depots due to shortage of cement and steel etc. but three depots are definitely to be built this year and next year. Thus we are trying to remove the shortage of buses and we are making better arrangements for the repair of new and old buses so that more buses may be made available.

हिमाचल प्रदेश के निवासियों को गेहूं ले जाने की अनुमति देने सम्बन्धी पंजाब सरकार का प्रस्ताव

***207. श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रस्ताव किया है कि पंजाब में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक क्विन्टल गेहूं ले जाने की विशेष अनुमति दी जाये, और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगन्नाथराव जोशी : 'देशवासी' का प्रयोग ब्रिटिश काल में अनादरपूर्ण रूप में किया जाता था।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसका शब्दकोष के अनुसार क्या अर्थ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ "स्थानीय निवासी" है लेकिन इसका प्रयोग बुरे संदर्भ में किया जाता है।

श्री नारायण चन्द पराशर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को पूर्ण विश्वास है कि पंजाब सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि पंजाब सरकार इस बात की घोषणा कर रही है कि उसने उक्त मामले को केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक पंजाब सरकार का केन्द्रीय सरकार को ऐसा सुझाव देने का प्रश्न है, मैं पहले ही इसका जबाब "नहीं" में दे चुका हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ऐसी व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अधिष्ठापित क्षमता से कम वनस्पति का उत्पादन

*208. **श्री राम चन्द्र विकल**
श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम मात्रा में वनस्पति के उत्पादन करने का मामला, डालडा के निर्माताओं--हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ उठाया गया है,

(ख) क्या वनस्पति के दुर्लभ कच्चे माल को "गोल्डन सील मार्जरीन" (कृत्रिम मक्खन) बनाने के लिए उपयोग में लाने के मामले की जांच की गई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मैं० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने बताया है कि वनस्पति उद्योग की अन्य फैक्ट्रियों की भांति, उसके चार कारखानों में 1973 से वनस्पति के उत्पादन में जो गिरावट आई है यह वर्तमान प्रयोग के लिए आयातित तेलों की उपलब्धता में कमी और देशी तेलों की अलाभकर ऊंची कीमत होने के कारण हुई है।

वनस्पति बनाने में प्रयुक्त कच्चे माल में सरकार द्वारा आवंटित आयातित तेल और फैक्ट्रियों द्वारा बाजार से खरीदे गये देशी तेल शामिल हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जो आयातित तेल कम्पनी को आवंटित किया गया है उसको वह गोल्डन सील मार्जरीन बनाने के लिए प्रयोग कर रही है। जहां तक मार्जरीन के उत्पादन में देशी तेलों के प्रयोग का संबंध है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

Shri Ramchandra Vikal : Sir, may I know whether it has been brought to the notice of the hon' ble Minister that Hindustan Lever Ltd. have been misusing oil for manufacturing soap instead of Vanaspati ? May I know the quantity of oil used for manufacturing soap and that used for manufacturing Vanaspati ?

Shri B. P. Maurya : Hindustan Lever Ltd. make so many things. They produced Vanaspati as well as soap in large quantity. They used to import tallow for manufacturing soap

but now owing to shortage of the same, they make up the deficiency by using oil. They used 779 tonnes in January, 115·1 tonnes in February, 990 tonnes in March, 703·3 tonnes in April, 961·6 tonnes in May and 870·5 tonnes in June, totalling 4419·9 tonnes oil for manufacturing soap. These figures relate to their calcutta factory.

They used 780·3 tonnes in January, 1599·3 tonnes in February, 2395·7 tonnes in March 1919·7 tonnes in April, 2085·8 tonnes in May and 1971 tonnes in June, totalling 10751·9 tonnes of oil in their Bombay factory. This company has four factories but soap is manufactured in there two factories about which figures have been given by me. The soap is not manufactured in these two factories but hard oil is used by them.

Shri Ram Chandra Vikal : Will the hon'ble Minister be pleased to state the capacity of manufacturing Vanaspati and margarine for which licences were issued and how for they have been utilised for the purpose for which they were given ? If the quantity manufactured is not to the required extent, then what steps are being taken by the Government ?

Shri B. P. Maurya : The licensed capacity was 17·61 lakh tonnes in 1971 which was reduced to 17.31 lakh tonnes in 1972 and it remained the same in 1973. The installed capacity was 11·48 lakh tonnes in 1971 and 11·82 lakh tonnes in 1972 and 12·04 lakh tonnes in 1973, whereas the requirement of the country was 5·90 lakh tonnes in 1971, 96·02 lakh tonnes in 1972 and 6·50 lakh tonnes in 1973. Now the quantity of Vanaspati manufactured was 5·9 lakh tonnes in 1971, 6 lakh tonnes in 1972 and 4·66 lakh tonnes in 1973.

Shri Ram Chandra Vikal : He has given the figures but may I know the steps being taken to remove the shortage ?

Shri B. P. Maurya : Mostely groundnut oil was used in the past but in order to increase the production of Vanaspati, the use of Cotton seed oil is being encouraged and the exemption is given in the excise duty from Rs. 200 to Rs. 250 per tonne. Besides, the use of oil of rice bran is also being encouraged. For this purpose, the exemption of Rs. 100 per tonne in excise duty is given. Efforts are also being made to increase the items from which oil can be extracted. Efforts are also afoot to see that edible oils diverted to the manufacture of soap are not diverted and the same are used for manufacturing Vanaspati or for some other cooking medium. We are also trying to extract oil from grains found in teak trees.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि आयातित 'हार्ड आयल' का प्रयोग कृत्रिम मक्खन बनाने के लिए न किया जाय। जिसका परीक्षण सरकार ने अब तक नहीं किया है? जहां तक मुझे कलकत्ता स्थिति "कुसम प्रोडक्ट्स" नामक कारखाने की जानकारी है, उसने वनस्पति का उत्पादन बन्द कर दिया है और इन सभी देशी तथा आयातित खाद्य तेलों का उपयोग कृत्रिम मक्खन बनाने के लिए किया जा रहा है।

श्री बी० पी० मौर्य : यह बात ठीक है कि इस कारखाने में कृत्रिम मक्खन के उत्पादन में वृद्धि हुई है, परन्तु हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि आयातित तेल का उसको बनाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनको कौन जानकारी देगा? प्रश्न तो यह है।

श्री बी० पी० मौर्य : हम इसकी जांच करेंगे, परन्तु यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्यों नहीं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह कहते हैं कि यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती। इस उत्तर का निष्कर्ष क्या है?

श्री बी० पी० मौर्य : क्योंकि प्रथम जून के बाद आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जहां तक कृत्रिम मक्खन का सम्बन्ध है, उसका कुल उत्पादन बहुत अधिक नहीं है क्योंकि वह 1200 टन से लेकर लगभग 3000 टन तक है और इस लिए यदि आयातित या देशी तेल का उपयोग कृत्रिम मक्खन बनाने के लिए किया गया हो तो उसकी मात्रा अधिक नहीं होगी। परन्तु कठिनाई यह है कि वनस्पति का उत्पादन काफी कम हो गया है और इसकी बहुत कमी हो गई है। इसका मुख्य कारण कच्चे तेल का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाना है और वनस्पति का मूल्य कम रहना है और ऐसी स्थिति में वनस्पति बनाने तथा बेचने वाले को हानि होना स्वाभाविक है। इसीलिए वनस्पति का उत्पादन उत्साहजनक नहीं है। इस स्थिति में सुधार करने का एक ही तरीक है, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया है कि बनौले के तेल और चावल की भूसी के तेल का उत्पादन बढ़ाया जाये, जिसका प्रयोग वनस्पति बनाने के लिए किया जा रहा है, परन्तु जिसको अभी खाने के काम में नहीं लाया जाता। हम इस दिशा में कार्यावाही कर रहे हैं परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी उसकी कमी है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The Government has fixed the prices of Vanaspati but the same is not available at those prices. However one can have as much quantity as he likes if he is prepared to pay higher price. May I know the reasons therefor ? I want to know whether he will encourage research in soyabeen and sunflower in order to remove the shortage of edible oils ?

Shri B. P. Maurya : Ministry of Agriculture fixes the prices and it is for the State Governments to make arrangements and see that Vanaspati is available at fixed price. The production of sunflower and soyabeen is being increased and it is being misused in case of Vanaspati definitely. We shall take it up on a higher level.

Shri R. S. Pandey : Sufficient staff has not been provided in the Ministry. I want to know whether there is any cell which could go into the question of consumptions, shortages, the trend of international markets and tackle this problem in such a way that the shortages may not be there? They should have examined the question of demand and supply much earlier.

Shri B. P. Maurya : The Ministry of Agriculture examines all the aspects of the problem, but sometime things do not happen according to expectations. Moreover, there is shortage of power as well. There are many problems which are inter connected. We shall definitely take more care as has been suggested by the hon'ble Member.

Shri Madhu Limaye : Keeping in view the fact that Vanaspati is not more nutritions than edible oils, whether Vanaspati producing companies are being directed to start manufacturing Vanaspati from non-edible oils in a period of three years, because it is estimated that the price of edible oils would go upto Rs. 25 thousand per tonne in few years ? I want to know whether any such scheme is under consideration of the Government ?

Shri B. P. Maurya : The capacity of non-edible oils is not so much that it could meet the demands of this industry. This type of oil is diverted to manufacture soap and efforts will be made to stop it. It may not be feasible to depend totally on non-edible oils for manufacturing Vanaspati in the near future.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले कहा था कि वनस्पति के मूल्य में वृद्धि करने से उसके उत्पादन में वृद्धि हो जायगी। क्या मूल्य वृद्धि के बाद अधिष्ठापित क्षमता में कोई वृद्धि हुई है ?

बी० पी० मौर्य : 15-16 जून को मूल्य में वृद्धि की गई थी। 1-7 जून की अवधि में उत्पादन 2311 टन था। 8-16 में जून की अवधि में उत्पादन घट कर 1716 टन रह

गया था। मूल्य वृद्धि के बाद उत्पादन 6036 टन हो गया था। 23-30 जून में यह बढ़कर 7580 टन हो गया है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि मासिक मांग लगभग 50,000 टन की है। जून में कुल उत्पादन में केवल 17,633 टन हुआ। मेरे पास जुलाई मास के आंकड़े नहीं हैं, परन्तु इसी के लगभग उत्पादन होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार वनस्पति निर्माताओं को सम्भवतः कच्चे माल की अधिक लागत के मुआवजे के रूप में समय समय पर मूल्य वृद्धि की अनुमति देती रहती है, सरकार को लीवर ब्रादर्स सहित सभी पंजीकृत निर्माताओं से प्रतिमास कुल उत्पादन के आंकड़े प्राप्त करने और मंजूरशुदा मूल्य दे कर जो सरकार ने उचित मूल्य के रूप में निर्धारित किया हुआ हो—मेरे विचार में उसमें लाभ का अतन्र अवश्य होगा—और स्टाक खरीद कर सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से बेचने में क्या कठिनाई है ताकि चोरबाजारी रोकी जा सके ?

श्री बी० पी० मौर्य : यह सम्भव हो सके तो अच्छा है। परन्तु यह व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि खाद्य तेलों के उत्पादन की स्थिति ऐसी है कि हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मूल्य जिस सूत्र पर आधारित हैं उसका खाद्य तेलों से सीधा सम्बन्ध है। खाद्य तेलों के मूल्य घटते बढ़ते रहने के कारण सरकार को वनस्पति का मूल्य उसी आधार पर निर्धारित करना पड़ता है। राशन कार्ड होल्डर वह मूल्य देने को तैयार नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि उत्पादन की स्थिति समान नहीं रहती। वह विभिन्न कारणों से घट-बढ़ सकती है। यदि उपभोक्ता इसके लिए तैयार हों तो सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। परन्तु कठिनाई यह होगी कि राशन कार्डधारी को पूरे वर्ष में एक ही मूल्य पर वनस्पति उपलब्ध नहीं होगा।

श्री अटल बहारी वाजपेयी : उन्हें अब भी नहीं मिल रहा है।

Implementation of Recommendations made by Khosla Committee

*210. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE** pleased to state :

(a) the steps proposed to be taken by this Ministry to implement the recommendations of the Khosla Committee in respect of the Akademies ;

(b) when the Committee submitted its recommendations and the reasons for not implementing them for such a long time; and

(c) whether any complaint has been received in regard to the non-implementation of recommendations of the Committee ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV) : (a) and (b) A statement is attached.

(c) No, Sir.

STATEMENT

The Reviewing Committee on National Akademies submitted its report to the Government on 31-7-1972. The recommendations, so far as they relate, to the Akademies, fall under two broad categories viz. (i) constitution of the Akademies and (ii) programming of the Akademies.

The Government have formulated their views on the recommendations concerning the constitution of the Akademies. These have since been communicated to the Akademies and their reaction is awaited. In so far as the recommendations relating to the programming of the Akademies are concerned, these have a bearing on the availability of resources for the three Akademies

during the Fifth Five Year Plan for implementation of their schemes. It will not be possible for the Government to formulate their views on these recommendations until the resources position in the cultural development sector during the Fifth Plan is known and the Plan schemes of the States and Union Territories for cultural development are finalised. All this is likely to take some more time.

Shri Sudhakar Pandey : Sir, the Report was submitted but even after a lapse of two years the reactions of the Akademies have not been received and the Government has already taken a decision. I want to know if reactions of a Akademies are not received for indefinite period whether Government would get its decision implemented or not ? If Reactions of the Akademies are in the negative then what steps are propared to be, taken by the Government ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : Some Akademies have then own conslitution under Registration of Societies Act, according to which they themselves have to take a decision. The Government is not competent to take a decision about them. In view of this, we are trying to persuade them to implement this decision broadly maintaining the recommendations of the Khosla Committee's Report. In case we do not succeed in this effort, we shall introduce some other measure. If the House adpopts that measure, then the Government will be empowered to give directives. We hope to bring forward that measure before the House in this very session.

Shri Sudhakar Pandey : When the aquestion of art and culture is taken up, cuts are imposed. It has been mentioned in the report of Khosla Committee and it is my experience as well that 80 percent of the allocation is spent on payment of salaries and 10—15 percent is spent on maintenence and other things. I want to know whether these Akademies would be able to carry on the work entrusted to them with the remaining 10 percent? I would also like to know whether allocation will be reduced during the Fifth Five Year Plan for that purpose or increased ?

Prof. Nurul Hasan : It is quite reasonable. Khosla Committee has also pointed out that the amount spent on the administration in much more than that spent on the promotion of art and culture. It is not sufficient. But we have to see that how much amount is allocated for our ministry. If that is increased, we shall, definitely try to encourage development of art and culture.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि संगीत नाटक अकादमी प्रसिद्ध संगीतकारों को सम्मानित करती है और यह कार्य अनेक वर्षों से करती आ रही है तथा हाल ही में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उसको आवंटित की जाने वाली निधियों में वद्धि करने पर विचार करेगी ताकि इन संगीतकारों की रक्षा की जा सके जो कि वृद्ध हो चुके हैं--जैसे रसूलन बाई--जोकि वस्तुत: देश में भूखों मरने की स्थिति को पहुंच चुके हैं ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : पांचवीं योजना में एक प्रस्ताव है कि सरकार वृद्ध संगीतज्ञों को सहायता प्रदान करेगी। यह सिफारिश पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं पांचवीं योजना के लिए नियतन अभी अन्तिम रूप से निश्चत नहीं हुए हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न तो बड़ा ही सीधा है। अमीर खान देश के एक सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और वह एक दुर्घटना में मरे : उनके परिवार की क्या दशा है ? रसूलन बाई की क्या दशा है ? वे पांचवीं योजना तक तो प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

श्री एस० नुरुल हसन : हम कोई वायदा कैसे कर सकते हैं--जैसा कि हम अवश्य करना चाहते हैं, जब तक कि हमें यह न पता लगे कि हमें कितनी धनराशि उपलब्ध हो रही है।

श्री अमृत नहाटा : क्या यह सच है कि मंत्री महोदय प्रो० नुरुल हसन स्वयं खोसला समिति के एक सदस्य थे और खोसला समिति के प्रतिवेदन पर स्वयं उनके भी हस्ताक्षर हैं ?

क्या यह सच नहीं है कि संगीत नाटक अकादमी ने नेशनल स्कूल आफ ड्रामा को एक स्वायत्त-शासी निकाय बनाने की सिफारिश को निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया है? क्या मंत्री महोदय सभा को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि सरकार इस प्रतिवेदन को दृढ़ता से क्रियान्वित करना भी चाहे तो भी ये अकादमियां ऐसा करने से इन्कार कर सकती हैं?

प्रो० एस० नुरुल हसन : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि मुझे खोसला समिति का एक सदस्य होने का सम्मान प्राप्त था, तथापि समिति की सिफारिशों निश्चित होने से पूर्व ही मैंने उससे त्यागपत्र दे दिया था।

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में माननीय सदस्य ने जो यह दूसरा प्रश्न उठाया है, सो हम संगीत नाटक अकादमी को पहले ही यह सूचित कर चुके हैं कि सरकार का विचार नेशनल स्कूल आफ ड्रामा को खोसला समिति की सिफारिशों के अनुरूप एक स्वतंत्र निकाय बनाने का है।

श्री डी० एन० तिवारी : खोसला समिति की कुछ सिफारिशों का सम्बन्ध सरकार से है। क्या सरकार उन सिफारिशों को क्रियान्वित कर सकी है, यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

प्रो० एस० नुरुल हसन : खोसला समिति के अधिकांश निर्णयों को क्रियान्वित करने में सरकार को धन खर्च करना पड़ता है। मेरी कठिनाई इस समय यह है कि जब तक हमें यह नहीं पता लग जाता कि संस्कृति विभाग के लिए कितनी निधि रखी जा रही है, मैं कोई भी दृढ़ निश्चय करके सभा को सूचित नहीं कर सकता। ज्यों ही योजना के प्रस्ताव तैयार हो जायेंगे, मैं कार्यवाही कर सकूंगा जो कि उक्त निधियों की परिधि में की जा सकती है।

भारी वर्षा के कारण बम्बई पत्तन पर आयातित गेहूं का खराब होना

***211. श्री पी० के० देव**
श्री एम० कतामुत्तु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी वर्षा के कारण बम्बई पत्तन में हजारों बोरे आयातित गेहूं खराब हो गया था,

(ख) क्या यह भारी क्षति भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई है,

(ग) कुल कितनी मात्रा में गेहूं खराब हुआ और क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) : भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि 4/5 जुलाई, 1974 को बम्बई में भारी वर्षा होने के कारण, भारतीय खाद्य निगम और पोर्टट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने के बावजूद, गोदी पर पड़ी गेहूं की कुल 5 लाख बोरियों में से लगभग 3500 बोरियां आंशिक रूप से प्रभावित हुई थी। प्रभावित अनाज को यथा सम्भव सीमा तक साफ करने के लिए पग उठाए गए हैं। सूचित किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ ने कोई लापरवाही नहीं की थी।

श्री एम० कतामुत्तु : मंत्री महोदय के उत्तर से लगता है कि भारतीय खाद्य निगम ने कोई सावधानी के उपाय नहीं किए थे। हालांकि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उसने तुरन्त कार्यवाही की थी, फिर भी ऐसा लगता है कि जिस शेड में गेहूं जमा था वहां पानी को आने से रोकने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए थे। और वर्षा बढ़ जाने पर भी दरवाजों को बन्द कर देने का प्रबंध नहीं किया गया था। उसी प्रकार तो इतनी क्षति हुई। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई थी, और यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जैसाकि माननीय सदस्य को मालूम है कि 4/5 जुलाई को बम्बई में ऐसी अप्रत्याशित वर्षा हुई थी जैसा कि गत तीन सौ वर्षों में भी नहीं हुई थी। 24 घन्टे में 22 इंच वर्षा हुई थी। केवल पत्तन क्षेत्र में ही नहीं, सारे नगर में अनेक गोदाम पानी में डूब गए थे और बहुत क्षति हुई थी। इसे देखते हुए कि 5 लाख बोरों में से केवल 3500 बोरे ही क्षतिग्रस्त हुए, मुझे विश्वास है कि भारतीय खाद्य निगम इस सम्बन्ध में दोषी होने की बजाये प्रशंसा का पात्र है। अन्ततः उन 3500 बोरों में से भी उन्होंने इतना बचाने का प्रयास किया जितना कि संभव हो सका। कुल क्षति केवल 50 टन की हुई। इसलिए कोई जांच कराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अप्रत्याशित भारी वर्षा को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि निगम ने लापरवाही की है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच है कि बम्बई गोदी में खड़े 35,000 टन भार वाले अमरीकी जहाज "नार्थ फील्ड" में अमरीका से आयातित 25,000 टन गेहूं लदा था और वर्षा के दौरान दोषपूर्ण प्रबंधों के कारण जहाज में 30 फिट ऊंचाई तक पानी ठाठें मार रहा था, और क्या यह भी सच है कि अखिल भारतीय गोदी तथा पत्तन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें उन्होंने विशिष्ट रूप से कहा था कि--

"The grounding of the American tanker and the delay caused in refloating her due to lack of a powerful ocean salvage tug and other equipments raise some important issues concerning salvage of ships that may run aground or sink in the deep sea off the Indian coasts or at navigational channels of our major ports."

इस विचार से कि उक्त टिप्पणियां अखिल भारतीय गोदी तथा पत्तन कर्मचारी महासंघ के एक जिम्मेवार पदाधिकारी ने की हैं, क्या सरकार ने उनकी तरफ ध्यान दिया है और यदि हां, तो ऐसी क्षति को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं!

श्री सी० सुब्रह्मयम् : मैं जानना चाहूंगा कि क्या जिम्मेवार माननीय सदस्य ने संगत प्रश्न पूछा है?

प्रो० मधु दण्डवते : आप शायद इस का संगत उत्तर न दे सकें, परन्तु प्रश्न बहुत ही संगत है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्वयं ही निर्णय करने जा रहे हैं तो मैं बीच में नहीं आऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया प्रश्न को देखिए। यह आयातित गेहूं तथा उसके वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने से सम्बन्धित है। इसमें असंगत बात कुछ भी नहीं है। मैंने मंत्री महोदय से पूछा है कि...

अध्यक्ष महोदय : क्या भारतीय खाद्य निगम का प्रशासन उस टैंकर पर भी चलता है ? प्रश्न तो भारतीय खाद्य निगम के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न के संदर्भ में तो मुझे यह कहना है । मूल प्रश्न में तीन संदर्भ हैं :—भारतीय खाद्य निगम, आयातित गेहूं तथा वर्षा । मैंने दो संदर्भों अर्थात् आयातित गेहूं तथा वर्षा को लेकर प्रश्न पूछा है। इसलिए यह प्रश्न संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न ईश्वर से पूछिए जिसने वर्षा की है।

सोवियत संघ से बीस लाख टन गेहूं का आयात

*212. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को उधार दिया गया बीस लाख टन रूसी गेहूं प्राप्त हो गया है, और

(ख) क्या इसके बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गत वष के स्तर पर भी बनाये रखने में देश में गेहूं की जो वसूली हुई है वह अपर्याप्त सिद्ध हो रही है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : **(क) और (ख)** : नई नीति का उद्देश्य कमी वाले राज्यों में खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता में सुधार लाना है। स्थानीय अभिप्राप्ति और विदेशों से खरीदे गए स्टाक से सरकारी वितरण प्रणाली को बनाए रखा जा रहा है। सावियत रूस से 20 लाख मीटरी टन उधार गेहूं प्राप्त हो चुकी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गत वर्ष सोवियत संघ से 20 लाख टन गेहूं का आयात किये जाने पर भी सरकार देश के भीतर केवल 40 लाख टन गेहूं की ही वसूली कर सकी, हालांकि उस समय सरकार ने गेहू के थोक व्यापार को अपने अधिकार में ले रखा था। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष खाद्य नीति में परिवर्तन के पश्चात् क्या यह सच नहीं है वसूली का कार्य गत वर्ष की तुलना में बहुत कम हो रहा है तथा आन्तरिक वसूली अब तक शायद 20 लाख टन से भी कम है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष उनका विचार गेहूं की कम वसूली तथा कुछ आयातित गेहूं जिसकी मात्रा उन्होंने सभा को नहीं बताई है। गेहूं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किस प्रकार आयोजित करने का है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : गत वर्ष, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, आन्तरिक रूप से लगभग 40 लाख टन गेहूं की वसूली हुई थी.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गत वर्ष लक्ष्य कितना था ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : केवल स्मरणशक्ति के आधार पर ही बता सकता हूं यह शायद 80 लाख टन का था।

इस वर्ष, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 17 या 18 लाख टन गेहूं वसूल हुआ है। इसके बावजूद आयातित गेहूं तथा उपलब्ध चावल को लेकर हम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था चला रहे हैं और हमें आशा है कि हम इतनी कठिनाईयों के बावजूद सारे वर्ष यह व्यवस्था बनाये रख सकेंगे। स्पष्ट है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जब वसूली इतनी कम होनी थीं तो उक्त परिवर्तन क्यों किया गया था अथवा क्या यह व्यवस्था असफल नहीं रही ? तो हमें तो समूची स्थिति का मूल्यांकन करना होता है। केवल सार्व-

जनिक वितरण प्रणाली द्वारा गेहूं के वितरण का ही महत्व नहीं है बल्कि इसके द्वारा 100 लाख टन वितरण करने के बाद भी 40 करोड़ लोगों को गेहूं मिलना चाहिए। जोकि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आते हैं। उन्हें भी तो उचित दर पर गेहूं मिलना चाहिए। गत वर्ष जबकि हमने सार्वजनिक वितरण को किसी स्तर तक बनाए रखा था, तब इस वितरण व्यवस्था से बाहर विशेषकर बम्बई, महाराष्ट्र तथा गुजरात तथा अन्य कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में गेहूं के दाम बहुत ऊंचे हो गये थे। इसलिए एक विश्लेषण किया गया और हमने सोचा कि यदि हमने सार्वजनिक वितरण के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में गेहूं को आने दिया तो शायद स्थिति में कुछ सुधार हो जायेगा। यह बात इस हद तक ठीक सिद्ध हुई। बम्बई तथा अन्य क्षेत्रों के खुले बाजार में गत वर्ष की अपेक्षा गेहूं के दाम कम रहे। परन्तु मैं स्थिति के बारे में कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं क्योंकि कमी का समय तो अभी आया ही नहीं है। उस अवधि में क्या होगा उसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूं। वह तो केवल...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल तो लगभग समाप्त हो गया है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : हमें देखना है कि कम से कम गत वर्ष के स्तर तक तो हमारे पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त गेहूं हो और यदि कोई आयात स्थिति आती है तो हम यह भी सोच रहे हैं कि इन स्थितियों का मुकाबला कैसे करेंगे और मुझे आशा है कि हम इस बारे में विपक्ष के सदस्यों तथा नेताओं के साथ भी इस स्थिति पर विचार विमर्श कर सकेंगे और यह चर्चा कर सकेंगे कि हालात को सुधारने के लिए क्या कदम उठाएं जायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया मुझे अपना दूसरा प्रश्न पूछने दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर विस्तार कार्य

*202. **श्री आर० के० सिन्हा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 जुलाई, 1974 तक लखनऊ-बाराबंकी और बाराबंकी-फैजाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर कितना विस्तार कार्य हुआ है; और

(ख) यह विस्तार कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(क) (I) लखनऊ और बाराबंकी के बीच 22-45 कि० मी० लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 पहले ही दो गली के लिए चौड़ा है। बाराबंकी और फैजाबाद के बीच 92,972 कि० मी० की लम्बाई में 92,722 कि० मी० चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के शुरू

में 92,722 कि० मी० लम्बाई पर इकहरी गली के लिए चौड़ी और शेष 0.25 कि० मी० लम्बाई में दो गली के लिए चौड़ी थी। 92.722 कि० मी० में से 62.722 कि० मी० लम्बाई की दो गलियों को चौड़ा करने के कार्य की प्राविधिक और वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। 31-7-74 तक इसमें से 48.922 कि० मी० लम्बाई में चौड़ा करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और 10,400 कि० मी० लम्बाई में कार्य प्रगति में था, जबकि चौड़ा करने के लिए 8.200 कि० मी० की और लम्बाई में सामग्री एकत्रित की गई थी।

(ii) लखनऊ और फैजाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 पर पड़ने वाले नौ पुल कार्यों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। इनमें से पांच को योजना में से हटा दिया गया है, क्योंकि विस्तृत जांच के बाद यह ज्ञात हुआ कि उनमें तीन के पुर्नानिर्माण की आवश्यकता नहीं थीं और दो नगरपालिका सीमाओं के अंदर पड़ते थे तथा उनके पुर्नानिर्माण का विचार राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग ने छोड़ दिया। राज्य सरकार से अभी तक एक पुल का अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है। 20/4, 51/7 और 57/6 मीलों पर तीन पुल कार्यों का प्राविधिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) (I) : राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए उपलब्ध धन के अनुसार दिसम्बर, 1975 तक स्वीकृत कार्यों के पूरा होने की सम्भावना है। वर्तमान वित्तीय कठिनाई के कारण, बाराबंकी और फैजाबाद के बीच शेष 25 कि० मी० लम्बाई में, दो गली तक चौड़ा करने के कार्य पर विचार न किया जा सका।

(II) तीन स्वीकृत पुल कार्यों में से 57/6 मील पर कुल कार्य पूरा हो चुका है; शेष दो पुलों का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि 20/4 मील पर पुल की हालत में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और सड़क प्राधिकरण के बीच लागत बांटने के प्रश्न पर अभी फैसला होना है और दूसरे की अवस्था में मौजीदा वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि तीन पुलों, जिसमें वह भी एक पुल शामिल है जो कि अभी स्वीकृत किया जाना है, का निर्माण चालू होगा।

मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पशु नस्ल सुधार और डेरी विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण

***203. श्री हुक्म चन्द कछवाय : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के नौ पश्चिमी जिलों में बड़े पैमाने पर पशु नस्ल सुधार और डेरी विकास परियोजना के लिये विश्व बैंक के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा 47.78 करोड़ रुपये का ऋण दिये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) उक्त योजना की कब तक मंजूरी दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में सघन पशु और डेरी विकास परियोजना हाथ में लेने के लिये विश्व बैंक के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से 46.78 लाख रुपये के ऋण के एक प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है।

(ख) भारत सरकार ने इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया है और इसका मूल्यांकन कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से इस संबंध में इस

वर्ष के अन्त से पहले बात चीत होने की आशा है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिये जाने के बाद इस परियोजना के शुरु होने की आशा है।

केरल में गंभीर खाद्य स्थिति

***204. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में गंभीर खाद्यान्न स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता अन्य कमी वाले राज्यों की अपेक्षा आवश्यकताओं स्थानीय उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केरल को राज्य में सरकारी वितरण प्रणाली की उचित ज़रूरतें पूरी करने के लिए यथा सम्भव अधिक से अधिक खाद्यान्न दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार को अधिशेष राज्य से लेवी मुक्त चावल और गेहूं का आयात करने की भी इजाजत दी गई है। केरल में खाद्य स्थिति की राज्य सरकार के परामर्श से बराबर समीक्षा की जा रही है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार को सभी सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है।

बम्बई पत्तन ट्रस्ट में इकट्ठे हो गये आयातित माल के पैकेज

***205. श्री एस० एस० मुरुगलल्लम :**

श्री पीलू मोदी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि करोड़ों रुपये के मूल्य के आयातित माल के लाखों पैकेज कई महीनों से बम्बई पत्तन क्षेत्र में इकट्ठे हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) : यह सच है कि बम्बई पत्तन के माल गोदामों और पारगमन क्षेत्रों में विलम्ब शुल्क के अन्तर्गत लगभग 3,50,000 बंडल पड़े हैं जिनके उठाने के लिए 2 महीने से कम और एक वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षा की जा रही है। कुछ एक बंडल तो कई वर्षों से पड़े हैं। वहां पड़े बंडलों का मूल्य बम्बई पत्तन न्यास को मालूम नहीं है। इनके एकत्रित होने के कारण ये हैं :—

(i) सीमा शुल्क एवं आयात नियन्त्रण आवश्यकताओं का अनुपालन करने तथा जब्त माल का सीमा शुल्क विभाग द्वारा निपटान करने में विलम्ब।

(ii) प्रेषिती द्वारा माल समय पर न उठाना।

(ग) सीमा शुल्क विभाग से कहा गया है कि वह जब्त किये माल तथा माल को उठाने के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं का निपटान शीघ्रता से करें। उन्हें माल गोदाम के निर्माण के लिए मामूली किराये पर भूमि देने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें वे जब्त किये/पकड़े गये/रोके गये माल तथा उस माल को जिसे उतारने में दो महीने की अवधि के अन्दर अन्दर उपभोग के लिए मुक्त नहीं किया जा सकता हो, जमा किया जा सके।

(ii) एक 7480 व० मी० का माल गोदाम निर्माणाधीन है और दिसम्बर, 1975 तक तैयार हो जाने की संभावना है। कुछ और माल गोदामों की योजना बनाई जा रही है जिससे

आयात माल के लिए 67,000 व० मी० तथा निर्यात माल के लिए 25,000 व० मी० का अतिरिक्त भंडार क्षेत्र उपलब्ध होगा ।

(iii) पत्तन न्यास से कहा गया है कि वे प्रेषक/प्रेषिति द्वारा माल उठाने में कम से कम विलम्ब करने हेतु अपने दंड की दरों को और कड़ा बनाने की वांछनीयता पर विचार करें ।

राजा राम मोहन पुस्तकालय प्रतिष्ठान का कार्यकरण

*206. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में राजाराम मोहन पुस्तकालय प्रतिष्ठान ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रतिष्ठान को कोई पृथक स्थान देने की व्यवस्था की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री ी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय प्रतिष्ठान राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के उप-भवन में स्थित है। तथापि उसके बढ़ते हुए कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठान के लिए किराए पर एक उचित स्थान लेने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भूमि सुधार उपायों की क्रियान्विति में प्रगति

*209. **श्री रामचन्द्रन कडना पल्ली**
श्री जी० वाई० कृष्णन } **: क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार उपायों की क्रियान्विति में कितनी प्रगति की है; और

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा इनकी, क्रियान्विति में किये गये असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार ने राज्यों को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए राजी करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1. बिचौलियों का उन्मूलन

सभी राज्यों में बिचौलियों के उन्मूलन का कार्य वास्तव में पूरा हो चुका है। कुछ राज्यों में छोटे बिचौलिए अभी बाकी हैं और उनको खत्म करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

2. जोत की सीमा

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, तमिल नाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जोत की सीमा को कम करने के लिए जोत सीमा कानूनों में संशोधन

करने और उन्हें प्रायः समरूप बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र और मनिपुर में जोत की सीमा सम्बन्धी कानूनों को संशोधित करने का काम जारी है। मेघालय और नागालैंड में जोत की सीमा सम्बन्धी कानून नहीं बने हैं क्योंकि इन राज्यों में भूमि वास्तव में समाज के अधिकार में है।

इन कानूनों को लागू करने में समय लगता है फालतू भूमि को पात्र व्यक्तियों में वितरित करने से पहले विभिन्न नियमों को पूरा करना पड़ता है। प्रत्येक स्तर पर प्रभावित पार्टियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सुनना और कार्यवाही करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अदालत द्वारा जारी किए गए रोक आदेशों के कारण भी कुछ राज्यों में इस कानून की क्रियान्विति में रुकावट पड़ी है।

असम, केरल, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय मार्गदर्शी रूपरेखा के जारी होने से पहले ही जोत सीमा कानून को संशोधित किया जा चुका था। जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है इन राज्यों में कुछ प्रगति हुई है। 1970 के संशोधन के बाद असम में 2,400 हैक्टार क्षेत्र फालतू घोषित किया गया है। केरल में पहली जनवरी, 1974 तक 46595 एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है। पहली मई, 1974 को 16180 एकड़ भूमि को वापिस करने का आदेश दिया गया था। राज्य ने 12691 एकड़ क्षेत्र अपने अधिकार में लिया है जिसमें से 1970 एकड़ क्षेत्र 2333 व्यक्तियों में वितरित किया जा चुका है। तमिलनाडु में जोत सीमा कानूनों के लागू होने के समय से राज्य ने 15431 एकड़ क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया है जिसमें से 6063 एकड़ क्षेत्र को वितरित किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में संशोधन कानून के अन्तर्गत 58,000 एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है। जिसमें से 15459 एकड़ भूमि राज्य ने अपने अधिकार में ले ली है और मार्च, 1974 के अन्त तक 4651 एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है।

3. पट्टेदारी

पंचवर्षीय योजना में निर्धारित नीति के अनूसार किराए की दर कुल उपज के 1/4वां से 1/5वां भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सीमा के अन्दर किराए की व्यवस्था करने के विषय में असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में कानून लागू हैं। ये दरें पंजाब, हरियाणा तमिल नाडु और आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र में अधिक ऊंची हैं।

पट्टेदारों की सुरक्षा के लिए अधिकांश राज्यों ने बेदखली पर और भू-स्वामियों द्वारा अपनी खेती करने के लिए भूमि को पुनः अपने कब्जे में करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अधिकांश राज्यों में पुनर्ग्रहण का अधिकार समाप्त हो चुका है। किन्तु बिहार, तमिल नाडु, आन्ध्र प्रदेश का आन्ध्र क्षेत्र, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में पट्टेदारों और विशेषतया बटाईदारों की स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र, गुजरात के बम्बई क्षेत्र, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब के पट्टेदारी कानूनों में गैर-पुनर्ग्रहणीय भूमि को खरीदने के लिए कुछ वर्गों के पट्टेदारों को अधिकार दिए गए हैं। केरल, कर्नाटक के और हिमाचल प्रदेश ने विशिष्ट वर्गों के पट्टेदारों को उस गैर-पुनर्ग्रहण क्षेत्र का जो उनके अधिकार में है, स्वामित्व सौंपने की व्यवस्था की हुई है। जम्मू तथा कश्मीर के कानून में पट्टेदारी को पूरे तौर से समाप्त करने की व्यवस्था की गई है।

4. चकबंदी :

राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र), असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने चकबन्दी के लिए कानून बनाए हुए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कानूनों में स्वेच्छा से चकबन्दी कराने की व्यवस्था है जब कि दूसरे राज्यों ने अनिवार्य चकबन्दी के लिए कानून बनाए हुए हैं। केरल, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश (आन्ध्र क्षेत्र) ने चकबन्दी के लिए कोई कानून नहीं बनाए हैं। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में 340 लाख हैक्टार भूमि की चकबन्दी हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा में यह काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश ने काफी प्रगति की है और महाराष्ट्र में भी कुछ प्रगति हुई है। भारत सरकार घोषित राष्ट्रीय नीति के साथ-साथ चलाने के उद्देश्य से पट्टेदारी कानूनों में आवश्यक संशोधन करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों पर जोर देती रही है।

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों में रैंगिग

*213. **श्री समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर, कानपुर, बम्बई, मद्रास और दिल्ली स्थित पांचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में नये भर्ती हुए छात्रों के साथ 'रैंगिंग' के नाम पर अभद्र व्यवहार किया जाता है और बर्बर शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाता है;

(ख) क्या नये भर्ती हुए छात्रों के साथ की गई रैंगिग के लिए कुछ छात्रों के विरुद्ध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के सेवानिवृत्त निदेशक ने अनुशासन की कार्यवाही की थी; और क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अध्यक्ष ने ऐसी अनुशासन की कार्यवाही रद्द कर दी थी; और क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की सीनेट ने इस प्रकार की मनमानी कार्यवाही के लिए अध्यक्ष की निन्दा की थी; और

(ग) पांचों प्रौद्योगिकी संस्थानों में नये भर्ती हुए छात्रों की 'रैंगिग' की इस बर्बर परम्परा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) नये भर्ती हुए छात्रों के साथ पांचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में रैंगिग की घटनाएं होती हैं। सामान्यतः यह छेड़छाड़ के रूप में होती हैं परन्तु कभी-कभी अनुचित व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

(ग) संस्थानों के निदेशकों तथा अन्य प्राधिकारियों ने छात्रों के सहयोग से यह देखने के लिए कदम उठाए हैं कि रैंगिग किसी अवांछनीय रूप में न हो।

विवरण

(1) शैक्षणिक वर्ष, 1973-74 में, खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के ग्यारह छात्रों को निदेशक द्वारा अध्यादेशों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दंडित किया गया था। इनमें से (क) छः छात्रों (एम० एस-सी० के द्वितीय वर्ष के चार

छात्र और बी० टेक० के चतुर्थ वर्षीय दो छात्र) को सत्र, 1973-74 के प्रथम शिक्षा सत्र में अध्यापन कार्यभार के लिए अंक नहीं दिये गये थे। (ख) रसायन शास्त्र इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष के और नौ वास्तुकला पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के दो छात्रों को वर्ष 1973-74 के दौरान प्रथम सत्र की मध्यावधि परीक्षा में बैठने की वंचित कर दिया गया था तथा उनके लिए आवासीय हाल को बदलना भी जरूरी था। (ग) बाकी तीनों छात्रों को, जो सभी अन्तिम वर्ष अवर-स्नातक पाठ्यक्रम से सम्बन्धित थे, प्रथम सत्र की मध्यावधि परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया था और उसी अवधि के दौरान आवासीय हाल को छोड़ना भी जरूरी था।

(ii) इन तीनों छात्रों ने निदेशक तथा अध्यक्ष को प्रत्यावेदन दिये । इसी दौरान निदेशक ने एक ऐसी पद्धति ढूंढ़ निकालने के प्रयास किये जिससे छात्र अपने आप रैगिंग के विरुद्ध निवारक उपायों में भाग ले सकें। इस स्थिति में सुधार करने के लिए कोई समाधान ढूंढ़ निकालने हेतु वातावरण तैयार करने के लिए लगभग 600 छात्रों ने अपने तीन सह-पाठियों को दिये गये दण्ड को माफ करने के लिए निदेशक से लिखित अपील की तो 6-9-73 को उक्त दण्ड को माफ कर दिया गया था।

(iii) 6-9-1973 को, अध्यक्ष ने विदेश जाने से तुरन्त पहले निदेशक को एक संदेश भेजा कि इन तीन छात्रों को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए तथा उन्हें अपनी मध्य-सेमिस्टर की परीक्षा में बैठने हेतु व्यवस्था करने के लिए सीनेट को सहमत हो जाना चाहिए। इस संदेश में यह भी कहा गया था कि यदि सीनेट ने अध्यक्ष का सुझाव नहीं माना तो वे उनके निर्णय को रद्द करने के लिए बाध्य होंगे। निदेशक को यह संदेश तब मिला जब वे स्वयं ही इस दण्ड को माफ कर चुके थे। निदेशक ने 11-9-73 को अपने दोनों कार्यों से सीनेट को अवगत करा दिया, किन्तु उन्होंने सीनेट को इस मामले में अध्यक्ष के विचारों से अवगत करना उचित नहीं समझा। अतः अध्यक्ष द्वारा निदेशक के आदेश को रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

18 मई, 1974 को सीनेट के चार सदस्यों ने अध्यक्ष द्वारा सीनेट की बात को न मानने की धमकी देने के कार्य के विरुद्ध एक संकल्प पेश किया। बैठक के प्रारम्भ में उपस्थित 66 सदस्यों में से 25 तो चले गए और कहा जाता है कि शेष 41 सदस्यों ने संकल्प पारित किया परन्तु इस बैठक की कार्यवाही की अभी सीनेट की अगली बैठक में पुष्टि की जानी है।

उड़ीसा में पारादीप पत्तन को हुआ घाटा

***214. जगदीश भट्टाचार्य : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पारादीप पत्तन की वर्तमान गतिविधियां क्या हैं और क्या यह इस समय घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इसे कितना घाटा हुआ है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) : उड़ीसा में पारादीप पत्तन के वर्तमान कार्यकलाप मुख्यतः भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से निर्यात के लिए लौह अयस्क और क्रम अयस्क की धरा उठाई

करना है। पत्तन इस समय घाटे पर चल रहा है। 1972-73 और 1973-74 के प्रत्येक वर्ष के दौरान इसका राजस्व घाटा लगभग 3 करोड़ रुपये था।

अधिक उपज वाली किस्मों के लिये अखिल भारतीय समन्वित चावल अनुसंधान योजना के निष्कर्षों का अमल में लाया जाना

*215. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पी० गंगादेव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस खरीफ के मौसम में रोपाई के लिये अधिक उपज वाली किस्मों के लिये अखिल भारतीय समन्वित चावल अनुसंधान योजना के निष्कर्षों को अमल में लाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या उर्वरकों की कमी के कारण इसे स्थगित किया गया है ?

अ द्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित धान अनुसंधान प्रायोजना ने व्यापारिक कृषि के लिये अब तक धान की अधिक उपज देने वाली 16 किस्में रिलीज की हैं। इन किस्मों के अलावा धान की 12 किस्मों को रिलीज करने से पहले उनके बीजों का संवर्घन किया जा रहा है और किसानों के खेतों में किये जाने वाले धान मिनिकिट परीक्षणों तथा राष्ट्रीय प्रदर्शनों के अन्तर्गत 13 अन्य किस्मों की उपयुक्तता की जांच की जा रही है। धान की रिलीज की हुई और रिलीज की जाने वाली दोनों ही किस्मों के बीज और उन्नत कृषि तकनीक किसानों के पास पहले ही पहुंच चुके हैं।

इस सूचना के आधार पर, यदि वातावरण सम्बन्धी परिस्थितियां अनूकुल रहीं, तो कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग ने राज्य सरकारों के सहयोग से सन् 1974-75 के दौरान करीब 11.00 मिलियन हैक्टर भूमि पर धान की अधिक उपज देने वाली किस्में उगाने का प्रस्ताव किया है।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में 1972-73 और 1973-74 में खाद्य तेलों का उत्पादन अथवा आयात और निर्माताओं को दी गई प्रतिशतता

*216. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**

श्री टुना ओरांव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1972-74 और 1973-74 में मूंगफली, नारियल, सरसों और सोयाबीन आदि जैसे खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में उत्पादन अथवा आयात हुआ; और

(ख) उसमें से कितनी मात्रा में उपयोग सीधे उपभोक्ताओं द्वारा किया गया और कितने प्रतिशत तेल (एक) वनस्पति, (दो) पेंट और (तीन) साबुन निर्माताओं को तथा अन्य प्रयोजन के लिए दिया गया ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) प्रमुख खाद्य तेलों के उत्पादन तथा आयात के उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गये हैं:—

उत्पादन (अनुमानित)

(हजार मीटरी टनों में)

खाद्य तेल	1972-73 (जुलाई-जून)
मूंगफली का तेल	874
सरसों का तेल	604
तिल का तेल	110
नारियल का तेल	180
सोयाबीन का तेल	5
बिनौले का तेल	150

टिप्पणी :—ये आंकड़े सम्बन्धित तिलहनों के उत्पादन और बीज, प्रत्यक्ष मानव उपभोग तथा तेल में रूपान्तरित करने के अनुपात आदि विभिन्न उद्देश्यों के लिए इन तिलहनों के उपयोग सम्बन्धी कुछ धारणाओं के आधार पर प्राप्त किये गए हैं।

वर्ष 1973-74 के लिए इस प्रकार की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

आयात

(हजार मीटरी टनों में)

तेल	अन्तिम वर्ष 1972-73	अन्तिम वर्ष 1973-74
सोयाबीन का तेल	33	34
पाम आयल	5	70
तोरिया के बीजों का तेल . . .	10	38
तेल के रूप में तोरिया के बीज . .	25	9

(ख) वनस्पति, साबुन तथा पेंट के निर्माण में होने वाली खाद्य तेलों (देशी तथा आयातित) की खपत के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी नीचे दी गई है :—

मद	उपयोग की गई माता (हजार मीटरी टन)	
	1972-73	1973-74
वनस्पति	605	488
साबुन+ . . .	29.8	10.4
पेंट आदि	0.3*	*
प्रत्यक्ष उपयोग करने वालों द्वारा की गई खाद्य तेलों की खपत	प्रत्यक्ष उपयोग करने वालों द्वारा खपत किये गये खाद्य तेलों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। संभवतः कुल तेल की उपलब्धि में से वनस्पति साबुन, पेंट आदि के निर्माण में प्रयुक्त होने के पश्चात् बचे हुए तेल को प्रत्यक्ष उपयोग करने वालों ने तथा सूचीगत वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया गया।	

Non-Supply of Maida to Bakeries in Delhi resulting in increase in Price of their Products

*217· **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether the bakeries (bread manufacturing companies) have been asked to pruchase maida from open market as the Delhi Administration has not been able to supply them maida at controlled price ;

(b) if so, whether these bakeries have increased the prices of their products and have thus aggravated the economic plight of consumers; and

(c) if so, the reasons for not providing relief by the Government to consumers in this matter ?

+संगठित क्षत्र में क्रमशः 1972 तथा 1973 के कैलेण्डर वर्ष में कुल उत्पादन के 88.2 प्रतिशत से सम्बन्धित हैं।

*वर्ष 1971 की तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची के 16 एककों से सम्बन्धित है। बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

The Minister of Industrial Development and Science and Technology and Agriculture (Shri C. Subramaniam) (a) Under the revised wheat policy the roller flour mills in Delhi have been allowed to manufacture wheat products out of wheat purchased in the open market w.e.f. 1-7-74, and to sell maida at the revised controlled price of Rs. 210/- per quintal. Consequently, the bakeries in Delhi are purchasing maida at this price.

(b) & (c) : The bread prices have accordingly been fixed on the basis of this controlled price of maida. A price of Rs. 1·10 has been fixed for 400 gms. and Rs. 2·15 for 800 gms. loaf by the Delhi Administration under the DIR.

पश्चिम बंगाल, मिदनापुर में भुखमरी

*218. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री के इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें मिदनापुर तथा बांकुरा के दौरे के दौरान भूखा रहने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु होने का समाचार मिला था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों की सप्लाई तत्काल पहुंचाने के लिए सरकार ने कोई विशेष ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) : स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के उप-मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि उन्हें भुखमरी से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के समाचार मिले थे। तथापि यह अपुष्ट सूचना थी और उन्होंने राज्य सरकार से इसकी सचाई का पता लगाने के लिए कहा था अभी राज्य सराकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। राज्य सरकार से उत्तर मिलने पर एक और विवरण-पत्र यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

Measures to stop Bungling by FCI.

*219. **Shri Atal Bihari Vajpayee**
Shri Jagannathrao Joshi } : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the permanent preventive measure taken to ensure the Food Corporation of India does not indulge in bungling in future ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : The working of the Food Corporation of India are under constrant review of the management as well as the Government, A statement indicating the steps taken by the FCI to improve its working is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The FCI have taken the following steps to prevent malpractices:—

(i) Special squads and physical varification teams have been established to make surprise inspections.

(ii) Regular inspections have been intensified and procedures streamlined.

(iii) Vigilance and security organisations have been strengthened.

(iv) Whole time Inquiry officers have been appointed and short term courses for training of Inquiry officers are being arranged in consultation with the central vigilance commission.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जीवन बीमा निगम को भूमि का आबंटन

*220. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री 22 जलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सम्बन्धों में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त भूमि जीवन बीमा निगम को आबंटित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि दिल्ली के लिए रखी गयी धनराशि का निवेश किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा न किया जा सके।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) से (ग) : जी, नहीं। आबंटन की शर्तें तय होने तथा औपचारिकताएं पूरी की जाने के बाद ही औपचारिक आबंटन को अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

Wheat lying in open outside F. C. I. Godowns in M. P.

1483. **Dr. Laxminanarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether bags of wheat are lying in the open outside F. C. I. godowns in Ujjain, Ratlam and Bhopal in Madhya Pradesh;

(b) whether large quantity of wheat has become unconsumable for want of proper godown facilities; and

(c) if so, the extent of loss sustained during 1973-74 because of mismanagement of godowns ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) to (c) : The required information is being collected from the Food Corporation of India and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

नाइट्रोजन-युक्त अधिक उर्वरकों के लिये आन्ध्र प्रदेश की ओर से अनुरोध

1484. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को नाइट्रोजन-युक्त अधिक उर्वरक आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : प्रत्येक राज्य की प्रत्येक मौसम की उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में उस राज्य के उत्पादन कार्यक्रम और वहा उर्वरकों के प्रयोग के स्तर के संदर्भ में राज्य सरकार से विचार-विमर्श करके उर्वरक भेजे जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रबी, 1974-75 के लिए 1.86 लाख मीटरी टन नाइट्रोजनी उर्वरकों की मांग की थी। राज्य सरकार के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन में विचार-विमर्श करने के बाद उनकी उर्वरकों की आवश्यकता 1.65 लाख मीटरी टन निश्चित की गई थी। अब राज्य सरकार ने अपनी आवश्यकता के सम्बन्ध में पहले लगाए गए अनुमान के अलावा 21,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की और मांग की है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर-अनुशासनीय प्राधिकरण की स्थापना

1485. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माध्यमिक और छोटी सिंचाई के लिये कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरों पर अन्तर-अनुशासनीय अधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाई की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पांचवीं योजना अवधि के दौरान चुने हुए मुख्य तथा मध्यम सिंचाई कमांड क्षेत्रों में शुरू किये जाने वाले कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अन्तर अनुशासन कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की प्रस्ताव भी शामिल है। वह प्राधिकरण के चुने हुए कमांड क्षेत्रों में समेकित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करेगा ।

(ख) इस कार्यक्रम में सिंचाई प्रणाली को आधुनिकीकरण उसका रख-रखाव उसकी क्रिया विधि में सुधार करना, जल निकास प्रणाली का विकास और उसका रख-रखाव, भूमि समतलन, फार्म विकास चकबंदी और खेत की नातियों आदि का निर्माण शामिल है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों को कार्यवाही करने के लिए लिखा जा चुका है। ऐसे प्राधिकरण सिंचाई कमांड क्षेत्रों में सम्बन्धित राज्यों द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं।

ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम में उत्पन्न किये गये रोजगार के अवसर और नियत की गई धनराशि

1486. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत योजना के अन्तर्गत उत्पन्न किये गये रोजगार के जन-दिवसों की संख्या वर्ष 1971 से जब यह योजना प्रारम्भ की गई थी क्रमशः कम हो रही है;

(ख) 1971 से वर्षवार यह आंकड़े क्या हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई और राज्यों द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के नोटिस में ऐसे मामले आए हैं जिनमें इस प्रयोजन के लिए रखी गई धनराशि प्राधिकारियों द्वारा अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां इस बात का पता लगा है और इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसका आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं। पैदा किए गए रोजगार के श्रमदिन 1971-72 में 789.66 लाख से बढ़कर 1972-73 में 1344.07 लाख हो गये। तथापि, 1973-74 के दौरान ये घटकर 952.94 लाख हो गये। इसका अंशतः कारण यह है कि 1973-74 के बारे में पूर्ण रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं और अंशतः कारण यह भी है कि 1973-74 के दौरान आबंटन तथा व्यय 1972-73 की अपेक्षा कम थे।

(ख) 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान राज्यवार निधियों का आबंटन, किये गये व्यय तथा पैदा किये गये रोजगार की प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या** एल० टी० 8119/74।]

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जल प्रदाय उपक्रम को नगर निगम से अधिकार से लेना

1487. **श्री वीरभद्र सिंह**
श्री एम० एस० संजीवी राव
श्री बनमाली बाबू : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दल प्रदाय उपक्रम को नगर निगम के अधिकार से लेने और राजधानी में जल प्रदाय और मल निस्सारण के प्रबन्ध के लिए एक बोर्ड का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : दिल्ली की जलपूर्ति तथा मल-निर्यास सेवाओं के लिए एक स्वायत्त बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी

1488. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अत्यावश्यक वस्तुओं तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस समय इनकी उपलब्धता की क्या स्थिति है; और

(ग) नियमित रूप से इन वस्तुओं की उपलब्धि सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों जैसी अत्यावश्यक जिन्सों की सप्लाई सुधारने की दृष्टि से राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई है :—

(1) निर्धारित मूल्यों पर खाद्यान्नों और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों से सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करना और उसे मजबूत करना।

(2) अतिथि नियन्त्रण आदेश के प्रवर्तन और होटलों तथा अन्य भोजनालयों में परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या नियन्त्रित कर खाद्यान्नों की खपत पर रोक लगाना।

(3) मोटे अनाजों के अन्तर-क्षेत्रीय संचलन पर लगे प्रतिबन्ध हटाना ताकि अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों को इन जिन्सों का संचलन मक्त रूप से हो सके।

(4) 1974-75 के रबी मौसम के लिए गेहूं की संशोधित अधिप्राप्ति और मूल्य निर्धारण नीति लागू करना जिससे कमी वाले राज्यों में गेहूं की बाजार में उपलब्धता बढ़ाना।

(5) खाद्यान्न समेत अत्यावश्यक जिन्सों से संबंधित विभिन्न मामलों का विनियमन करने के लिए भारत सुरक्षा नियम, 1971 के उपबन्धों को लागू कर और जमाखोरी करने वालों, चोरी बाजारी करने वाले और अत्यावश्यक वस्तु सप्लाई को बनाए रखने में समाज विरोधी गतिविधियों के लिए आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के अधीन अधिकारों का प्रयोग कर विभिन्न खाद्य नियन्त्रण आदेशों को कड़ाई से लागू करना।

(6) तिलहनों और तेलों के स्टाक की सट्टे बाजी के लिए जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक आदेश जारी करना, जिससे व्यापारियों और मिल मालिकों के लिए तिलहनों/तेलों का स्टाक घोषित करना और उनके मूल्य प्रदर्शित करना लाज़मी हो।

(7) कृषि पैदावार बढ़ाने और खाद्यान्नों की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए जी-तोड़ प्रयत्न करना ताकि सरकारी वितरण प्रणाली को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखा जा सके।

भारत में उपभोक्ता समितियां

1489. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपभोक्ता समितियों के संवर्धन की वांछनीयता पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) देश में जनमत तैयार करने और बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां

(ख) राज्य सरकारों के परामर्श से पांचवीं योजना में उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों के विकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। राज्य क्षेत्र योजनाओं के अलावा, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें नये विभागीय भंडारों तथा बड़े-पैमाने के खुदरा निकासों की स्थापना करने और राज्य उपभोक्ता सहकारी परिसंघों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की जाती है। राज्य सरकारें विकास के अपने सामान्य कार्यक्रमों के माध्यम से वर्तमान उपभोक्ता सोसायटियों को मजबूत बनाने और उन्हें पुनः स्थापित करने के कार्य में राज्य योजना संसाधनों का उपयोग करेंगी।

(ग) जहां तक उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों का सम्बंध है, उनसे अपने सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने तथा अपनी बिक्री और सेवाएं बढाने की आशा की जाती है ताकि उपभोक्ता संरक्षण हेतु कारगर उपाय सुलभ किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों को एक "सक्रिय मूल्य नीति" के अनुसार भी कार्य करना है अर्थात् बाजार भावों में कुछ कम मूल्यों पर बिक्री करना, उचित व्यापार प्रक्रिया अपनाना और मानक कोटि की उपभोक्ता वस्तुओं के समान तथा उचित वितरण को सुनिश्चित करना और इस प्रकार बढ़ते मूल्य के रुख पर रोक लगाने में सहायता करना। सहकारी सोसायटियों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण हेतु उपाय सोच निकालने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी एक सम्मेलन भी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन की सिफारिशें और परामर्श सहकारी संस्थाओं, राज्य सरकारों और अन्य संबंधितों को मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिये गये हैं।

वनस्पति संकट का समाधान

1490. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय वनस्पति के संकट को दूर करने की योजना तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : वनस्पति की मौजूदा कमी खाने के देशी तैलों के ऊंचे मूल्यों और उनकी उपलब्धता में कमी के कारण उत्पादन में कमी होने के परिणामस्वरूप हुई है। 15 जून, 1974 से पिछली वृद्धि करने के बाद, देश में वनस्पति के उत्पादन में सुधार की प्रवृत्ति देखी गई है। आशा है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। खाने के तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करने से ही वनस्पति के उत्पादन में प्रमुखतः सुधार किया जा सकता है। सोयाबीन और सूरजमुखी तिलहग जैसे परम्परागत और अपरम्परागत तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने और बराबर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर उद्योग को बिनौले और चावल की भूसी के तेलों का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रयत्न करने की दिशा में ही सरकार का ध्यान केन्द्रित है।

नई गेहूं नीति सम्बन्धी समन्वय समिति की बैठक

1491. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री अनादि चरण दास } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई गेहूँ नीति की क्रियान्वित सबंधी समन्वय समिति की कोई बैठक 14 मई, 1974 को हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) बैठक में चर्चा के दौरान उत्पन्न मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार थीं :—

(1) रेलवे कीं हड़ताल के कारण सामान्य संचलन प्रतिमान में विघ्न पड़ने से रेलवे से यह कहा जाए कि वे पंजाब और हरियाणा से दिल्ली को गेहूं भेजने के लिए एक या दो स्पैशल गाड़ियों की व्यवस्था करें ।

(2) हिमाचल प्रदेश के मामले में उसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण अकेले रेलवे द्वारा संचलन पर लगे प्रतिबन्धों में ढील दी जाए और सड़क परिवहन की इज़ाजत दी जाए ।

(3) मध्य प्रदेश और राजस्थान अधिशेष राज्य होने के कारण, उनसे कम से कम अपनी सरकारी वितरण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टाक अधिप्राप्त करने की आशा की गई थी ।

(4) पंजाब सिविल सप्लाई निगम और पंजाब तथा हरियाणा सहकारी विपणन संघों जैसे सरकारी थोक व्यापारियों से अपनी लागत के आधार पर उपयुक्त मूल्य वसूल कर और लाभ की थोड़ी गुंजाइश रखकर निजी व्यापारियों के लिए एक उदाहरण पेश करने की आशा की गई थी ।

वनस्पति का उत्पादन बन्द होना

1492. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री हुक्म चन्द कछवाय
श्री डी० डी० देसाई
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई में वनस्पति एककों ने वनस्पति का उत्पादन बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :(क) और (ख) मई, 1974 के अन्तिम सप्ताह में केवल चार वनस्पति कारखानों ने उत्पादन बंद किया था जिनमें से एक ने मजदूर संकट के कारण तथा अन्य तीन ने अज्ञात कारणों से उत्पादन बंद किया था ।

(ग) जहां तक मजदूर संकट के कारण बंद हुई फैक्ट्री का संबंध है, यह मामला श्रम आयुक्त, बम्बई के विचाराधीन है । अन्य तीनों कारखानों ने जून, 1974 से फिर उत्पादन शुरु कर दिया है ।

नाईट्रोजन का निर्धारण करने वाले बैक्टीरिया के विकास में अनुसंधान

1493. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नाइट्रोजन का निर्धारण करने वाले बैक्टीरिया (नाईट्रोजन फिक्सिग बैक्टीरिया) का विकास करने सम्बन्धी अनुसंधान में हुई प्रगति और इसका उर्वरकों की कमी पर काबू पाने के उपयोग की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैक्टीरिया का उपयोग करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) राइजोबिया के प्रभावशाली किस्में विकसित करने के लिए काफी अनुसंधान हुआ है । ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींचकर दलहनी पौधों की जड़ों में बनी ग्रंथियों में स्थिर करते

हैं। देश के प्रमुख दलहनी पौधों में दालें (जैसे—चना, अरहर, मसूर, मटर, ग्वार', तिलहन (जैसे—सोयाबीन, मूंगफली), चारे की फसलें (जैसे बरसीम, रिजका), हरी खाद की फसलें (जैसे ढैंचा, सनई) और दलहनी वृक्ष और झाड़ियां हैं। विभिन्न वर्गों की फसलों के लिए राइजोबिया की विशिष्ट किस्में विकसित करनी होंगी। राइजोबिया की किस्म की दक्षता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे—फसलें, मिट्टी की संचरना, पहले से मिट्टी में मौजूद नमी की माता व सूक्ष्मजीवी इत्यादि। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रभाग में गमलों और छोटे प्लांटों में किये गये परीक्षणों में कैल्शियम कार्बोनेट, राक फास्फेट, वेन्टोनाइट क्ले, ह्यूमेट्स और जिप्सम को इस्तेमाल कर गोली-तकनीक को सफलता पूर्वक इस्तेमाल किया गया है।

अनेक कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न दलहनी फसलों के लिए इन जीवाणुओं की प्रभावशाली किस्में विकसित की हैं और ये अब किसानों को बेची जा रही हैं।

फसल चक्रों में दलहनों को शामिल करने और चारे के रूप में दलहनी फसलों को उगाने की सिफारिश की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अनेक दलहनी पौधों की खोज की है, जिन्हें खेतों के डौलियों-बंधों पर तथा दूसरे क्षेत्रों में, जहां फसलें नहीं उगतीं, उगाया जा सकता है।

थोक व्यापारियों द्वारा पचास प्रतिशत गेहूं सरकार को दिया जाना

1494. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोक व्यापारियों ने अपने द्वारा खरीदे जाने वाले गेहूं का पचास प्रतिशत सरकार को देने का आश्वासन पूरा नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अधिशेष राज्यों के थोक व्यापारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी खरीदी गई गेहूं का 50 प्रतिशत गेहूं सरकार को 105/– रुपये प्रति क्विंटल की दर पर सरकार को मंडी केन्द्र पर सप्लाई करें। इस लेवी को सख्ती से लागू किया जा रहा है और सरकार को देय लेवी हिस्से को न देने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Foreign aid for Animal Husbandry

1495. **Shri R. V. Bade**
Shri Atal Bihari Vajpayee
Shri Jagannatharao Joshi
} Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state

(a) whether the offers to aid animal husbandry projects have been received from other countries ; and

(b) if so, the names thereof and the nature of help offered by them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) : Yes, Sir.

(b) A statement giving the names of the countries and the nature of help offered is attached.

STATEMENT

Statement showing the names of Countries from whom offers of aid in Animal Husbandry Projects have been received and the nature ot help offered.

Name of country	Nature of help offered
1. Australia .	1. Indo-Australia Project, Barpeta (Assam). 2. Indo-Australia Project, Hissar (Haryana). 3. Central Sheep Breeding Farm, Hissar. 4. Two farms for fodder seed products.
2. Canada	1. Establishment of Amul Heifer Project to switch over from buffaloes to cows in the milk-shed area of Amul Dairy. 2. Estt. of Cattle Farm at Mattawar (Ludhiana Dist.), Pb. for use of Holstein (black and white) strain for improving the breed of cattle in the farm. 3. Gift of 2·25 million tonnes of barley for manufacture of cattle and poultry feed.
3. Denmark	1. Establishment of Indo-Danish Project Hessarghatta (Bangalore). 2. Estt. of Indo-Danish project at Upper Shillong in Meghalaya. 3. Setting up of 5 Frozen Semen Banks at Amritsar Bhopal, Lucknow, Gurgaon & Bangalore. 4. Setting up of a Centre for production of vaccine against foot and mouth disease at Bangalore (Karnataka) & Urlikanchan near Poona.
4. Hungary .	Poultry-breeding, establishment of modern slaughter houses and carcass utilisation centres.
5. New Zealand	Establishment of a Dairy Farm at Palampur (H.P.).
6. Switzerland	1. Indo-Swiss Cattle Breeding Project Mattupatty (Kerala). 2. Indo-Swiss Cattle Breeding Project, Patiala (Pb.)
7. U.K.	1. Manufacture of immunological and biological veterinary products—Foot and mouth disease vaccines, etc. 2. Cross breeding and artificial insemination of cattle in India. 3. Third generation computer for National Dairy Dev. Board, Anand.

In addition to the above, offers of assistance, countries like New Zealand, U. K.. Germany and Ireland have also made offers for supply of frozen semen.

जून 1974 से डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि

1496. श्री पी० गंगादेव
श्री श्रीकिशन मोदी
श्री पुरुषोत्तम ककोडकर
श्री अनादि चरण दास
श्री डी० डी० देसाई
श्री फूल चन्द वर्मा

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1974 से डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका समाज के निर्बल वर्गों और पोषाहार सम्बन्धी पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया है ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है कि डबल रोटी के ऊंचे मूल्यों के कारण आम आदमी को परेशानी न उठानी पड़े ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : दिल्ली को छोड़कर डबल रोटी के मल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। दिल्ली में भारत सुरक्षा नियमों के अधीन मूल्य निर्धारित किए गए हैं। मैदा और अन्य कच्चे मालों के मूल्यों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि हो गई है। माडर्न बेकरीज, जोकि भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान है, यह सुनिश्चित करता है कि उनके उत्पाद का मूल्य कच्चे माल के मूल्य अनुरूप उपयुक्त स्तर पर निर्धारित किया जाए और उनकी डबल रोटी के पौष्टिक तत्व किसी भी हालत में प्रभावित न होने पाएं।

उड़ीसा में वनस्पति का मूल्य नियंत्रित मूल्य से अधिक होना

1497. **श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वनस्पति का मूल्य नियंत्रित मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो काफी मात्रा में वनस्पति उपलब्ध करने और उस के मूल्य को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) केन्द्रीय सरकार वनस्पति के मूल्यों पर नियंत्रण रखती है। समय-समय पर, जैसा कि अब है, जब उत्पादन में कमी होती है तब वनस्पति के मूल्यों में विभिन्न स्थानों में विभिन्न स्तर पर वृद्धि करने की मांग उठ खड़ी होती है जोकि पूर्णतया अनधिकृत है।

(ख) राज्य सरकारों, जो कि प्रवर्त्तन के लिए कार्यभारी हैं, से समय-समय पर यह अनुरोध किया गया है कि वे जमाखोरी और चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने 15 जून, 1974 को वनस्पति के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि की मंजूरी दी थी और उसके बाद उत्पादन में वृद्धि हुई है। तिलहन उत्पादन क्षेत्रों में अनुकूल मानसून होने से आशा है कि खाद्य तेल के मूल्यों में गिरावट आयेगी जिसके फलस्वरूप वनस्पति के उत्पादन तथा सप्लाई में सुधार होगा।

सोया दूध का उत्पादन

1498. **श्री पी० गंगादेव**
श्री डी० डी० देसाई } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में जन उपभोग के लिये सोयाबीन दूध का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के बारे में विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो सोया दूध की लागत क्या होगी ?

(ग) क्या यह दूध, जहां तक इसके खाद्य तत्व और पोषक तत्व का सम्बन्ध है, नियमित दूध के समान होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार का फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर ने सोयाबीन से दूध जैसे पेय पदार्थ तैयार करने की संभावना का पता लगाया है।

(ख) इसकी लागत का अभी हिसाब लगाया जाना है।

(ग) और (घ) : आशा है कि सोया दूध प्रोटीन तत्व की दृष्टि से दूध से तुलनीय होगा।

पांचवीं योजना प्रारूप की शिक्षा योजनाओं का परित्याग

1499. **श्री पी० गंगादेव**
श्री श्रीकिशन मोदी
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
श्री अनादिचरण दास
श्री प्रसन्न भाई मेहता
श्री डी० डी० देसाई
श्री आर०वी०स्वामीनाथन } : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना प्रारूप की कुछ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा योजनायें छोड़कर दी जायेंगी जैसा कि 23 मई, 1974 के अंग्रेजी के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या पांचवीं योजना के शिक्षा कार्यक्रम पर इसका प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) : सितम्बर, 1972 में तैयार किये गये और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये भेजे गये प्रस्तावों को योजना आयोग तथा राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में किए गए विचार-विमर्शों तथा निर्देशों को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा जून, 1973 में उक्त प्रस्तावों को संशोधित तथा अनुमोदित किया गया था। यद्यपि स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित संशोधित प्रस्तावों को योजना आयोग ने मोटे तौर पर स्वीकार

कर लिया है, तथापि पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में शिक्षा क्षेत्र के लिये प्रस्तावित कुल आबंटन को पौष्टिक आहार के अतिरिक्त घटाकर 1726 करोड़ रुपये तक कर दिया गया था। पांचवीं योजना को अभी अन्तिम रूप देना है और तत्पश्चात् ही निर्णय लिये जा सकते हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना के नये संयंत्र दुग्ध के कार्य में प्रगति

1500. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दुग्ध योजना के नये दुग्ध संयंत्र को स्थापित करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : केन्द्रीय सरकार ने पटपड़गंज, दिल्ली में नए डेरी संयंत्र के निर्माण कार्य को टर्नकी आधार पर भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सौंपा हुआ है।

नए डेरी संयंत्र का निर्माण कार्य जिसमें मुख्य परिसंस्करण ब्लाक, रैफ्रीजरेशन बायलर हाउस, वाटर सौफ्टनिंग, बिजली अनुभाग, गैरेज ब्लाक, गोदाम पम्प हाउसिज, वाउन्डरी बाल और आंतरिक सड़कें शामिल हैं, पूरा हो चुका है। सजावट सम्बन्धी कार्य पूरा किया जा रहा है।

दुग्ध परिसंस्करण की आयातित मशीनरी जिसमें एक एक लाख लिटर की क्षमता वाले 6 बड़े दुग्ध संग्रह सिलो पास्तुरीकरण यंत्र अभिशीतक यंत्र, रिकस्टीप्यूशन एण्ड क्लीनिंग-इन-प्लेस मशीनरी शामिल है, पहुंच गई है और लगाई जा रही है। देशीय मशीनरी भी, जिसमें रैफ्रिजरेशन प्लान्ट, एक वायलर, आयल टैंक तथा आयत पाइप लाइन जल तथा भाप वाली पाइप लाइनें और बिजली की चीजें शामिल हैं, पहुंच गई हैं और उन्हें लगाया जा चुका है या लगाया जा रहा है।

भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिये भूमि आयोग

1501. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में भूमि सुधार उपायों की प्रगति की जांच करने के लिये भूमि आयोग गठित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उक्त आयोग कब तक गणित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Rice and Sugar Supplied to Maharashtra

1502. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of rice and sugar supplied to Maharashtra Government by the Central Government during the financial years 1972-73 and 1973-74 ;

(b) the quantity of rice and sugar demanded by the State Government from the Central Government during the said period ; and

(c) the reasons for not supplying the full quota ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The quantity of rice and levy sugar supplied/allotted to Maharashtra during the financial years 1972-73 and 1973-74 is indicated below :—

(Quantity in thousand tonnes

Year	Rice Quantity supplied	Levy sugar Quantity allotted
1972-73	267·100	297·533
1973 74	169·200	308·303

(b) & (c) : Supplies of rice from the Central pool to various States are made keeping in view the overall availability in the Central pool, relative needs of the States and local availability and other relevant factors. However, the quanities of rice demanded by Maharashtra Government during the financial years 1972-73 and 1973-74 were 404 thousand tonnes and 355 thousand tonenes respectively.

As regards sugar, monthly levy sugar quota of each State/Union Territory is fixed on a rational basis after taking into account the population factor, consumption pattern during the years 1967-68 and 1968-69 as well as the quantity of levy sugar available for allotment. Requests for increase in their monthly levy sugar quota was received from Maharashtra Government on a few occasions, e.g. in October, 1973 they asked for increased monthly quota of 36,000 tonnes and in January, 1974, they desired the quota to be increased to 30,000 tonnes. Their requests, however, could not be acceded to due to limited availability.

Demand for Fixation of support price of Wheat at Rs. 125 by Bhartiya Jan Sangh

1503. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether Central Executive Committee of the Bhartiya Jan Sangh has demanded through its proposals to fix the support price of wheat at one hundred and twenty five rupees per quintal : and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) : Government have seen Press Reports in which the Bhartiya Jan Sangh is reported to have suggested announcement of support price of wheat at Rs. 125/- per quintal.

The question regarding fixation of support price of wheat for the next Rabi Season will be considered at the appropriate time.

गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में रेत का बढ़ाव रोका जाना

1504. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य की पटवर्ती उपजाऊ भूमि पर रेत के बढ़ाव को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) : आवश्यक सूचना संबंधित राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम की परिवहन आय में गिरावट

1505. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम की परिवहन आय में 1972-73 में बहुत गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) इस निगम की यातायात आय 1971-72 में 68.70 लाख रुपए से घटकर 1972-73 में 50.08 लाख रुपये रह गई ।

(ख) भाड़ा आय में गिरावट के मुख्य कारण निम्न प्रकार थे :--

(i) संबंधित वर्ष के दौरान निगम की बहुत सी गाड़ियां बहुत समय तक असम में बेकार खड़ी रही ।

(ii) ब्रह्मपुत्र घाटी में व्यापक दंगों के बाद अक्तूबर, 1962 से लगभग दो महीने के लिए निगम की गोहाटी के लिए गाड़ियों का परिचालन वस्तुत: ठप्प रहा । सारे कछार जिले में सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों के सामान्य बहिष्कार के कारण लगभग एक महीने के लिए सिल्चर शाखा के कार्य अस्त व्यस्त रहे ।

(iii) नरगुड़ी पारादीप में दंगों के बाद फरवरी, 1973 में लगभग दस दिन के लिए उक्त क्षेत्र में परिचालन रोकना पड़ा ।

(iv) वर्ष भर श्रमिक अशान्ति ।

(v) निगम की गाड़ियों का लगभग 35 प्रतिशत 8 वर्ष पुराना था और उनका परिचालन अलाभप्रद था ।

(vi) टायरों, ट्यूबों, फ्लैपों, बैटरियों आदि की कमी ।

निगम लाभकारी दरों पर दीर्घकालीन ठेके को प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहा है और अपनी आय में सुधार करने के लिए वह अपनी गाड़ियां निजी ग्राहकों को दे रहा है ।

कपास, मूंगफली और जूट के लिए फसल-बीमा

1506. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास, मूंगफली और जूट के बारे में फसल-बीमा लागू करने के बारे में सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे किन राज्यों में लागू करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) : भारत सरकार और सामान्य बीमा निगम ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में कुछ चुनी हुई फसलों के लिए स्वैच्छिक आधार पर फसलों के बीमे की एक मार्गदर्शी योजना शुरू करने का मामला राज्य सरकार से उठाया है। कपास के लिए ऐसी योजनायें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिल नाडु राज्यों में और मूंगफली के लिए ऐसी योजनाएं गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में चल रहीं हैं। पटसन के लिए ऐसी किसी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। कपास के लिए दो और योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है---एक योजना आगामी सर्दी के मौसम में तमिलनाडु में और दूसरी खरीफ 1975 में कर्नाटक में।

पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी सिंचाई परियोजनाएं

1507. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे काश्तकारों और किसानों को सहायता देने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या व्यवस्था की गई है और सम्बद्ध राज्यों को क्या सुविधायें दी जायेंगी ; और

(ग) उक्त व्यवस्था से किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां। राज्य योजनाओं के साधनों से हाथ में लिए गए सामान्य लघु सिंचाई कार्यक्रमों में देश के पर्वतीय क्षेत्रों में 30 लाख रु० की लागत की योजनायें भी शामिल हैं ताकि छोटे काश्तकारों और किसानों की सहायता की जा सके। इसके अलावा कृषि मंत्रालय पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत दो परियोजनायें क्रियान्वित कर रहा है। इनमें से एक परियोजना उत्तर प्रदेश के पौढ़ी गढ़वाल जिले में और दूसरी मणिपुर राज्य में मणिपुर पश्चिम जिला के नुंगबा सब-डिवीजन में है। लघु सिंचाई इन परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है।

(ख) और (ग) : राज्यों द्वारा सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में केवल लघु सिंचाई योजनाओं के लिए की गई धनराशि की व्यवस्था संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत पौढ़ी गढ़वाल परियोजना के लिए 1973-74 में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए 2 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी और 1974-75 के लिए 3 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। नुंगबा परियोजना में 1973-74 के दौरान लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी और 1974-75 के लिए 25 लाख रु० निर्धारित किये गये हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की योजनाओं में आमतौर से कन्टूर नालियों (कूल्हों) का निर्माण, भण्डारण के छोटे जलाशय तथा छोटी-बड़ी नदियों से उठाऊ सिंचाई शामिल होती है।

राज्यों तथा विश्वविद्यालयों में परीक्षा संबंधी सुधारों को कार्यरूप देना

1508. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य तथा कौन से विश्वविद्यालय उन परीक्षा सुधार को क्रियान्वित करने के लिये सहमत हो गये हैं जिनका सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति ने दिया था ;

(ख) क्या कुछ शिक्षा संस्थाओं तथा शिक्षक संघों के सुझाये गये इन सुधारों के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस आलोचना का स्वरूप क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा सुधार के लिये "कार्यात्मक योजना" को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित 12 विश्वविद्यालयों को चुना था :—

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
2. आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर
3. एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा
4. पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
5. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी
6. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
7. यादवपुर विश्वविद्यालय, यादवपुर
8. पूना विश्वविद्यालय, पूना
9. सागर विश्वविद्यालय, सागर
10. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
11. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास
12. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट ।

इन विश्वविद्यालयों ने कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है तथा कार्यान्वियन समितियां भी स्थापित कर दी है ।

आयोग ने "परीक्षा सुधार-एक कार्यात्मक योजना" नामक प्रलेख को, उसमें सन्निहित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये अगस्त, 1973 में देश के सभी विश्वविद्यालयों में भी भेज दिया था। ये विश्वविद्यालयों के विचाराधीन हैं। आयोग ने इन सिफारिशों पर विचार विमर्श करने के लिये क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी प्रायोजित की हैं। दक्षिणी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के लिये कार्यशाला पहले ही आयोजित कर दी गई है। पश्चिमी क्षेत्र के लिये भी वैसी ही एक कार्यशाला 3 से 5 अगस्त, 1974 तक आयोजित की जा रही है।

सरकार को इन सिफारिशों पर शैक्षिक संस्थाओं तथा अध्यापक-संघों से कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुयी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार "कार्यात्मक योजना" के प्रतिक्रिया सामान्यतया अनुकूल ही रही है।

राज्यों में मध्याह्न-भोजन कार्यक्रम आरंभ करना

1509. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिये मध्याह्न-भोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया है ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को इन राज्यों के अन्य क्षेत्रों में तथा उन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में जिनमें यह कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया है, आरम्भ करने का विचार है ;

(ग) 31 मार्च, 1974 को इस कार्यक्रम से कुल कितने बच्चे लाभ उठा रहे थे ; और

(घ) इस वर्ष कितने बच्चों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : चौथी योजना के दौरान राज्य सेक्टर में केयर नामक अमरीकी संगठन की सहायता से स्कूली मध्याह्न-भोजन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा था। इस के लिए अलग से केन्द्रीय सहायता की कोई व्यवस्था नही थी। यह कार्यक्रम असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और बिहार को छोड़कर सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा था। तथापि, वर्ष 1971-72 में शुरु की गई शिक्षित बेरोजगारी को रोजगार प्रदान करने--प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्रीय योजना तथा जो 1973-74 तक जारी रही--इस योजना के अन्तर्गत दाखिल किए गए अतिरिक्त प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न के भोजन की व्यवस्था करने के लिए प्रशासनिक खर्चों के प्रति केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था थी। इस मामले में भी भोजन केयर द्वारा ही प्रदान किया जाना था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 के दौरान आन्ध्र प्रदेश हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई थी। वर्ष 1974-75 के दौरान भारत सरकार ने न्युनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए एक नई योजना लागू की है और राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को इसके लिए 4.943 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। यह सहायता सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को उपलब्ध हैं। इस बात का निर्णय करना कि किन-किन स्कूलों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों पर निर्भर करता है। जबकि केरल, कर्नाटक, तमिल नाडु तथा पश्चिम बंगाल के सभी जिले इस कार्यक्रम में शामिल हैं ; दूसरे राज्यों में स्थिति वर्ष दर वर्ष बदलती रहती है। वर्ष 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई : केन्द्रीय सहायता केवल भोजन सामग्री के प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जानी है जबकि प्रशासनिक खर्च राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपने आप वहन किया जाना है। वर्ष 1974-75 में केयर संगठन कार्यक्रम के विस्तार के लिए भोजन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

(ग) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की केन्द्रीय योजना, प्राथमिक शिक्षा विस्तार के अन्तर्गत 1973-74 में लाभग्राहियों की संख्या 7, 11,758 है। वर्ष 1973-74 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में शामिल कुल बच्चों की संख्या 11.5 लाख थी।

(घ) वर्ष 1974-75 में इस कार्यक्रम में लगभग दस लाख और बच्चों को शामिल किए जाने की आशा है।

राज्यों में 12 वर्षीय स्कूली पाठयक्रम का क्रियान्वत किया जाना

1510. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक वर्ष 1974-75 से 12 वर्षीय स्कूली पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सहमत हो गये हैं, उनकी संख्या कितनी है, और उनके नाम क्या क्या हैं ;

(ख) क्या ऐसे राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे परिवर्तन के लिए सम्बद्ध राज्य उक्त सहायता को प्रर्याप्त समझते हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनकी मांग पूरी करने के लिये उक्त सहायता में कोई वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ङ) अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र किस तारीख तक उक्त पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दस वर्षीय प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा तथा उसके बाद 2 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा वाली 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा की प्रणाली को अब तक आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने माध्यमिक शिक्षा की परिशाहित प्रणाली लागू की है तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दो वर्षीय पाठ्यक्रम को लागू करने की योजना बना रहे हैं। बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, उड़ीसा, और राजस्थान ने नई प्रणाली स्वीकार कर ली है तथा इसके लिये व्यौरे तैयार कर रहे हैं। अन्य राज्य सरकारें इस मामले पर विचार कर रही हैं। दिल्ली प्रशासन का मई, 1975 से नयी प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव है। अन्य संघ-शासित प्रदेशों के स्कूल अपने अपने शिक्षा बोर्डों द्वारा किये गये परिवर्तनों को अपनायेंगे जिनके साथ वे सम्बद्ध हैं।

(ख) से (घ) राज्यों को विशेष रूप से इस प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता एक मुश्त अनुदान के रूप में आयोजना के अधीन प्राप्त होगी। तथापि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिकरण के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव है।

(ङ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा यथा सिफारिश इस नयी प्रणाली को देश भर में पांचवीं योजना के अन्त तक लागू करने की संभावना है।

माडर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली के प्रबन्धकों द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम का कथित

1511. **श्री वी के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक एसोसिएशन, दिल्ली से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें माडर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली के प्रबन्धकों द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने और अध्यापकों को परेशान करने के बारे में कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या बातें लिखी हुई थी और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) और (ख) : गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक संघ ने लोक सभा को याचिका-समिति को अभ्यावेदन दिया था, जिन्होंने उसकी एक प्रतिलिपि शिक्षा मंत्रालय को डिप्पणियों के लिए भेजी है। मंत्रालय की टिप्पणियां शीध्र ही लोक सभा सचिवालय को भेज दी जाएंगी।

दिल्ली में निजी डबल रोटी निर्माताओं को राज्य सहायता देना बन्द करना

1512. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में निजी डबलरोटी निर्माताओं के मामले में राजसहायता बन्द कर दी है ;

(ख) क्या इसके कारण निजी डबलरोटी निर्माताओं ने डबलरोटी के उत्पादन को बन्द करने की धमकी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दिल्ली के निजी डबलरोटी निर्माताओं को कोई राजसहायता प्रदान नहीं की जा रही थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी मुर्गी फार्मों का पुनरुत्थान

1513. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मुर्गी फार्मों का पुररुत्थान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) जी हां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बंगलौर, बम्बई और भूवनेश्वर स्थित तीन मौजूदा केन्द्रीय कुक्कुट फार्मों को सुदृढ़ कर के उनका विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

(ख) चौथी योजना अवधि के दौरान, देश की कृषि जलवायु संबन्धी परिस्थितियों के अनुकूल बेहतर अंडे देने वाले चूजों की किस्मों का विकास करने की दृष्टि से एक वैज्ञानिक कुक्कुट प्रजनन कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया था । इस प्रकार्यक्रम से काफी संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं। पांचवीं योजना के दौरान प्रजनन कार्यक्रम को तेज करने के लिये प्रजनन-बाड़ों, पिंजरा घरों आदि अतिरिक्त वास्तविक सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम पर 76.32 लाख रु० की रकम व्यय होने की संभावना है । इस कार्यक्रम से इन फार्मों में चूजों की अधिक किस्मों की जांच करने और चयन होने वाली किस्मों के अन्डों के उत्पादन में तेजी से सुधार हो सकेगा ।

दिल्ली में डबल रोटी का उत्पादन तथा उसके मूल्य की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव

1514. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डबल रोटी के उत्पादन की जांच करने तथा दिल्ली में डबल रोटी का उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भावनगर, गुजरात में विक्टोरिया पार्क का विकास

1515. श्री वेकारिया
श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के भावनगर शहर के बाहर विक्टोरिया पार्क का विकास करने के लिए गुजरात सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(ख) पार्क में किस प्रकार का सुधार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल तीन लाख इक्यावन हजार चार सौ बानवे रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

(ख) सुधार कार्यों में छायादार वृक्षों का रख-रखाव तथा नए पेड़ लगाना, 108 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण करना, सुंदरवास बंगलो, भोजनशाला, बच्चों के पार्क की देख-भाल, सड़क की मरम्मत और कृष्ण-कुंज झील की सफाई करना शामिल है।

बघाई, गुजरात में बायोलाजिकल गार्डेन

1516. श्री वेकारिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार बघाई में एक बायोलाजिकल गार्डन की स्थापना करने के बारे में कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) वर्ष 1973-74 के अन्त तक कितनी राशि खर्च की गई ; और

(घ) इस गार्डन में किस प्रकार के पेड़ लगाये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पशु पालन को प्रोत्साहन

1517. श्री कुशोक बाकुला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु पालन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है चूंकि हिमालय सीमावर्ती भूमि के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पशु-पालन पर आश्रित हैं और पशु धन से खाद्य-पदार्थ और ढुलाई के साधन भी प्राप्त होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) पशु पालन को प्रोत्साहन देने के लिये ये उपाय करने का विचार है:—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/उप-केन्द्रों, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रजनन केन्द्रों की व्यवस्था, सांड़ों का वितरण, पशु, भेड़ तथा सूग्रर प्रजनन फार्मों की स्थापना/विस्तार, भेड़ों के भ्रमणशील प्रजनकों के लिए मार्गस्थ कैम्प तथा भेड़ और ऊन विस्तार केन्द्र, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में याक प्रजनन पर कार्य तेज करना, किसानों का प्रशिक्षण, विदेशी नस्ल के पशुओं के साथ चुनींदा तथा संकर-प्रजनन जिसे पशु-चिकित्सा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों के जरिए स्वास्थ्य व्यवस्था का समर्थन मिल सकें और दाने-चारे की सप्लाई की व्यवस्था के जरिए तेज किया जा सके। इसके अलावा लघु कृषिक विकास एजेंसियों तथा सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के जरिए गौण व्यवसाय के कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है।

पांचवीं योजना के दौरान लद्दाख में वनरोपण के लिए धनराशि का आवंटन

1518. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान लद्दाख में वनरोपण और पेड़ लगाने के लिए कितनी राशि खर्च की जायेगी ; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सहायता

1519. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव
श्री हुकम चन्द कछवाह } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में, वर्षवार, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय को कितनी वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता दी ; और

(ख) क्या अनुदानों का पूर्ण रूपेण उपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। तथापि सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगेगा।

विवरण

वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय तथा जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए कुल अनुदान निम्न लिखित हैं :—

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय	1971-72	1972-73	1973-74
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	3,42,82,361	3,63,16,350	3,51,80,412
2.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	4,24,68,402	5,22,69,976	5,69,37,299
3.	जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय	1,10,42,587	1,79,92,110	2,06,11,123

इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ टैक्नोलोजी द्वारा पेट्रोल के स्थान पर अन्य वस्तु का पता लगाया जाना

1520. **श्री मुख्तियार सिंह**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन इस्टिट्यूट आफ टैक्नोलोजी, नई दिल्ली द्वारा पैट्रोल के स्थान पर प्रयोग में लाने जाने वाली अन्य वस्तु का पता लगाने के बारे में कोई प्रगति की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने अन्य इंस्ट्रीटयूट को इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इंस्टिट्यूट ने इस कार्य पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) नई दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किए गए परीक्षणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान पैट्रोल इंजनों अथवा "एथनोल" इंजनों में, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्मित किया गया है, "एथनोल" को, मुख्य संशोधन सहित पैट्रोल के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। भा० प्रा० संस्थान, नई दिल्ली द्वारा इन परिणामों को पेटेंट कराया जा रहा है।

तथापि, वतमान पैट्रोल इन्जनों में बिना किसी प्रकार के मुख्य संशोधन के एथनोल का प्रयोग एथनोल-गैसोलीन सम्मिश्रण के रूप में आरम्भ किया जा सकता है। अब तक किए गए प्रयोगों ने यह दिखा दिया है कि वाहनों में एथनोल गैसोलीन सम्मिश्रण के प्रयोग द्वारा पैट्रोल की खपत में 25 प्रतिशत तक की बचत की जा सकती है।

(ख) जी, नहीं। इस कार्य को संस्थान की सामान्य अनुसंधान क्रियाकलाप के एक भाग के रूप में किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात राज्य में रुई का उत्पादन

1521. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या कृषि मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में लगभग 16 लाख हेक्टेयर भूमि में विभिन्न किस्मों की कपास बोई जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य में इस वर्ष रुई का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) राज्य में कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को कुल कितनी मात्रा में बिनौले का वितरण किया गया ; और

(घ) राज्यों में नई किस्मों की कपास की खेती के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कपास की 7 प्रमुख उन्नत किस्में हैं, जिनकी गुजरात राज्य में खेती होती है। इस राज्य में लगभग 17 लाख हैक्टार का सामान्य क्षेत्र कपास की खेती के अन्तर्गत है।

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान कपास के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1973-74 के दौरान किसानों को 18,824 मीटरी टन उन्नत बीज वितरित किए गए थे।

(घ) यद्यपि नई उन्नत किस्मों के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र के सरकारी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं, तथापि राज्य कृषि विभाग द्वारा दिए गए 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान का अनुमानित क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

किस्में	क्षेत्र हजार हेक्टार में	
	1972-73	1973-74
संकर-4	175.8	364.0
सुजय (3943) . .	26.7	16.3
आई० ए० एन०-579 (188) . .	5.4	3.7
एम० सी० यू०-5	0.7	30.4

गुजरात राज्य में सड़क परिवहन व्यवस्था को पहुंची क्षति

1522. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में आन्दोलन के दौरान सड़कों और परिवहन व्यवस्था को भारी क्षति पहुंची थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में सड़कों और परिवहन व्यवस्था के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त धनराशि की मांग की गई है ; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार गुजरात राज्य में परिवहन के विकास के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिये विचार कर रही है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सम्बन्ध में राज्य में कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) पांचवीं योजना के मसौदे में राज्य योजना के भाग के रूप में, गुजरात में परिवहन क्षेत्र के लिए 92.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

	रुपए करोड़ों में
सड़कें	55.00
सड़क परिवहन	30.00
पत्तन तथा बन्दरगाह	5.75
अन्तर्देशीय जल परिवहन	0.75
पर्यटन	1.00
	92.50

आशा है कि सड़कों के लिए आवंटन से लगभग 1870 किलोमीटर पक्की सड़कों और लगभग 2000 किलोमीटर कच्ची सड़कों का कार्यक्रम चालू किया जा सकेगा । सड़क परिवहन क्षेत्र में कुल लगभग 3772 बसें प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जिनमें बदली के लिए 1632 बसें शामिल हैं ।

(घ) चूंकि पांचवी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अत: उन योजनाओं का ब्यौरा देना समय पूर्व है, जिनके केन्द्रीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यक्रमों के भाग के रूप में चालू किये जाने की सभावना है ।

बिहार को वनस्पति का आवंटन

1523. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य को गत छ: महीने से वनस्पति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का मांग को पूरा करने के लिये राज्य को अतिरिक्त मात्रा में वनस्पति का आवंटन करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य को कितनी मात्रा में वनस्पति का आवंटन किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : विशेषकर मई, 1974 के बाद उत्पादन में गिरावट आने के कारण देश भर में विभिन्न परिमाणों में वनस्पति की कमी महसूस की जा रही है ।

(ख) और (ग) . क्योंकि वनस्पति के संचलन तथा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के बारे में जांच अधिकारी के प्रतिवेदन में विलम्ब

1524. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में जांच अधिकारी ने विलम्ब किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार प्रतिवेदन को शीघ्र अन्तिम रूप देने और सोसायटी के रिकार्ड में गड़बड़ कर लाखों रुपयों का गबन करने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि०, दिल्ली के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति की जांच करने का जो आदेश दिया गया था उसकी रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । जांच पूरी करने में विलम्ब होने का प्रमुख कारण यह है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये बार-बार के प्रयत्नों के बावजूद जांच के लिए आवश्यक कुछ मूल रिकार्ड अभी तक जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं हुये हैं । सोसायटी के वास्तविक सदस्यों की सूची तैयार करने के उद्देश्य से, अखबार में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से उन लोगों से शपथ-पत्र मांगे गये जो सोसायटी का सदस्य होने का दावा रखते थे और अब तक प्राप्त हुये शपथ-पत्रों की जांच अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है । दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत, सोसायटी के सम्बन्धित अभिलेखों को प्राप्त करने हेतु कार्यवाही भी की जा रही है ।

किसानों के पास गेहूं के स्टाक और उनके द्वारा उसकी बिक्री के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना

1525. **श्री मधु लिमये :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के बजट सत्र में घोषित नई गेहूं नीति के अनुसार किसानों के पास गेहूं के स्टाक और उनके द्वारा उसकी बिक्री के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं को सरकार ने देखा है ;

(ख) यदि हां, तो इन अधिसूचनाओं का पाठ क्या है ;

(ग) क्या इन अधिसूचनाओं को जारी करने से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन पर चर्चा की थी ; और

(घ) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को स्वीकृति दे दी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) . उत्तर प्रदेश गेहूं (विक्रय की अपेक्षा) आदेश, 1973, जोकि राज्य सरकार द्वारा भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अधीन 3 अगस्त, 1973 को जारी किया गया था, 31 मार्च, 1975 तक लागू रहेगा। आदेश में मोटे तौर पर यह व्यवस्था है कि विशिष्ट मात्राओं से अधिक मात्रा में गेहूं का स्टाक रखने वाले व्यक्तियों को उसे राज्य सरकार को 105 रुपये प्रति क्विटल पर बेचना होगा। गेहूं के उत्पादन के मामले में विशिष्ट स्टाक की सीमा जिनकी आधे हैक्टर से अधिक जोत नहीं है, उनके लिए 5 क्विटल है और अन्य उत्पादकों के मामले में 15 क्विटल है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश गेहूं की नई नीति के कार्य क्षेत्र में है।

रुई की फसल का अनुमान और इसके मूल्य में उतार-चढ़ाव

1526. **श्री मधु लिमये :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में रुई की फसल के उत्पादन का अद्यतन अनुमान क्या है ;

(ख) क्या वर्ष के दौरान मुख्य किस्मों की रुई के मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव हुआ है और यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा रुई के मूल्यों और अन्य वाणिज्यिक फसलों के मूल्यों के बीच कुछ संतुलन बनाये रखने के लिये कोई प्रयास किये गये जिससे कि एक फसल के स्थान पर दूसरी फसल की अचानक बुवाई न हो और विकास-दर बराबर बनी रहे ; और

(घ) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1973-74 के दौरान कपास के उत्पादन के अंतिम आंकड़े अभी राज्य सरकारों से उपलब्ध नहीं हुए हैं। परन्तु राज्य सरकारों से उपलब्ध हुई रिपोर्टों से अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1973-74 के दौरान कपास का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगा।

(ख) से (घ) . सितम्बर, 1973 से 13 जुलाई 1974 तक के चालू मौसम में कपास की प्रमुख किस्मों के मूल्यों में कई कारणों से वृद्धि हुई है। इन कारणों में आयातित कपास की सप्लाई में अनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि और सिंथिटिक्स के मूल्यों पर क्रूड आयल की कमी का प्रभाव पड़ना आदि शामिल हैं। संकर-4 जैसी लम्बी रेशे की कपास (जिसमें वर्ष 1973-74 के दौरान प्रति कैंडि लगभग 450-500 रुपए की वृद्धि हुई है) के सिवाय, अधिकांश किस्मों के मूल्यों में प्रति कैंडि 1,000 रुपए से 1,300 रुपये तक की वृद्धि हुई है। सरकार ने मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें (i) सूती वस्त्र के कारखानों द्वारा रखे गए गपास के स्टाक पर प्रतिबंध लगाना, (ii) एन० टी० एस० डी० संविदाओं की वैध अवधि को 4 मास से कम करके 1 मास करना, (iii) उद्योग तथा व्यापार दोनों के लिए ऋण की सुविधाओं के विषय में सख्ती बर्तना शामिल है।

सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष विभिन्न. कृषि जिंसों की मूल्य नीति का पुनरीक्षण व निर्धारण करती है। मूल्य नीति एवं विभिन्न फसलों की सम्बन्धित मूल्य संरचना की सिफारिश करते हुए, आयोग अन्य बातों के साथ-साथ भूमि के युक्तिसंगत उपयोग तथा उत्पादन के अन्य संसाधनों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखता है।

1973-74 के कृषि मौसम के लिए प्रमुख खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि की गई थी कच्चे पटसन के न्यूनतम सहाय्य मूल्य भी बढ़ा दिए गए थे।

वर्ष 1973-74 में हुआ चीनी का उत्पादन और निर्माताओं को दी गई रियायतें

1527. **श्री मधु लिमये :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के वर्ष 1973-74 के उत्पादन के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) इस वर्ष में चीनी का उत्पादन बढ़ाने हेतु चीनी निर्माताओं को क्या रियायतें दी गई हैं ; और

(ग) क्या निर्माताओं ने सरकार द्वारा दी गई इन रियायतों के अनुरूप उत्पादन बढ़ाया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) संशोधित अनुमानों के अनुसार, आशा है कि चालू मौसम में चीनी का उत्पादन लगभग 40 लाख मीटरी टन होगा ।

(ख) और (ग). पिछले वर्षों की भांति, चालू वर्ष में भी अतिरिक्त मात्रा में उत्पादित-चीनी पर उत्पादन शुल्क में छूट के रूप में प्रोत्साहन देने की योजना चलती रही । आंशिक विनियंत्रण की नीति को चालू वर्ष के दौरान भी जारी रखा गया है जिससे उद्योग गन्ना उत्पादकों को अधिसूचित न्यूनतम मूल्यों से अधिक लाभकारी मूल्य दे सकें ताकि गुड़ और खंडसारी तैयार करने के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगायी जा सके । इसके परिणामस्वरूप चीनी का उत्पादन 1972-73 के 38.73 लाख मीटरी टन से बढ़ कर चालू मौसम में अनुमानतः 40 लाख मीटरी टन हो गया । यदि विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने के पायरिल्ला का रोग न लगता, सर्दी में कम वर्षा न होती और लम्बी अवधि तक पाला नहीं रहता, तब उत्पादन में और वृद्धि होती ।

पटसन की खेती में कमी

1528. **श्री मधु लिमये :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के मूल्यों में बहुत गिरावट आ जाने तथा कच्चे पटसन की आयात मूल्य नीति की असफलता के कारण आने वाली फसल में पटसन की खेती अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में होने की संभावना है ; और

(ख) वाणिज्य मंत्रालय तथा पटसन निगम के सहयोग से क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). पटसन की बुवाई फरवरी तथा जुलाई के बीच की अवधि में की जाती है वर्ष 1974-75 के दौरान बोये गये क्षेत्र के आंकड़े राज्य सरकारों से उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

परन्तु, यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारतीय पटसन निगम ने 1973-74 के मौसम (पिछले मौसम) के दौरान कच्चे पटसन की कुल लगभग 7 लाख गांठें खरीदी और देश के कुछ अलग-अलग देहाती क्षेत्रों के सिवाय, सारे मौसम के दौरान कलकत्ता में असम बोटम की मूल किस्म के लिये निर्धारित किये गये 125 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम साहाय्य स्तर से ऊपर मूल्यों को बनाये रख सका । आयातित रेशे को समीकरण भंडार के लिये उपयोग में लाया गया और आयात का कच्ची पटसन के आंतरिक मूल्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है । पिछले वर्ष के दौरान निर्यात की गई कच्ची पटसन की मात्रा प्रायः आयात की गई मात्रा के समान ही थी ।

1974-75 के चालू मौसम के लिए सरकार ने देश की समस्त देहाती मण्डियों के लिए कच्चे पटसन का सांवधिक न्यूनतम मूल्य समान रूप से 125 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया है। वर्ष 1973-74 के दौरान कलकत्ता के लिए मूल किस्म के लिए न्यूनतम सांवधिक मूल्य 125 रु० प्रति क्विटल निर्धारित किया गया था और देश की देहाती मंडियों के लिये कम ब्युत्पन्न मूल्य निर्धारित किये गये थे। इस प्रकार पिछले मौसम की तुलना में चालू मौसम के दौरान देश की अन्तर्वती मंडियों के न्यूनतम साहाय्य मूल्यों में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय पटसन निगम चालू मौसम की अवधि में कच्चे पटसन की लगभग 25 लाख गांठों की खरीद करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

केन्द्र शासित प्रदेशों में स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था के बच्चों के लिए पोषाहार योजनायें आरम्भ करना

1529. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, जैसा कि दिल्ली में किया गया है, अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों में स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था के बच्चों के लिये पोषाहार योजनायें आरम्भ की हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) यदि योजना अन्य प्रदेशों में आरम्भ नहीं की गई हैं तो इसके क्या कारण हैं और क्या पांचवीं योजना अवधि में वहां ऐसी योजनायें आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली में स्कूल जाने की पूर्व अवस्था के बच्चों के लिए विशेष पोषाहार योजना

1530. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली में स्कूल जाने की पूर्व अवस्था के बच्चों के लिये विशेष पोषाहार योजना को पूरी धनराशि स्वयं देती है ;

(ख) क्या इन सभी वितरण केन्द्रों में बच्चों के लिये बैठ कर दूध पीने की जगह उपलब्ध नहीं है और इसके परिणामस्वरूप ये बच्चे दूध को घर पर ले जाते हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार ले जाया गया अधिकतर दूध दुकानों में पहुंच जाता है और यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये अब क्या कार्यवाही की जा रही है कि ये बच्चे वहीं पर वस्तुतः दूध पी सकें और इन्हें घर पर दूध ले जाने की अनुमति न दी जाये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषतया गंदे इलाकों में स्थान की कमी के कारण दिल्ली में स्थित अनेक वितरण केन्द्रों में बच्चों के लिए उचित जगह नहीं है। इसलिए कुछ लाभ प्राप्तकर्त्ता दूध को घर ले जाना पसंद करते हैं और उसे वहीं पीते हैं।

(ग) वितरित किए गए दूध के दुकानों में पहुंच जाने की किसी घटना का सरकार को पता नहीं है। बच्चों के माता-पिता से अक्सर सम्पर्क स्थापित किया जाता है और उन्हें बच्चों को पौष्टिक आहार देने का महत्व समझाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि बच्चों को जो दूध दिया जाता है वह उन्हीं को मिले। पता चला है इसका अधिकतर ऐच्छिक प्रभाव पड़ा है।

फसल बीमा के बारे में सामान्य बीमा निगम की योजना

1531. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामान्य बीमा निगम से देश में सफल बीमा के लिए योजना का ब्यौरा तैयार करने को कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच योजना बना ली गई है और यदि हां, तो उसको विशेषकर योजना को लागू करने हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उक्त योजना किन-किन राज्यों में लागू की जायेगी और इस योजना को अन्य राज्यों में लागू न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस समय यह केवल एक मार्गदर्शी योजना है जोकि चुने हुए क्षेत्रों में चुनी हुई फसलों पर स्वैच्छिक आधार पर चलाई जा रही है। ऐसा चुनाव करते समय जिन महत्वपूर्ण बातों को दृष्टिगत रखा जाता है, वे हैं—विकास की कुछ मूल सुविधाओं का विद्यमान होना, समयानुसार आवश्यक आदानों और सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक विश्वसनीय एजेंसी का उपलब्ध होना, आधुनिक विधियों के अनुसार कृषि क्रियाओं की निगरानी तथा उपज के उपयुक्त आंकलन की व्यवस्थाओं/सामान्य बीमा निगम ने भी भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित सघन कृषि विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले चुने हुए क्षेत्रों में मार्गदर्शी योजनायें शुरू करने का भी फैसला किया है।

गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में कपास और गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश में मूंगफली की मार्गदर्शी फसल बीमा योजनायें पहले से ही चालू हैं। कपास की दो और योजनाएं हाथ में लिए जाने की आशा है—एक योजना तमिलनाडु में आगामी शीतकाल में और दूसरी कर्नाटक में खरीफ 1975 में। सामान्य बीमा निगम कुछ अन्य राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार कर रहा है और यथासंभव और अधिक मार्गदर्शी योजनायें हाथ में ली जायेंगी। वित्तीय कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य बीमा निगम केवल सीमित संख्या में मार्गदर्शी योजनायें चला सकता है।

Construction of Culverts on National Highway No. 6 passes through Madhya Pradesh

1532. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :—

(a) whether rain water gets accumulated at various places of the National Highway No. 6 passing through Madhya Pradesh resulting in the blocking of traffic ;

(b) if so, whether Madhya Pradesh Government have sent a scheme to the Centre for construction of culverts at these places ;

(c) if so, action taken by Government thereon ; and

(d) the steps being taken by Government to accord approval to this scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) Yes, Sir. Some reaches of National Highway No. 6 in Madhya Pradesh get submerged during heavy rains and floods, thus causing dislocation of traffic.

(b), (c) & (d) : The Fourth Plan for the development of National Highways in Madhya Pradesh included a provision of Rs. 128 lakhs for replacement of submersible cross drainage structures with high level ones, where the submergence was heavy and for long periods. The Plan also contained a lump sum provision for construction of culverts at places at certain deep low lying locations. The improvement of the rest of the reaches on which submergence was not heavy and was for short periods was not provided in the Fourth Plan. So far estimates for works aggregating Rs. 41 lakhs received from the Govt. of Madhya Pradesh, have been sanctioned, and the works are in various stages of progress depending on the funds available. The estimates for the remaining works are under corres, pondence with the State Govt., and will be sanctioned as and when financial situation permits.

दिल्ली में वनस्पति एककों को नियंत्रण में लेना

1533. **श्री एम० कतापुत्तु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सरकार द्वारा चलाये जा रहे दो वनस्पति एककों में से एक एकक बन्द हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार बन्द किए गए वनस्पति एककों को अपने नियंत्रण में लेने हेतु कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :(क) राजधानी में केवल एक वनस्पति एकक है जिसका प्रबन्ध हाथ में लिया गया है और उसे एक प्राधिकृत नियंत्रक को सौंपा गया है। यह पता लगाया गया है कि उस एकक को बंद करने का कोई इरादा नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन दो मिलों, जो कि लगभग 1 वर्ष तक बन्द रही हैं, का प्रबन्ध हाथ में लेने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय समूह और जनता समूह से ली गई पट्टे की दर

1534. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शरणार्थी कालोनियों के अलाटियों की तुलना में एल० आई० जी० जनता ग्रुप से अधिक दर से पट्टे की राशि ली जाती है ;

(ख) क्या अत्यधिक मूल्य वृद्धि के इन दिनों में एल० आई० जी० तथा जनता ग्रुप के लिए प्रत्येक वर्ष पट्टे की राशि के रूप में इतनी बड़ी रकम देना असम्भव है; और

(ग) क्या उनकी बुरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इसे कम करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेचे जाने वाले फ्लैटों तथा शरणार्थी आबंटियों के सम्बन्ध में भूमि किराया निर्धारित करने का आधार विवरण में दिया गया है। इससे यह मालूम होगा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा पुनर्वास विभाग द्वारा लिये जाने वाले भूमि किराये मे तुलना करने का कोई आधार नहीं है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनता फ्लैटों के सम्बन्ध में लिया जाने वाला मासिक भूमि किराया 1.50 रुपये तथा 2.30 रुपये के बीच तथा निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के सम्बन्ध में 2.50 रुपये तथा 9 रुपये के बीच है तथा यह अत्यधिक नहीं समझा जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1. पुनर्वास पट्टों पर लगाए गए भूमि किराये का आधार :

(i) दिल्ली राज्य में उन स्थलों पर लागू जो सरकार के स्वामित्व में हैं:—पुनरीक्षित शर्तें।

इस पट्टे के अन्तर्गत, भूमि का प्रीमियम विभाग द्वारा निश्चित किये अनुसार लिया जाता है तथा पट्टे धारी को एक रुपया प्रति 100 वर्ग गज वार्षिक के हिसाब से भूमि किराया अदा करना अपेक्षित है। सिवाय पट्टे में दी गई व्यवस्था के इस भूमि-किराये का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

(ii) **पुनर्वास प्रयोजनों के लिए दिए गए 200 वर्ग गज तक छोटे प्लाटों के लिए।**

पट्टे के पहले वर्ष से लेकर 5वें वर्ष तक अर्जन तथा विकास की वास्तविक लागत का 3 प्र० श० केवल भूमि किराये के रूप में लिया जाता है। पट्टे के छटे वर्ष से 20 वर्ष तक, भूमि किराये के अलावा भूमि की अर्जन तथा विकास की वास्तविक लागत का 50 प्र० श०, 15 वार्षिक समान किस्तों में भी वसूल किया जाता है। पट्टे के 21वें वर्ष में पट्टा कर्त्ता द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये अधिकारी द्वारा भूमि किराये का पुनरीक्षण किया जाएगा।

(iii) **ऐसे प्लाट जो बेचे जाते हैं :—**

इस पट्टे के अन्तर्गत प्रीमियम अग्रिम में वसूल कर लिया जाता है और पट्टा धारियों को उन द्वारा दिये गये प्रीमियम के आधार पर भूमि-किराया अदा करना अपेक्षित होता है। इस मामले में, 21 वें वर्ष में भूमि किराया का पुनरीक्षण होता है लेकिन पुनरीक्षित भूमि किराया पहले वर्ष के लिये देय भूमि किराये के 50 प्र०श० से अधिक नहीं होगा।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित फ्लैटों के भूमि-किराये का आधार :

पहले दो वर्ष 1 रुपया प्रति वर्ष प्रति फ्लैट के हिसाब से भूमि किराया वसूल किया जाता है। तदोपरान्त प्रत्येक फ्लैट की भूमि के प्रीमियम के 2½ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से वसूली की जाती है।

गृह-कर तथा जल प्रभार के मामलों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का निर्णय

1535. **श्री इसहाक सम्भली : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को जनकपुरी तथा अन्य कालोनियों में गृह कर तथा जल प्रभार के मामलों पर गत तीन वर्षों से निर्णय नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक निर्णय किए जाने का विचार है ताकि अलाटियों को एकमुश्त भारी रकम न देनी पड़े ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की राजौरी गार्डन तथा जनकपुरी की (40 तथा 80 वर्गगज़ के प्लाटों पर बने मकान) कालोनियों की सम्पत्तियों के मूल्यांकन का निर्णय नहीं किया गया है। जहां तक पानी का सम्बन्ध है, जहां मीटर लगे हैं वहां खपत के आधार पर तथा जहां मीटर नहीं लगे वहां समान दर पर निवासियों द्वारा ये प्रभार अदा किए जाते हैं।

(ख) यह कहा नहीं जा सकता कि यह निर्णय कब तक लिया जायेगा। तथापि, यदि बकाया की राशि बड़ी हो तो उसे आसान किस्तों में वसूल किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण कालोनियों में लगाए गये नलकूप

1536. **श्री इसहाक सम्भली : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में लगाये गये बहुत से नलकूप आरम्भ से ही खराब पड़े हैं क्योंकि उनमें से बहुत से नलकूपों में पुराने तथा बेकार इंजन लगाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घोटाले की जिससे राजकोष को लाखों रुपये की हानि हुई है कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि कोई जांच कराई गई है तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई जांच नहीं कराई गई तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कोई जांच कराने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में लगाये गये नलकूपों में से कोई नलकूप इस कारण खराब पड़ा है क्योंकि उनमें पुरानी और बेकार मशीनरी लगायी गयी है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि अनुसंधान सम्बन्धी दावों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने तथा अधिक उपज देने वाली मेक्सिन गेहूं का अनायोजित प्रचार खाद्य संकट के लिए जिम्मेदार

1537. **श्री ए० के० गोपालन : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश मे उपलब्ध संसाधनों विशेष रूप से जब कि उर्वरक, सिंचाई, श्रम आदि के मामले में इनकी आवश्यकतायें बहुत अधिक है ; की अपेक्षा करते हुए देश में वर्तमान खाद्य संकट

का कारण अंशतः कृषि अनुसंधान को खाद्य की उपलब्धियों के दामों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और अधिक उपज देने वाली मैक्सिन गेहुं के अनायोजित प्रचार ह ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी, नहीं। वास्तव में गेहूं की अधिक उपज देने वाली मैक्सिकन किस्में देश मे बराबर बनी रहने वाली खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई है और सातवें दशक के प्रारम्भ के वर्षों में हमने जो अन्न के मामले में करीब-करीब आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी, उसका बहुत हद तक श्रेय इन्हीं किस्मों की खेती को है। निस्संदेह अधिक उर्वरकों और सिंचाई के प्रयोग से ही इन किस्मों से अधिक उपज प्राप्त होती है, पर प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के सिवा खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने का और कोई उपाय नहीं है और यह पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग और सिंचाई के बिना सम्भव नहीं है। उदाहरण के लिए अकेले पंजाब राज्य में ही सन 1965-66 की तुलना में, जब इन किस्मों की खेती नहीं की जाती थी, गेहूं के उत्पादन में तीन गुना की वृद्धि हुई है और इस समय सारे देश से प्राप्त कुल गेहूं का दो-तिहाई से भी अधिक भाग अकेले इस राज्य से प्राप्त होता है।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में भूमिगत जल का उपयोग

1538. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपने नवीनतम अन्तरिम प्रतिवेदन में राजस्थान में भमिगत जल का शीघ्र लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग ने इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1974 और 1975 के लिये कितना धन आवंटित किया है तथा लागू किए जाने के लिये बनाई गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने रगिस्तान विकास पर अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि घरों में और उद्योगों की जल की आवश्यकता पूरी करने के बाद जहां कहीं भी भूमिगत जल उपलब्ध हो, उसका अधिक मूल्य की फसलों और फलोंद्यानों को उगाने के लिये शीघ्र विकास किया जाना चाहिए।

(ख) आयोग ने इस उद्देश्य के लिये कोई वित्तीय निर्धारण नहीं किया है और न ही इसकी सिफारिश की है। तथापि, भूमिगत जल की खोज और उसके उपयोग के लिये सामान्य राज्य/केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान सहित देश के सभी भागों में जहां कहीं भी व्यावहारिक है, उपाय किये जा रहे हैं।

दिल्ली में सुगम बसों का विस्तार

1539. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुगम बस सेवा नये क्षेत्रों में उपलब्ध कराने, तथा स्टेशन/बस अड्डे तक हल्का सामान ले जाने की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसी सुविधाएं इस समय दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या योजना तैयार की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : राजधानी के अन्य क्षेत्रों के लिए सुगम सेवा के नमूने पर दिल्ली में कुछ और बस सेवाओं को चालू करने की योजना बनाई जा रही है और उसे चरणवार कार्यान्वित करने, का प्रस्ताव है।

इस समय, स्थान की उपलब्धता पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों में प्रति यात्री 10 कि० ग्रा० तक सामान मुफत ले जाया जा सकता है तथा 10 कि० ग्रा० से अधिक सामान, जो 40 कि० ग्रा० से अधिक न हो एक व्यस्क के भांड़े के 50% पर ले जाया जा सकता है। निगम के पास सामान ले जाने वाली सेवा शुरु करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु उन 87 मिन्नी बसों में यात्रियों का सामान ले जाने की व्यवस्था है जो दिल्ली परिवहन निगम के परिचालनात्मक नियंत्रण योजना के अधीन नगर के विभिन्न बाहरी क्षेत्रों से अन्तर्राज्यीय बस अड्डे तथा रेलवे स्टेशनों को चलाई जाती हैं।

कृषि उत्पादन की दर

1540. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन के विकास की वर्तमान दर से देश में कमी की स्थिति काफी समय तक बनी रहने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) तथा (ख) : 1967-68 से 1970-71 तक की अवधि के दौरान कृषि उत्पादन में लगभग समान रूप से वृद्धि हुई। 1971-72 से मुख्य रूप से प्रतिकूल मौसम और उर्वरकों तथा बिजली आदि की कमी के कारण उत्पादन लक्ष्यों से कम हुआ। सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कृषि उत्पादन की दर प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। यद्यपि, प्राकृतिक कारणों और/या कृषि में साधनों आदि की कमी के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ने से बड़े पैमाने पर अभाव के बने रहने की कोई आशंका नहीं है, तथापि खासकर देश के प्रभावित भागों में कुछ कमी हो सकती है।

केरल में राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण

1541. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में उन राष्ट्रीय राजपथों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्हें दोहरा किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सब औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जाएगा और उक्त कार्य किस तारीख तक पूरा हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के निम्नलिखित खण्ड (कोयम्बतूर-पालघाट-त्रिवेन्द्रम-तमिलनाडु सीमा) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 17 (मंगलौर-कन्नानोर-कालीकट (कोजीकोडे) फैरोके-कुट्टीपुरम-पुदुपोनानी-चौघाट-ऋर्णनूर-एडापल्ली) को दोगली तक चौड़ा करने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 47 —राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ सभी मौजूदा इकहरी गली के खण्ड ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 17—कालीकट-कन्नानोर खण्ड ।

(ख) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग 47 का सम्बन्ध है चौड़ा करने एवं सशक्त करने के सभी कार्य एल्लेप्पी के उत्तरी भाग में स्वीकृत किए जा चुके हैं । एल्लेप्पी के ठीक दक्षिण में लगभग 18 कि० मी० के भाग के लिए स्वीकृति दी गई है । लगभग 11 कि० मी० क्वालोन के दक्षिण में स्वीकृति दी गई है । शेष टुकड़ों के लिए, कुछ मामलों में अनमानों की जांच की जा रही है, जबकि अन्य मामलों में और जांच की जा रही है । जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कालीकट-कन्नानोर खण्ड का सम्बन्ध प्रस्तावित खण्ड को चौड़ा करने के लिए संरेखन स्वीकृत किये जा चुके हैं । खंडों के लिए भूमि अधिग्रहण करना वित्तीय कठिनाई के कारण धनाभाव पर स्थगित किया जा रहा है ।

(ग) सभी स्वीकृत कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं । नये कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जा रहा है और उनको पूरा करने की तारीख वित्तीय कठिनाई की वर्तमान स्थिति में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

पांचवीं योजना के दौरान बंजर भूमि के विकास के लिए धन का आवंटन करने हेतु केरल की ओर से अनुरोध

1542. **श्रीमती भार्गवी टनकप्पन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में बहुत अधिक बंजर भूमि पड़ी हुई है जिसे कृषि प्रयोजन के काम में लाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या धन की कमी के कारण राज्य सरकार उसे खेती के योग्य नहीं बना सकी है ;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने कृषि प्रयोजनों के काम में लाने के लिये बंजर भूमि के विकास के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में धन राशि के आबंटन के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कृषि क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में राज्य के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर यथाशीघ्र रख दी जायेगी ।

केरल में चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवहन सुविधाओं संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति

1543. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता से केरल को उपलब्ध की जाने वाली परिवहन सुविधाओं सम्बन्धी लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया था, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) :

(i) **सड़कें:**—केरल राज्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यों के लिए 1600 लाख रुपए तथा अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व के सड़क एवं पुल कार्यों के लिए 47.62 लाख रुपए की व्यवस्था थी। ये व्यवस्थाएं स्वीकृतियां जारी करने के लिए थी । इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए स्वीकृत किए अनुमान 1,776 लाख रुपए के हैं। अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व के सड़क और पुल कार्यों के लिए 47.62 लाख रुपए के हैं। बहुत से स्वीकृत कार्य शुरू किये जा चुके हैं और प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं ।

(ii) **पत्तन :** चौथी योजना अवधि के दौरान, केन्द्रीय प्रयोजित योजना अर्थात् 100% ऋण सहायता के अन्तर्गत विकास के लिए सरकार ने बेपुर पत्तन चुना है जिस पर 112 लाख रुपए का परिव्यय होगा । 31-3-74 तक राज्य सरकार को 10 लाख रुपए पहले ही विमुक्त किये गये हैं । और चालू वर्ष के दौरान 16 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है ।

(iii) **अन्तर्देशीय जल परिवहन :** स्वीकृत कार्यों में तीसरी योजना से आगे लाये गये कार्य शामिल हैं, राज्य सरकार को ऋण के रूप में 121.65 लाख रुपए विमुक्त किए गए ऋण राशि किए गए वास्तविक व्यय (100%) पर आधारित है ।

केरल में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में परिवहन सुविधाओं का लक्ष्य

1544. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल को उपलब्ध की जाने वाली परिवहन सुविधाओं के लक्ष्य को अंतिम रूप दे दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : (1) **सड़कें** : वर्ष 1974-75 के दौरान केरल के लिए केन्द्रीय क्षेत्र सड़क योजनाओं के लिए निर्धारित नियतन, विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र सड़क योजनाओं के लिए विस्तृत कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिये जाने और प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य प्राप्त करने तक :—

1—राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य—240 लाख रुपये

2.—अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की केन्द्रीय सहायतित राज्य सड़कें—10 लाख रुपए। इसके अतिरिक्त, 1974-75 में केन्द्रीय सड़क निधि से केरल सरकार को लगभग 49·90 लाख रुपए की राशि उपलब्ध किये जाने की संभावना है। इन नियतनों का प्रयोग मुख्यत: चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि से अग्रेनीत कार्यों को जारी रखने पर करने का विचार है।

(2) **पत्तन** : पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में कोई नई योजना शामिल नहीं की गई है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में की गई व्यवस्था मुख्यत: चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि से अग्रनीत कार्यों को जारी रखने के लिए है।

(3) **सड़क परिवहन :** केरल सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1974-75 में परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(4) **अन्तर्देशीय जल परिवहन :** चूंकि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अतः लक्ष्य भी उन्हें ही निर्धारित करना होता है।

क्रम सं०	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाखों में)	1974-75 तक दी गई धन राशि (रु० लाखों में)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चम्पाकोरा नहर का सुधार औद्योगिक समूह के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था	112·50	60·59	इन योजनाओं की शेष लागत पांचवीं योजना में आगे ले जाई गई है। ये योजनाएं राज्य सरकार द्वारा निष्पादित की जा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	क्षेत्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था—चवारा नींदकारा जलमार्ग का सुधार	41·50	10·00	रही हैं और लक्ष्य निर्धारित करने उनका कार्य है । परन्तु, राज्य सरकार को धन देने के लिए 1974-75 में केन्द्रीय बजट में
3.	यात्री एवं माल नौकाओं की खरीद (इसके अतिरिक्त, तीसरी योजना को अग्रेनीत योजनाओं के लिए 32·56 लाख रु० की राशि दी गई) ।	30·00	18·50	तीसरी और चौथी योजनाओं के अग्रेनीत कार्यों के लिए 20·00 लाख रुपए की अस्थायी व्यवस्था की गई है ।

Demand of Sugar Mills in U.P. and for Increase in Sugar Prices

1545. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether the sugar mill owners of Uttar Pradesh have asked for an increase of Rs. 100·00 per quintal in the price of sugar; and

(*b*) if so, Government's reaction?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya) : (*a*) : No proposal to increase the levy sugar price by Rs. 100/- per quintal has been received from the Sugar Mills' owners of Uttar Pradesh.

(*b*) : Does not arise.

Irregularities in Super Bazar Delhi

1546. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether Government's attention has been drawn to the news item dated the 24th June, 1974 under the caption "Super Bazar ki Bhul Bhulaina" irregularities in Super Bazar, Delhi, if so the reaction of Government thereto; and

(*b*) whether the distribution system there is based on corrupt practices and the common man is the least satisfied if so, whether Government will take some new steps to improve it, if, so, the steps to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (*a*) & (*b*) : A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(*a*) : Yes, Sir. The Super Bazar authorities have reported that, it is their endeavour to make available supplies of essential article to consumers at reasonable prices. Distribution of articles like vanaspati and controlled cloth is carried out in accordance with the instructions issued by the Delhi Administration, and, in view of limited supplies available, it is not always possible to meet the requirements of all the customers. In order to serve consumers in different areas, the Delhi Super Bazar is running, in all, twelve branches. The Super Bazar had a sales turnover of approximately Rs. 7·13 crores during the cooperative year 1973-74. As regards, alterations in sales counters in the Connaught Circus Branch, the Super Bazar undertakes such changes when there is a need for reorganisation of the lay-out in the overall interest of efficiency of service and convenience of the customers.

(*b*) : The Super Bazar is making every effort to undertake distribution of consumer goods in a fair and equitable manner, with due regard to the needs and convenience of the common man, subject to the limitation of overall shortage of supplies of certain articles. The attention of the Super Bazar authorities is, however, being drawn to this news item, with the request to make further necessary improvements in their services.

Rodents Responsible for Starvation of People

1547. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether the attention of Government has been drawn to the news item in a local Daily dated 24th May, 1974 under the caption "Das crore Janta ke Bhukhe rahne ki Jimmewari Chuhon par" (rats responsible for starvation of ten crores of people); and

(*b*) the extent of truth in it?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) As no precise estimates of the rat population is available, the basis of the report cannot be verified. However, a country-wide programme, namely, 'Save Grain Campaign' has been launched to educate the farmers and other agencies for storing foodgrains in sciehtific methods of rat control. The programme is being further intensified.

राजेन्द्र जलयान पर प्रशिक्षण अवधि में कमी

1548. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षण जहाज "राजेन्द्र" पर प्रशिक्षण अवधि कम कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस कमी से हमारे केडटों के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

इलाहाबाद के किले और लाल किले को भारतीय पुरातत्व-सर्वेक्षण विभाग को हस्तान्तरित किया जाना

1549. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद के किले और लाल किले को रक्षा मन्त्रालय से भारतीय पुरातत्व-सर्वेक्षण विभाग को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हस्तांतरित कब तक कर दिया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां, तथापि यदि आवश्यक हुआ तो नाम मात्र को सैना रखी जाएगी ।

(ख) हालांकि आगरा तथा दिल्ली लाल किले के कुछ भाग शीघ्र ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपे जाएंगे, किन्तु इन किलों के अन्य क्षेत्रों तथा इलाहाबाद किले के कुछ भागों को रक्षा मन्त्रालय द्वारा सैनिक प्रतिष्ठानों को अन्यत्र ले जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं को पूरा करते ही हस्तांतरित कर दिया जाएगा ।

जैविक कीट-नियंत्रण

1550. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैविक-कीट-नियन्त्रण की तकनीक में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) खेतों में इस तकनीक को किस सीमा तक लागू किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जैविक कीट-नियंत्रण की सम्भाव्यता के मूल्यांकन का कार्य काफी समय पहले शुरू किया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन कार्य करने वाली अनेक संस्थाएं इस काम में लगी हुई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपने अधीन चलने वाले कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं आदि से अनेक केन्द्रों में जैविक कीट नियंत्रण के लिए कई अनुसंधान नियंत्रण परियोजनाएं शुरू की हुई हैं। कामन वैल्थ इंस्टीच्यूट आफ वायलौजीकल कंट्रोल ने वर्ष 1955 में बंगलौर में एक केन्द्र स्थापित किया था जो निम्न लिखित कार्यों में सहायता देता रहा है;

1. जैविक नियंत्रण संबंधी समस्याओं के संबंध में सलाह देना
2. भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना
3. विभिन्न प्रकार के कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं का पता लगाने के लिए देश का सर्वेक्षण करना।
4. अपने देश में परीक्षण के लिए प्राकृतिक शत्रुओं को आयात करने में सहायता देना।

भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ कीटों तथा घास पात के प्राकृतिक शत्रुओं की उत्पत्ति के लिए एक मार्गदर्शी योजना शुरू की थी। फरीदाबाद तथा हैदराबाद में जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला संबंधी सुविधाओं वाले दो केन्द्र स्थापित किए गए थे। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गोरखपुर, बंगलौर तथा जम्मू एवं कश्मीर के उपयुक्त स्थानों में तीन और ऐसे ही केन्द्र स्थापित करने का विचार है। यह बात उल्लेखनीय है कि कई कारणों से जैविक नियंत्रण सीमित है क्योंकि प्रत्येक कीट की जाति का प्राकृतिक शत्रु भिन्न भिन्न होता है जिसके कारण नियंत्रण उपायों का प्रयोग सीमित रूप से ही हो सकता है। यह उन परिस्थिति संबंधी कारणों पर भी निर्भर करता है जिन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है।

(ख) कीट नियंत्रण के लिए देश में निम्नलिखित आयातित परजीवियों/परपोषियों के विषय में सफल परीक्षण किया गया था।

(i) **रोडोलिया कार्डीमलीजको,** जो प्रायः लेडी वर्ड बीटल के नाम से प्रसिद्ध है, 1929 में दक्षिण अफरीका तथा कैलीफोरनिया से आयात किया गया था। कीट (कौटोनी कुशन स्केल) नियंत्रण के काम में लाया गया था।

(ii) **अफैलीनस माली** को 1929 में उत्तरी अमरीका से लाया गया था और सेवों पर वूली अफिड के विरुद्ध उपयुक्त सिद्ध हुआ है।

(iii) **प्रोस पैलटेला परनीसिओसी**

इस पर जीवी को 1953 में केलीफोर्निया से और 1958 में स्विटजरलैंड से आयात किया गया था। यह सफल सिद्ध हुआ है और इससे सेन जोस स्केल पैस्ट की संख्या कम हुई है।

(iv) कोचीनील. कीट को 1926 में श्रीलंका से मंगाया गया। इसका मूल उत्पत्ति स्थान अमरीका है। इसका उपयोग दक्षिण भारत में सफलतापूर्वक किया गया है।

Scheme for Construction of Khuda Bakhsh Oriental Public Library Building in Patna

1551. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(*a*) whether Government have prepared a scheme for the construction of a building for the Khudabaksh Oriental Public Library in Patna;

(*b*) if so, the salient features thereof; and

(*c*) the expenditure proposed to be incurred by Government thereon and the time by which it is likely to be constructed?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (*a*) to (*c*). A proposal to construct a new building in place of the present administrative block of the Library as part of Fifth Five Year Plan Schemes is before the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Board. Government will take a decision in the matter after the Board's views have been received.

मैसर्स पटेल सीड्स प्राईवेट लिमिटेड को हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं के लिए जारी किया गया परमिट

1552. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष एक राज्य से दूसरे को गेहूं के लाने ले जाने पर पूर्ण रोक लगा दी गई थी जबकि सरकार ने सम्पूर्ण गेहूं व्यापार को अपने नियन्त्रण में ले लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार की नीति की अवहेलना करके मैसर्स पटेल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड को 8000 टन गेहूं के निर्यात के लिये परमिट दिया था।

(ग) क्या मैसर्स पटेल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने गेहूं को सम्पूर्ण हरियाणा की मंडियों से खरीदा और उसे पचास-पचास किलो ग्राम की बोरियों में महाराष्ट्र को बीज के रूप में भेजा;

(घ) क्या महाराष्ट्र में इस फर्म ने 8000 टन गेहूं 300 रुपये से 400 रुपये प्रति क्विटल के भाव से बेचा; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). अंतर्क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में यह व्यवस्था है कि वास्तविक कृषि प्रयोजनों के लिए आवश्यक गेहूं का बीज उस क्षेत्र की राज्य सरकार द्वारा दिए गए परमिट के अंतर्गत तथा उसके अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में लाया ले जाया जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने 2,000 मीटरी टन गेहूं राज्य से बाहर ले जाने के लिये मैसर्स पटेल सीड्स प्राइवेट लि० को एक परमिट जारी किया था।

(ग) से (ङ). महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि मैसर्स पटेल सीड्स प्राइवेट लि० द्वारा राज्य में लाया गया बीज 40 कि० और 50 कि० की बोरियों में बंद था जिसपर

"टाप क्वालिटी सीड व्हीट पाइजन ट्रीटिड" का लेबल लगा हुआ था । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि मेसर्स पटेल सीड्स प्राइवेट लि० द्वारा राज्य में लाए गए कुल गेहूं में से जिला परिषद्, जलगांव को 300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से केवल 166.15 मीटरी टन गेहूं और 285 रुपये प्रति क्विटल के भाव से जिला परिषद् को 19.78 मीटरी टन गेहूं बीज के तौर पर बेचा था। राज्य सरकार ने बताया है कि बकाया गेहूं का बीज अनधिकृत रूप से खाने के लिए प्रयोग में लाने के जुर्म में इस फर्म पर मुकदमा चलाया जा रहा है और फर्म का स्टाक शील-बंद कर दिया गया है ।

चीनी जांच आयोग का प्रतिवेदन

1553. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई चीनी जांच आयोग ने कुछ महीने पूर्व सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) इस आयोग की सिफारिशों पर यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). आयोग की मुख्य सिफारिशें राष्ट्रीयकरण के प्रश्न से संबंधित हैं जिसकी मांग के संदर्भ में आयोग की नियुक्ति की गई थी और वे विचाराधीन हैं। चालू अधिवेशन के दौरान प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने का विचार है ।

भवन सामग्री के मूल्यों में वृद्धि का जन साधारण पर प्रभाव

1554. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 में और इस समय कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और बम्बई में भवन सामग्री अर्थात् ईंट, सीमेंट, इस्पात, लोहा, चूना तथा रेत के मूल्य क्या हैं;

(ख) इस अवधि में भवन सामग्री के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भवन सामग्री की बढ़ती हुई लागत के कारण कलकत्ता में गृहों का निर्माण कम हो गया है;

(घ) क्या निम्न आय वर्ग के व्यक्ति और छोटे ठेकेदार सामग्री की बढ़ती हुई लागत के कारण अत्यधिक प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में, यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जिन वर्षों की सूचना उपलब्ध है उसे संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8120/74]** ।

(ख) भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है वह इस अवधि के दौरान सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप हुई है ।

(ग) भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण भी मकानों के निर्माण की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है ।

(घ) निर्माण की गतिविधियों में जुटे समुदाय के सभी वर्ग, निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण समान रूप से प्रभावित हुए हैं ।

(ङ) निम्नलिखित बातों के लिए प्रयास किये गये हैं :—

(i) परम्परागत निर्माण सामग्री के उत्पादन में वृद्धि ।

(ii) प्रतिस्थापी/सुधरी हुई/नई निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना ।

(iii) सीमेंट जैसी दुष्प्राप्य निर्माण सामग्री की अंशतः खपत को प्रतिस्थापित करने के लिये राख (फ्लाई एश) जैसे औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग ।

(iv) निर्माण के नये तकनीक प्रवर्तित करना जो सीमेंट और इस्पात जैसी दुष्प्राप्य निर्माण सामग्री की खपत को कम कर सके ।

वनस्पति बनाने के लिए 'फूड लिकर' नामक राजस्थानी तेल का प्रयोग

1555. **श्री सरजू पांडे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 73 वनस्पति निर्माताओं में से अधिकांश निर्माता वनस्पति बनाने के लिये पपैया नामक पेड़ की जड़ों तथा शाखाओं से निकाले जाने वाले 'फूड लिकर' नामक राजस्थानी तेल का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार ने इस बात का सुनिश्चय किया है कि 'फूड लिकर' में ऐसा कोई तत्व तो नहीं है जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकर हो?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सरकार को किसी वनस्पति निर्माता द्वारा 'फूड लिकर' नामक किसी राजस्थानी तेल के प्रयोग किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है कि क्या यह कथित तेल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकर है अथवा नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य अथवा चिकित्सा प्राधिकारियों ने जांच करने हेतु तेल का कोई भी नमूना प्रस्तुत नहीं किया है ।

हैदराबाद हाऊस, नई दिल्ली में उचित मूल्य की दुकान को सप्लाई किये जा रहे गेहूं और चावल की किस्म

1556. **श्री सरजू पांडे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हैदराबाद हाऊस नई दिल्ली में उचित मूल्य की दुकान को राशनकार्डधारियों के लिये अच्छी किस्म का गेहूं और बासमती चावल नहीं मिलता, और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि दुकानों पर राशनकार्डधारियों को वेचने के लिये अच्छे किस्म का अनाज उपलब्ध हो?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) हैदराबाद हाऊस, नई दिल्ली में उचित मूल्य की दुकान को उस उचित औसत किस्म का गेहूं और चावल सप्लाई किया जाता है जोकि केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली की अन्य उचित मूल्य की दुकानों को सप्लाई किया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली के सुपर बाजार में शेल्फों की बुरी दशा

1557. श्री सरजू पांडे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सुपर बाजार पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली में लोहे के अधिकतर शैल्फ और अन्य वस्तुएं बुरी हालत में पीछे खुले बरांडे में रखी गई हैं;

(ख) क्या अधिकतर शैल्फ टेड़े-मेढ़े हो गये हैं और उन्हें जंग लग गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके लिये उत्तरदायी कौन है; और

(घ) सार्वजनिक सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सुपर बाजार के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कुछेक लोहे के रेक्स, जो बिक्री क्षेत्र में कमी करने और उसे सरल तथा कारगर बनाने के परिणामस्वरूप फालतू हो गये थे, इमारत के पिछले भाग में रखे गये थे, जबकि कुछ फालतू रेक्स बेच दिए गए हैं, कुछ रैकों को नई शाखाओं, जिन्हें खोला जा रहा है, में प्रयोग करने के लिए रोक लिया गया है ।

(ख) से (घ) : सुपर बाजार के प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे स्थिति की जांच करें, उक्त सम्पत्ति को हानि और बिगड़ने से बचाने तथा उनका सदुपयोग करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठायें ।

एक मामले में दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतें

1558. श्री एम० ए० गुहानन्दन् : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जून, 1974 को कनाट प्लेस, नई दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा एक लड़के को पीटे जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम के चलते-फिरते न्यायालय से संलग्न कुछ सिपाहियों और

यातायात पर्यवेक्षक अमले द्वारा 19-6-74 को श्री एस० के० दास नामक व्यक्ति के पुत्र की किसी अनुचित बात के लिए जोकि लड़के द्वारा नहीं कही गई बताई गई है, कथित पिटाई के बारे में श्री दास की ओर से शिकायत प्राप्त हुई। यह भी आरोप लगाया गया है कि लड़के को घसीट पर उक्त न्यायालय के मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया जिन्हें लड़के ने इस घटना के बारे में बताया। लड़के को दिल्ली परिवहन निगम के अमले से क्षमा मांगने के लिए कहा गया और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि लड़के को फिर घसीट कर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया और एक और चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया। परन्तु विशेष महानगर मजिस्ट्रेट से मजिस्ट्रेट छपा फार्म की प्रति प्राप्त की गई और जिस से यह ज्ञात हुआ कि लड़के पर यह आरोप था कि उसके जांच पड़ताल करने वाले अमले के साथ बुरा व्यवहार किया और उन्हें कुछ बातें कहीं जो उचित न थीं। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट ने लड़के को चेतावनी दी चूंकि यह एक ऐसा मामला है जिसमें सक्षम न्यायालय ने दंड दिया था, अतः यह मामला दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्राधिकार के बाहर है।

राशन कार्ड पर उर्वरकों का वितरण

1559. श्री सी० जनार्दनन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों को उर्वरकों के उचित तथा समान वितरण को सुनिश्चित कराने हेतु सभी राज्यों में राशन कार्ड पद्धति लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या कुछ राज्यों ने पहले से ही इस योजना को आरम्भ कर दिया है और उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस प्रकार की कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार केवल आयात तथा देशीय उत्पादन से प्राप्त उर्वरकों का राज्यवार आवंटन करती है। किसानों को उर्वरकों का उचित वितरण सुनिश्चित कराने हेतु कार्ड पद्धति लागू करने के संबंध में निर्णय करना राज्य सरकार का काम है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां। कुछ राज्यों ने उर्वरकों के वितरण के लिए कार्ड/परमिट पद्धति पहले ही लागू कर दी है। भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ये राज्य कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु हैं।

सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड से सदस्यता समाप्त किया जाना

1560. श्री भोला मांझी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रैडिट सोसायटी लिमिटेड के सामान्य निकाय की 22 फरवरी, 1974 को हुई बैठक में इसके कुछ सदस्यों की सदस्यता समाप्त किये जाने हेतु उन के विरुद्ध संकल्प पारित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वे संकल्प दिल्ली स्थित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की अनुमति मिल जाने के बाद ही प्रभावी हो सकते हैं;

(ग) क्या रजिस्ट्रार की संकल्पों पर अनुमति प्राप्त होने से पहले ही उक्त सदस्यों की शेष जमा राशि सोसाइटी की रक्षित निधि में जमा कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस अनियमितता को दूर करने तथा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 2 अप्रैल, 1973 को दिल्ली सहकारी सोसायटी नियमावली, 1973 लागू की गयी। इस तारीख को अथवा इसके बाद सामान्य निकाय द्वारा पास किए गए ऐसे संकल्पों को रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, दिल्ली के अनुमोदन की आवश्यकता है। दिल्ली में लागू बम्बई सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1925 और दिल्ली सहकारी सोसायटी नियमावली, 1950 जो 1-4-73 तक दिल्ली में लागू थी, के अन्तर्गत इस प्रकार की किसी पद्धति की व्यवस्था नहीं थी।

(ग) 22 फरवरी, 1974 को निष्कासित दो सदस्यों के अंशदान की बकाया धनराशि को अभी तक सोसायटी की रक्षित निधि में जमा नहीं किया गया है।

(घ) निष्कासित सदस्यों के अभ्यावेदन की पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, दिल्ली द्वारा नियमावली के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए जांच की जा रही है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश समिति में वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि नियम

1561. श्री भोला मांझी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किल में वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि की राशि काटने सम्बन्धी कोई नियम विद्यमान है; और

(ख) यदि हां तो, वे नियम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्य सर्किलों के वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों से किस प्रकार भिन्न हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां, अनुरक्षण कार्य पर लगे अरुणाचल प्रदेश के अस्थायी कार्यप्रभारित कर्मचारियों से भविष्य-निधि हेतु कटौती करने के नियम हैं। तथापि, अरुणाचल प्रदेश के कार्य-प्रभारित कर्मचारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना पर नहीं हैं बल्कि प्रदेश की प्रशासन स्थापना पर हैं। अतः इनको केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश परिमण्डलों के कार्य-प्रभारित कर्मचारी कहना ठीक नहीं है।

(ख) ये नियम एक से ही हैं।

राजधानी में गृह निर्माण कार्य रुक जाना

1562. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गृह निर्माण कार्य रुक गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :
(क) जी, नहीं। सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र की नई इमारतों के निर्माण पर एक वर्ष के लिए केवल अस्थायी प्रतिबंध लगाया हुआ है। सरकार के अधीन चालू कार्यों पर राजधानी में कई स्थानों पर काम चल रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि नई इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध, वित्तीय कठिनाई के कारण लगाया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का संशोधन

1563. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्राधिकार विस्तृत कर दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना

1564. **श्री डी० पी० चन्द्र गोडा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नरतावीय सर्वेक्षण विभाग ने मानव के जीव-वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक विकास का रिकार्ड रखने के लिए चालू योजना के दौरान अपने प्रकार का एशिया में पहला राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थापित करने की परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो मानव संग्रहालय के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट की जांच की है और संशोधन सुझाये हैं जिनकी इस समय जांच की जा रही है।

(ख) मानव संग्रहालय, मुख्य रूप से इन बातों पर जोर देगा (i) मानव की प्रकृति के साथ जीव सांस्कृतिक अनुकूलता तथा उस पर विजय; (ii) मानव सभ्यता का इतिहास; और (iii) भारतीय सभ्यता में एकरूपता तथा विभिन्नता ।

उक्त प्रस्तावित संग्रहालय का उद्देश्य केवल मानव के जीव-विज्ञानीय तथा सांस्कृतिक विकास का रिकार्ड रखना भी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता के जीवन और संस्कृति के चित्रण पर विशेष जोर देते हुए मानव के समकालीन जीवन तथा संस्कृति का एक स्पष्ट लेखा भी तैयार करना है ।

राज्यों में ट्रैक्टरों की आवश्यकता

1565. **श्री डी० पी० चन्द्र गोडा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में, अश्वशक्तिवार ट्रैक्टरों की आवश्यकताएं कितनी कितनी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): ट्रैक्टर (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कृषि-उद्योग निगमों तथा देशी ट्रैक्टरों के विक्रेताओं के पास रजिस्टर्ड की हुई मांग के आधार पर और भूतपूर्व सैनिक एवं रक्षा कार्मिकों के महा निदेशक, पुनर्वास से प्राप्त हुई मांग तथा कृषि-सेवा केन्द्रों, बहु-फसली खेती की परियोजनाओं आदि की अनुमानित मांग को दृष्टिगत रखते हुए, लगभग 60,000 ट्रैक्टरों की मांग का अनुमान लगाया गया है । राज्यवार तथा अश्व-शक्तिवार मांग का व्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

भेड़ों के फफड़ों में कीडों के संक्रमण को रोकने के लिए टीके लगाना

1566. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेफड़ों में कीड़ों के संक्रमण के कारण बहुत सी भेड़ें मर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पशुओं को बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग में कोई वैक्सीन (टीका लगाना) कार्यक्रम शुरू किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं । भेड़ों के फेफड़ों में कीड़ों के संक्रमण से अधिक मौतें नहीं होती, परन्तु इससे भेड़ों की उत्पादकता और विकास पर कुप्रभाव पड़ता है । संक्रमण से प्रभावित पशुओं की मृत्यु मुख्यतः श्वास-क्रिया में होने वाले संक्रमण की वजह से होती है ।

(ख) न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में भेड़ों के फेफड़े में कीड़ों के रोग का नियंत्रण करने के लिए एक सूक्ष्म विकरण टीके का विकास किया गया है, जिसको प्रयोग में लाया जा रहा है । इसमें संक्रमणशील फेफड़ों के कीड़ों के लार्वों को क्षीण करने के लिए रश्मि-विकरण के स्रोत के रूप में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है ।

भारतीय नौवहन निगम का विस्तार कार्यक्रम

1567. श्री एम० एस० पुरती : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के व्यापक विस्तार कार्यक्रम के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है,

(ख) क्या विस्तार कार्यक्रम के लिए संसाधन जुटाने में सरकारी सहायता के अलावा भारतीय नौवहन निगम ने सरकारी स्रोतों से अलग बाहर से सहायता प्राप्त करने का भी कोई संकेत दिया है, और

(ग) यदि हां, तो अगर किन्हीं आसान और उचित शर्तों पर सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय नौवहन निगम ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए जहाज खरीदने का कार्यक्रम तैयार किया है जो सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया गोदी पर कार्य आरम्भ होना

1568. श्री रानेन सेन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया गोदी के सम्बन्ध में नवीनतम दावा यह है कि यहां कार्य अगले वर्ष के आरम्भ में ही शुरू हो सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) नवीनतम संकेतों के अनुसार हल्दिया गोदी परियोजना के अगले वर्ष के शुरू में ही चालू होने की संभावना है।

(ख) खनिज, कोयला, फासफेट सामान्य कार्गों तथा कन्टैनर घाटों और फिंगर जेटी पर के सिविल निर्माण कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। जलपाश प्रवेश के सिविल निर्माण कार्य का 85 प्रतिशत कार्य भी पूरा हो चुका है। खनिज और लौह अयस्क घाटों के यान्त्रिक उपस्करों को गढ़ने का कार्य 77 प्रतिशत तथा 46 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है और संस्थापन कार्य प्रगति पर है। जलपाश प्रवेश के लिए तीन कायसन द्वारों के लिए 87 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 50 प्रतिशत जुड़ाव कार्य पूरा हो चुका है। फिन्गर जेटी के लिए 15 टन उतार क्रेन को लगाने का कार्य प्रगति पर है। निर्मित पुर्जों, ट्रान्सट्रेनर तथा पोटेनर क्रेनों की सुपुर्दगी 1974 के अन्त तक किये जाने की संभावना है। गोदी क्षेत्र में रेलवे नैट-वर्क का निर्माण कार्य 77 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। गोदी बेसिन के अन्दर 65 प्रतिशत निकर्षण कार्य पूरा हो चुका है। हल्दिया में जहाजों के रखरखाव के लिए आदेशित 5 कर्षनावों में से एक पहले ही सुपुर्द की जा चुकी है और शेष 4 कर्षनावों पर 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी वर्ग के लिए 800 आवास गृह पहले ही बनाये गये हैं और 424 मकानों का निर्माण किया जा रहा है। हल्दिया को जाने वाली पहुंच खाड़ी में दो संविदागत निकर्षकों द्वारा संविदागत निकर्षण पहले ही शुरू किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है।

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अध्ययन की नई शाखाओं के विकास हेतु रूस सरकार से सहायता

1569. श्री सी० जर्नादनन : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार भारत में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अध्ययन की नई शाखाओं के विकास के लिए सहायता देने को सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां। सोवियत संध भारत में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, कार्मिकों, तकनीशियनों और कुशल कामगरों को प्रशिक्षित करने में सहयोग देने तथा रूस में भारतीय अध्यापकों को इस के लिए विशेषज्ञों, विशिष्ट उपस्कर तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं के रूप में सहायता देने की व्यवस्था करने के लिए सहमत है।

(ख) 10-12-1966 को हस्ताक्षरित आर्थिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-सोवियत साख करार के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान के चार केन्द्र खोले गए हैं :—

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई में वैमानिकी इंजीनियरी,

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में धातुविज्ञान इंजीनियरी।

(3) उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में अन्वेषण भूभौतिकी, तथा

(4) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में इलैक्ट्रोनिक्स और स्वचलन।

तथा

तकनीशियनों के निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षण के लिए पांच माडल डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे :—

(1) राजकीय पौलिटैक्निक, दुर्ग (म० प्र०) में धातुविज्ञान ;

(2) राजकीय पौलिटैक्निक, रांची (बिहार) में भारी इंजीनियरी ;

(3) एम० एस० विश्वविद्यालय पौलिटैक्निक, बड़ौदा (गुजरात) में तेल और गैस उद्योग ;

(4) एस० वी० राजकीय पौलिटैक्निक, भोपाल (म० प्र०) में मैकेनिकल मशीन बिल्डिंग ; तथा

(5) राजकीय पौलिटैक्निक, हैदराबाद (आंध्र) में रेडियो-इलैक्ट्रानिक्स तथा पावर।

सितम्बर, 1972 में रूस तथा भारत के बीच हस्ताक्षर हुए एक करार के अनुसार स्थापित किए गए आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के अन्तर-सरकारी भारत रूसी आयोग की सिफारिश पर, निम्नलिखित कार्यक्रमों में रूसी-भारतीय सहयोग को और आगे बढ़ाने के उपाय करने का प्रस्ताव है :—

(क) प्रौद्योगिकी विकास के कुछ नए उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा मध्यास्तर की शिक्षा ;

(ख) विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक कार्मिकों का प्रशिक्षण ; और

(ग) अध्यापन, अनुसंधान तथा औद्योगिक विकास के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों का प्रशिक्षण।

तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने के प्रस्तावों के प्रथम सैट को पहले से ही रूसी अधिकारियों को भेज दिया गया है।

कलकत्ता बन्दरगाह पर गेहूं न उतारे जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा किया गया विलम्ब शुल्क

1570. श्री रानेन सेन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम 'गोल्डन नाइट' तथा अन्य जहाजों से कलकत्ता बन्दरगाह पर गेहूं उतारने में असफल रहा और इसे काफी विलम्ब-शुल्क अदा करना पड़ा था,

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) क्या गेहूं उतारने में विलम्ब के कारणों की कोई जांच की गई है और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कलकत्ता बन्दरगाह में कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा न कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा उतरान कार्य किया जाता है।

(ख) कलकत्ता बन्दरगाह में कार्यचालन संबंधी कठिनाइयां होने के कारण 'गोल्डन नाइट' सहित कुछ खाद्य से भरे जहाजों ने चार्टर पार्टी करारों में माल उतारने के लिए अनुमेय निर्धारित समय से अधिक समय लिया था। अतः जहाज के विलम्ब शुल्क के रूप में खर्च की गई राशि का अभी ठीक पता नहीं है क्योंकि प्रभावित जहाजों के टाइम शीट्स को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) कलकत्ता बन्दरगाह पर खाद्य के जहाजों को शीघ्र सम्भालने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं का प्रबन्ध करने से सम्बन्धित प्रश्न को सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है और अब स्थिति में सुधार हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियत वनस्पति के कोटे की दिल्ली में चोर बाजार में बिक्री

1571. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियत वनस्पति का कोटा निर्धारित मूल्य से लगभग 5 रुपए अधिक मूल्य पर चोर बाजार में बेचा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) दिल्ली प्रशासन को किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं की तस्करी के केन्द्र

1572. **श्री एम० कतामुतु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र तरियण्म से तस्करी कर के लाए गए गेहूं के केन्द्र बने हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . हरियाणा और दिल्ली के प्रशासनों द्वारा कड़े प्रवर्त्तन विषयक उपाय करने के बावजूद भी तस्करी की सम्भावना को पूर्णयता समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन ठोस प्रयत्न बराबर किए जाते हैं और स्थिति पूर्णतया: नियन्त्रण में है।

सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को "नान फंक्शनल" भवनों पर धनराशि व्यय न करने के बारे में निदेश

1573. **श्री झारखंडे राय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस आशय के निदेश दिए हैं कि "नान-फंक्शनल" भवनों पर इस वर्ष और धनराशि व्यय न की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य न करने वाले भवन कौन-कौन से हैं और सरकार द्वारा उक्त निर्णय लेने के क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : कठिन आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में मितव्ययता के एक उपाय के रूप में, सरकार ने अगस्त 1973 में निर्णय किया कि "नान-फंक्शनल" भवनों के निर्माण के सभी व्यय को, जिसे अभी शुरू नहीं किया गया है अथवा जिसका अभी तक कुर्सी स्तर से अधिक का निर्माण नहीं हुआ है, रोक दिया जाए तथा 1973-74 के दौरान उनका निर्माण कार्य स्थगित रखा जाए। अब यह निर्णय किया गया है कि निर्माणों पर इस प्रतिबन्ध को 1974-75 के दौरान भी जारी रखा जाए।

इस निर्णय के प्रयोजन के लिए, "नान-फंक्शनल" भवनों का अभिप्राय फैक्ट्री-शैडों, उपस्कर रखने के लिए भवनों आदि को छोड़कर अन्य इस प्रकार के भवनों से है जो कि तकनीकी परियोजना अथवा किसी योजना का अभिन्न अंग हैं तथा जिनमें शिक्षण, प्रशिक्षण अथवा अन्य शैक्षिक या मनोरंजन कार्यों के लिए रिहायशी, कार्यालय, प्रशासनिक अथवा शैक्षिक भवन शामिल हों।

उपर्युक्त निर्णय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में लाया गया था। आयोग से अनुरोध किया गया था कि मितव्ययता बरतने के लिए वह सरकार की नीति को कार्यान्वित करे।

गेहूं से लदे जहाज से माल न उतारने के लिए विलम्ब शुल्क

1574. श्री रानेन सेन : क्या **नौवहन और परिवहनमं मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के पत्तन अधिकारी वहां पर पहुंचे गेहूं और उर्वरक की ढुलाई के लिए भारतीय खाद्य निगम को वैगन सप्लाई नहीं कर सके थे,

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम को समय पर गेहूं से लदे जहाजों से माल न उतारने के कारण काफी विलम्ब शुल्क देना पड़ा था, और

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता पत्तन प्राधिकरण में इस के लिए कौन जिम्मेदार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) विदेशी वंद वैगनों (अर्थात् ट्रंक रेलवे के) जो वर्षाकाल में खाद्यान्न एवं रसायनिक खाद के लदान योग्य हो, की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के बावजूद कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा बाहर भेजने हेतु अधिकतम वैगनों के लदान के लिए सभी प्रयत्न किए गए। इस के अतिरिक्त, पत्तन आयुक्तों ने ट्रांसिट शैडों से गोदी के समीप भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक, इस माल की ढुलाई के लिए अपने बहुत से वैगन देने का प्रस्ताव किया। भारतीय खाद्य निगम प्रतिदिन सड़क द्वारा काफी माल की ढुलाई करता रहा है। हाल की भारी वर्षा से जहाजों से माल कम उतारा गया और वैगनों द्वारा और सड़क द्वारा भी कम भेजा गया। परन्तु, स्थिति में अब सुधार हुआ है।

(ख) खाद्यान्न उतारने के लिए ट्रांसिट शैडों में जगह की कोई कमी नहीं थी और इस लिए वैगनों की कमी के कारण खाद्यान्न के उतारने में कोई विलम्ब नहीं हुआ। इस लिए वैगनों की कमी के कारण खाद्यान्न जहाजों पर विलम्ब शुल्क की अदायगी का कोई प्रश्न नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमालय पर्वत पर पदयात्रा (ट्रेकिंग) को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय

1575. श्री कुशक वाकुला : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय पर्वत पर पदयात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सब से अच्छे पदयात्रियों तथा अत्याधिक कठिन, अनारोहित तथा लगभग अनारोहणीय चोटियों पर चढ़ने वालों को पुरस्कार देने का भी श्रेय है ; और

(ग) देश के उन संस्थाओं के नाम क्या हैं ; जो पदयात्रा और पर्वत अभियानों को आयोजित कर रहे हैं तथा जिनकों केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता देती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) (i) पर्वतों में पदयात्रा को भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से हिमालय पर्वतारोहन संस्थान, दार्जिलिंग नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तर-काशी और भारतीय पर्वतारोहण

प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। दो संस्थान, पर्वतारोहण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैसिक तथा उन्नत पाठ्यक्रमों को चलाते हैं। इस के अलावा, ये पर्वतारोहण संस्थान प्रत्येक वर्ष साहसिक पाठ्यक्रमों का भी संचालन करते हैं। ये संस्थान, चट्टान आरोहण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्कूलों, कालेजों, पर्वतारोहण क्लवों आदि में अनुदेशक भी भेजते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार, रक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्थान् को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश, सरकार उत्तर काशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान चला रही है तथा रक्षा मंत्रालय आंशिक रूप से इस संस्थान को सहायता कर रहा है। मनाली में पश्चिमी पर्वतारोहण संस्थान नामक एक अन्य संस्थान है, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है।

(ii) भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान देश में पर्वतारोहण को लोकप्रिय बना रहा है। यह प्रतिष्ठान पर्वतारोहण, चट्टान आरोहण, तथा साहसिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्वायत्तता प्राप्त निकाय है। यह प्रतिष्ठान शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय से सहायक-अनुदान प्राप्त करता है और अनुमोदित पर्वतारोहण अभियानों के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सलाह देता है।

(iii) विश्वविद्यालयों तथा कालेज के छात्रों में पर्वतारोहण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना का संचालन करती है ताकि विश्वविद्यालय, छात्रों के लिए पर्वतारोही शिविरों का आयोजन कर सकें।

(ख) भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान उन व्यक्तियों को स्वर्ण पदक प्रदान करता है, जिन्होंने पर्वतारोहण में असाधारण कार्य किया है। वर्ष 1965 में कमांडर एम० एस० कोहली के नेतृत्व में भारतीय एवररेस्ट अभियान दल को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

(ग) (i) भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली। (यह संस्थान देश में कई पदयात्रा और पर्वतारोहण क्लवों की सहायता करता है)।

(ii) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग और

(iii) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तर काशी। (ये संस्थान, पर्वतारोहण में बेसिक, उन्नत और साहसिक पाठ्यक्रमों को चलाते हैं। इन पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण में पर्वतों, की पदयात्रा शामिल होती है)।

(iv) भारतीय युवा छात्रावास संघ, नई दिल्ली। (यह संघ, वर्ष 1970 से राष्ट्रीय हिमालय पदयात्रा कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है)।

मद्रास पत्तन पर नौवहन कम्पनियों में असंतोष

1576. **श्री के० लकप्पाह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मद्रास पत्तन पर जहाज़ों के ठहरने का स्थान पर्याप्त न होने के कारण दक्षिण भारत की नौवहन कम्पनियों में भारी असंतोष है और क्या मद्रास को कोयला ले जाने वाले जहाज़ों के देर से पहुंचने के कारण दक्षिण में स्थित मुख्य उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और

(ख) मद्रास में वर्तमान असंतोषजनक पत्तन सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) लाभ कर खैपों की अनुउपलब्धता के कारण कुछ समुद्रपारीय गंतव्य स्थानों को नौवहन स्थान को प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारत के पोतवणिकों के लिए कुछ कठिनाइयों हुई हैं। इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए नौवहन स्थान और जहाज़ों की बारम्बारता को मांग में समन्वय करने के लिए मद्रास पत्तन में पोतवाणिक और पोतवासियों के बीच सम्पर्क व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है। मद्रास में इस मंत्रालय के भाड़ा जांच अधिकारी भी कठिनाइयों के मामले में नौवहन स्थान को प्राप्त करने में पौत वणिकों की सहायता करता है ।

(ख) निर्यात माल या कोयला आयात के लिए यथेष्ट पत्तन सुविधाएं मद्रास पत्तन में उपलब्ध हैं ।

Directive to State Governments to Unearth Foodgrains and other Essential Commodities

1577. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether with a view to checking price rise and scarcity Government have issued orders to State Govrenments to unearth hidden foodgrains and other essential commodities by conducting raids;

(b) if so, which of the State have carried out the said orders; and

(c) its impact on prices?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) : The various Control Orders regulating the trade in foodgrains are being enforced effectively by the State Governments with salutary effect on prices.

Information regarding other essential commodities is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

केरल को शिशु आहार के कोटे में वृद्धि

1578. श्री ए० के० गोपालन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में शिशु आहार की कमी है।

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बार बार अनुरोध किया है कि केरल के शिशु आहार के कोटे में वृद्धि की जाए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) तरल दूध के संग्रहण में गिरावट आने के कारण, शिशु आहार के उत्पादन में कुछ कमी आई है और केरल समेत देश के कुछ भागों में इसकी कमी बताई गई है। इसे निर्माताओं के ध्यान में लाया गया है। उन से कहा गया है कि वे उपचारी कार्यवाही करें और जहां सम्भव हो वहां सप्लाई पहुंचाएं।

खाद के रूप में कूड़े करकट का उपयोग

1579. **श्री रेणुपद दास :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद के रूप में कूड़ा-करकट के विशाल संसाधन का उपयोग करने के लिए सरकार ने अब तक कितनी योजनाएं आरम्भ की हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य और मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद के रूप में व्यर्थ कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करने के लिए राज्य प्लान योजनाओं के रूप में योजना अवधि के दौरान समस्त राज्यों में निम्नलिखित 4 योजनाएं कार्य करती रहती हैं :—

1. शहरी कम्पोस्ट,
2. ग्रामीण कम्पोस्ट,
3. जल-मल/कचरे का उपयोग,
4. हरी खाद,

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं को वृहत स्तर पर आरम्भ किया जाएगा। इसके लिए राज्य योजनाओं में 90 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक प्रति वर्ष 3500 लाख मीटरी टन ग्रामीण कम्पोस्ट और 75 लाख मीटरी टन शहरी कम्पोस्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। हरी खाद डालने के कार्यक्रम को भी यथासम्भव तेज किया जाएगा। जल-मल से होने वाली सिंचाई क्षमता का भी उपयोग करने का प्रस्ताव है :—

इसके अतिरिक्त पांचवीं योजना के दौरान केन्द्रीय कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत 90 करोड़ रुपए की लागत की निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है:—

1. 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में कचरे से कम्पोस्ट खाद का निर्माण करने के लिए 45 यांत्रिकी कम्पोस्ट संयंत्रो की स्थापना करना।
2. जिन शहरों/कस्बों में जल-मल/कचरा आदि की क्षमता मौजूद हैं, वहां जल-मल कचरा उपयोग करने की 300 योजनाओं की स्थापना करना। इन योजनाओं से 24000 हैक्टर क्षेत्र की सिंचाई होगी।
3. कृषि उत्पादन के लिए अच्छी किस्म की खाद और ईंधन के लिए गैस का उत्पादन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1,00,000 गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना करना।
4. कम्पोस्ट सम्बन्धी अच्छा कार्य करने वाली स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देना।
5. कार्बनिक खाद की तैयारी और उपयोग करने के सम्बन्ध में प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कैम्पों की व्यवस्था करना।

कृषि उत्पादन के लिए उर्वरकों की आवश्यकता और इनकी चोर बाजारी को रोका जाना

1580. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1973-74 के शेष महीनों में कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक भिन्न प्रकार के उर्वरकों की मात्रा का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या इस अवधि की अवश्यकता पूरी करने के लिए घरेलू उत्पादन तथा विदेशी बाजारों से आयात की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या उर्वरकों के वितरण के बारे में कालाबाजारी तथा भ्रष्टाचार की बात देश-पर्यन्त फैली हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उर्वरकों के वितरण के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख).

1973-74 के लिए राज्यों की उर्वरक की मांगों का अनुमान पिछले साल लगाया गया था और इनकी सप्लाई की जा चुकी है। अब सरकार 1974-75 के रबी के मौसम के लिए उर्वरक की मांगों का अनुमान लगाने और सप्लाई योजनाएं तैयार करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर रही है। उर्वरकों के देशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहै हैं। तथापि, विश्व की मंडियों में उर्वरकों की कम उपलब्धि की वजह से, उर्वरकों की मांग और उपलब्धि में कुछ अन्तर हो सकता है।

(ग) कुछ राज्य सरकारों ने, चोर-बाजारी करने वाले और उर्वरकों की कमी से फायदा उठाने वाले कुछ बेईमान व्यापारियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजी है।

(घ) सरकार ने, उर्वरकों के वितरण में चोर-बाजारी और भ्रष्टाचारी रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को भ्रष्टाचार में लगे अपराधी व्यक्तियों को पकड़ने और चालान करने के काफी अधिकार दिए गए हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश को विशेष आदेश घोषित किया गया है, ताकि राज्य सरकारें सरसरी सुनवाई करके अपराधी व्यक्तियों को सजा दिलवा सकें। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से चोर-बाजारी और मिलावट आदि भ्रष्टाचारों के मामलों में दंड देने और रोकने के लिए, उनको निहित शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए समय-समय पर अनुरोध करती रही हैं।

पश्चिम बंगाल में राहत कार्य

1581. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया जिलों में भारी खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या कलकत्ता के समाचार पत्रों में बड़े पैमाने पर भुखमरी और भुखमरी से मृत्यु के समाचार प्रकाशित हुए हैं ;

(ग) क्या गत वर्ष की विनाशकारी बाढ़ों से पीड़ित मिदनापुर के कन्टार और तामलुक सब-डिवीजनों के लोग अन्य क्षेत्रों के आदिवासी लोगों के साथ-साथ सबसे अधिक पीड़ित हुए हैं ;

(घ) क्या राहत कार्य आरम्भ करने के लिए सरकार को अनेक अभ्यावेदन दिए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भुखमरी के समाचारों के बारे में तथ्य क्या हैं और लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल सरकार से आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के नये वेतनमानों की क्रियान्विति को आस्थगित करने सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय

1582. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार द्वारा घोषित कालेजों और विश्व-विद्यालयों के अध्यापकों के नये वेतनमानों की क्रियान्विति को आस्थगित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता के शहरी जीवन की स्थिति के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

1583. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के शहरी जीवन की दयनीय स्थिति के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रहीं हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मांग की पूर्ति के लिए उर्वरकों का आयात

1584. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन समाचारों का पता है कि उर्वरकों की कमी बनी रहने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में मांग की पूर्ति के लिए विश्व उर्वरक सप्लाई से उर्वरक प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सौदे की शर्त क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) देश में उर्वरकों की आवश्यकता और देशी उत्पादन से उपलब्धि के बीच जो अन्तर है उसे पाटने के लिए विश्व का मण्डियों से उर्वरक खरीदे जा रहे हैं । तथापि, अन्त-राष्ट्रीय मण्डियों में नाइट्रोजन और फासफेट उर्वरकों की कमी है ।

(ग) उर्वरकों की खरीद के लिए किए जाने वाले करारों की शर्तें अलग-अलग होती हैं और यह करार को अन्तिम रूप देने के समय में मौजूद मंडी की स्थिति पर निर्भर करती है ।

वाइस प्रिंसिपलों और प्रिंसिपलों की नियुक्ति और उनको पदोन्नत करने के लिए दिल्ली प्रशासन के भर्ती नियम

1585. **श्री अम्बेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने हायर सैकैन्ड्री स्कूलों के वाइस-प्रिंसिपलों और प्रिंसिपलों के पद के लिए नियुक्त और पदोन्नति के सम्बन्ध में भर्ती नियमों के परिवर्तन करवा लिया है और संघ लोक सेवा आयोग से उन पर स्वीकृति ले ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) प्रिंसिपल के पद के दर्जे को बढ़ाकर श्रेणी-1 कर देने के परिणाम स्वरूप, प्रिंसिपल के पद के भर्ती नियमों को परिवर्तित कर दिया गया था और उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित भी करा लिया गया था । उप-प्रिंसिपल के वर्तमान भर्ती नियमों में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रिंसिपल के पद के परिवर्तित भर्ती नियमों और उप-प्रिंसिपल के वर्तमान भर्ती नियमों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8120/74 ।**]

दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अध्यापकों को आरक्षण के आधार पर दिया गया 'सलेक्शन ग्रेड'

1586. **श्री अम्बेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कितने अध्यापकों को संवर्गवार, दिल्ली प्रशासन, द्वारा आरक्षण के आधार पर "सलैक्शन ग्रेड" दिया गया ; और

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसी अध्यापक को "सेलैक्शन ग्रेड" नहीं दिया है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि 21 मार्च 1973 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3959 के उत्तर में यह कहा गया था कि "सेलैक्शन ग्रेड" के सम्बद्ध पदों पर लागू होने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के आदेशों को ध्यान में रखते हुए. . . ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अध्यापकों के लिए सेलैक्शन ग्रेड के पदों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटन में प्राथमिकता

1587. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके नाम तीन वर्ष से अधिक समय से निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत हैं तथा फ्लैटों के आवंटन हेतु लाटरी में जिनके नाम नहीं निकले हैं ;

(ख) दिल्ली में आवास समस्या को हल करने में ऐसी योजना का उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है जबकि उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण में एक लम्बी अवधि से नाम पंजीकृत कराने के बावजूद भी केवल लाटरी पर निर्भर रहना पड़ता है; और

(ग) क्या फ्लैटों के आवंटन हेतु ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण और विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) निम्न आय वर्ग में 670 व्यक्ति तथा मध्यम आय वर्ग में 1015 व्यक्ति।

(ख) लाटरी द्वारा आवंटन को आवंटन का न्यायपूर्ण तरीका समझा जाता है। पहले पंजीकृत व्यक्तियों से कुछ व्यक्तियों ने जहाँ फ्लैट उपलब्ध थे उन क्षत्रों में आवंटन स्वीकार करने की अपेक्षा अपनी इच्छा के अनुकूल क्षत्रों में फ्लैट लेने के लिए प्रतीक्षा करना बेहतर समझा।

(ग) जी, नहीं।

निम्न आय वर्ग के लिए आवास योजनाओं के वित्त-पोषण की नीति

1588. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण सामग्री के ऊंचे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निम्न आय वर्ग के लिए आवास योजनाओं का वित्त-पोषण करने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) निम्न आय वर्ग आवास योजना, समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना तथा इस मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई अधिकांश अन्य सभी समाजिक आवास योजनाएं, राज्य क्षेत्र में हैं। वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारों को निम्न आय वर्गों के लिए आवास योजना सहित सभी राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता, 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में देता है। राज्य सरकारें, राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए जिनमें आवास भी शामिल है, अपनी आवश्यकताओं तथा प्रशिक्षण प्राथमिकताओं को तय करके उनके लिए निधियों का नियतन करने में स्वतंत्र हैं। गृह निर्माण सामग्री की ऊंची कीमत होने के कारण, निम्न आय वर्गों के लिए राज्य क्षेत्र की आवास योजनाओं के लिए पृथक रूप से वित्त व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पांचवीं योजना के दौरान राजस्थान के रेगिस्तान के विकास के लिए धनराशि

1589. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं अवधि के दौरान राजस्थान के रेगिस्तान के विकास के लिए अनन्तिम रूप से कितनी धनराशि नियत की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : पांचवीं योजना में रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। तथापि, पांचवीं योजना में 13 राज्यों, जिनमें राजस्थान भी शामिल है, के चुने जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम नामक एक योजना कार्यान्वित की जायगी।

राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये 10 सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम वाले जिलों में से 8 जिले अर्थात जोधपुर, नागपुर, बीकानेर, पाली, चूरु, जैसलमेर, बारमेड़ रेगिस्तानी जिलों के रूप में श्रेणीकृत किये गये हैं। पांचवीं योजना में इन रेगिस्तानी जिलों के लिए केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर अंशदान के सिद्धांत पर कुल 48 करोड़ रुपये का आवंटन किए जाने की आशा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण के पुनरीक्षण के लिए समिति

1590. **श्री पीलू मोदी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों की, विशेषकर समन्वय और उच्च शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करने की जांच करने तथा अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावशाली रूप से निभाने के लिये प्रेरक उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति तथा शिक्षा आयोग (1964–66) के सदस्य, श्री बी० एस० झा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। समिति के अन्य सदस्य हैं—डा० आर० सी० महरोत्रा, रसायन शास्त्र के प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय, तथा पश्चिम बंगाल सरकार के भूतपूर्व शिक्षा सचिव, डा० भावतोष दत्त। आशा की जाती है कि समिति अपना कार्य शुरू करने के बाद छः मास की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप से तैयार कर लेगी।

पाठ्य-पुस्तकों के लिए कागज देने हेतु राज्यों का अनुरोध

1591. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश की तरह अन्य राज्य सरकारों से पाठ्य पुस्तकों के लिये उपयुक्त कागज देने का अनुरोध मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर, कागज उद्योग ने विभिन्न राज्य सरकारों को पाठ्य पुस्तकों के लिए 12,191 टन कागज आवंटित किया है जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है।

राजस्थान में सीमान्त सड़कों का विकास

1592. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सापान्त सड़कें कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन वर्षों में राजस्थान राज्य के सीमावर्ती जिलों के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इस योजना पर कितना व्यय हुआ,

(ख) राजस्थान के किन जिलों में सीमावर्ती सड़कों के विकास के लिए धन व्यय किया गया है,

(ग) गत तीन वर्षों में राजस्थान में कुल कितने मील लम्बी उक्त सड़कों का निर्माण हुआ, और

(घ) क्या योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का अधिकांश भाग व्यपगत हो गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से मुख्यतः संबंधित है जोकि केन्द्रीय विषय है। उनके विकास और अनुरक्षण पर आने वाला सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है। अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व को कुछ चुनी हुई सड़कों/पुलों के लिए ऋण के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। कुछ

अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कुछ विशेष सड़कों के लिए सहायता अनुदान के रूप में और धन की भी व्यवस्था की जाती है। माननीय सदस्य शायद विशेष सड़कों का उल्लेख कर रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में विशेष सड़कों के लिए आवंटित राशि और उन पर किये गये वास्तविक खर्च को निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है :—

	विकास और निर्माण के लिए स्वीकृत राशि	वास्तविक खर्च	
		विकास और निर्माण पर	अनुरक्षण और मरम्मत पर
		(रुपये लाखों में)	
1971–72	156.13	170.45	34.12
1972–73	16.97	29.42	10.00
1973–74	37.27	3.43†	46.18

†जनवरी 1974 तक

किसी वर्ष में विशेष सड़कों के लिए राज्य सरकारों को आवंटित धन उस वर्ष के दौरान कम खर्च होने की हालत में समाप्त नहीं हो जाता। अप्रयुक्त शेष रकम अगले वर्षों के दौरान भी खर्च के लिए उपलब्ध रहती है। यह राशि सभी राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर मंजूर की जाती है, न कि जिला बार।

स्कूलों और कालेजों में भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना

1593. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया ने मांग की है कि समूचे भारत के स्कूलों तथा कालेजों के पाठ्यक्रम में भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों को राजी करने हेतु क्या कार्यवाही की है कि वे इस दिशा में आवश्यक कदम उठायें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) जी नहीं।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

कोचीन पत्तन में सुपर टैंकर बर्थ निर्माण

1594. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में सुपर टैंकर बर्थ का निर्माण करने के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उटता ।

केरल में खेल-कूद स्कूलों की स्थापना

1595. श्री वयालार रवि : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में खेल-कूद स्कूल स्थापित करने से सम्बन्धित केरल सरकार के अनुरोध के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) और (ख) : खेल-कूद स्कूलों की स्थापना करने की योजना को, पांचवीं योजना के प्रस्तावित विनिधान के अनुसार अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। जिस रूप में योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा, उसके अनुसार ही उनके स्थान के प्रश्न पर निर्णय किया जायेगा ।

पौलेंड, इटली और मैक्सिको से जहाजों का खरीदा जाना

1596. श्री ए० के० गोपालन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोलैन्ड और इटली से जहाज खरीदने और मैक्सिको में एक प्राइवेट यार्ड खरीदने का हाल ही में निर्णय किया है,

(ख) क्या मैक्सिको की अपेक्षा पोलैन्ड और इटली की मूल्य सहित अन्य शर्तें निःसन्देह अधिक आकर्षक होने के बावजूद सरकार ने मैक्सिको से 10 जहाज आयात करने का निर्णय किया है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि विशिष्ट विवरण इस प्रकार बनाया गया है कि मैक्सिको की फर्म ही कैसे जहाज सप्लाई कर सकती है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नौवहन कंपनियां निजी और सरकारी क्षेत्र में विदेशों से व्यापार पोत खरीदती है। मुगल लाइन ने 10.30 करोड़ रुपये की कीमत पर 55000 डी० डब्लू० टी० के खुले मालवाहक के लिये पोलैन्ड के शिपयार्ड को क्रयादेश दिया है। इटली या मैक्सिको को जहाजों के लिये किसी भी नौवहन कम्पनी ने क्रयादेश नहीं दिया हैं।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते ।

ग्रामीण मेधावी बच्चों को वित्तीय सहायता देने की योजना

1597. **श्री बेकारिया :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण मेधावी बच्चों को हायर सेंकेण्ड्री शिक्षा देने के लिये प्रेरित करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिये उनका पता लगाने के लिये विशेष योजना चलाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो चयन की रीति क्या है ;

(ग) 1973-74 में राज्यवार कितने बच्चे चुने गए हैं ; और

(घ) कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी हां। "ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों" नामक एक योजना 1971-72 में शुरु की गई थी, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को 10 हजार छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ;

(ख) चयन एक परीक्षा के आधार पर किया जाता है, जिसका आयोजन इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशसानों द्वारा किया जाता है तथा प्रत्येक समाज विकास खंड में से दो श्रेष्ठ छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आर्थिक सहायता की मात्रा नीचे दी गई है :—

(अ) **चुने हुए स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए :**

छात्रावास अथवा स्वीकृत बोर्डिंग हाउस में रहने वाले छात्रों के लिए	1000 रुपये प्रति वर्ष (100 रुपये की 10 किस्तों की दर से)
दिवा छात्रों के लिए	500 रुपये प्रति वर्ष (50 रुपये की दस किस्तों की दर से)

(आ) **अपनी पसन्द के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए :**

1. उन छात्रों के लिए जो अपनी पसन्द के ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां शिक्षा शुल्क लिया जाता है.... 250/- रुपये प्रति वर्ष।	दो समान किस्तों में देय, पहली स्कूल वर्ष में तथा दूसरी किस्त वर्ष के दूसरे आधे भाग में।
2. उन छात्रों के लिए जो अपनी पसन्द के ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है—150/- रुपये प्रतिवर्ष।	

विवरण

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1973-74 के दौरान चुने गए छात्रों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	648
2. बिहार	1174
3. गुजरात	348
4. पंजाब	450
5. हरियाणा	178
6. केरल	288
7. मध्य प्रदेश	772
8. महाराष्ट्र	690
9. तमिलनाडु	518
10. मैसूर	700
11. उड़ीसा	628
12. राजस्थान	394
13. उत्तर प्रदेश	721
14. नागालैण्ड	42
15. मेघालय	21
16. हिमाचल प्रदेश	482
17. अंडिमान और निकोबार द्वीपसमूह	10
18. चण्डीगढ़	1
19 दादरा और नागर हवेली	10
20. दिल्ली	10
21. पाण्डिचेरी	6

आदिवासी शिक्षा का सर्वेक्षण

1598. **श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा आदिवासी शिक्षा का सर्वेक्षण आरम्भ किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सर्वेक्षण आदिवासी शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए व्यापक होगा; और

(ग) सर्वेक्षण कब आरम्भ किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) आदिवासी शिक्षा का अलग से सर्वेक्षण करने का कोई इरादा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आरम्भ किये गये तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण में आदिवासी शिक्षा के पहलु भी सम्मिलित हैं। सर्वेक्षण के मार्च, 1975 तक पूरा होने की सम्भावना है।

महाराष्ट्र में मछली पकड़ने के प्रमुख बन्दरगाहों के स्थान

1599. **श्री शंकरराव सावंत : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मछली पकड़ने के प्रमुख बन्दरगाहों के स्थानों का निश्चय करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना के लिये किन बन्दरगाहों के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(घ) इस परियोजना की वर्तमान सामान्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) महाराष्ट्र में एक बड़ा मात्स्यकी बन्दरगाह बनाने की जगह के बारे में अभी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) : अगस्त, 1969 में 474.06 लाख रुपये की अनुमानित लागत से ससून गोदी बम्बई में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एक बन्दरगाह का निर्माण करने के लिए शुरू में स्वीकृति दी गई थी। तथापि जब बन्दरगाह में निर्माण कार्य के लिये जहाजी अवयवों के निर्माण हेतु भाव प्राप्त होने पर यह स्पष्ट हो गया कि इसके लिए कुल 15 करोड़ रु० की लागत आएगी। लागत में वृद्धि और प्रमुख बन्दरगाहों पर मात्स्यकी पत्तनों के निर्माण के लिए उपलब्ध सीमित धनराशि की दृष्टि में ससून गोदी (बम्बई) में 5.5 करोड़ रु० की लागत से सीमित मात्रा में निर्माण-कार्य हाथ में लेने का निर्णय किया गया था। इसी बीच राज्यसरकार ने राज़पुरी की खाड़ी की तुलना में अगरडंडा को तरजीह दी, और बाद में 3 जुलाई, 1974 को योजना आयोग में हुई एक बैठक में इस सारे मामले की दुबारा छानबीन कराने का फैसला किया गया था।

रत्नगिरि बन्दरगाह में पनकट दीवार

1600. **श्री शंकरराव सावन्त : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नगिरि बन्दरगाह में पनकट दीवार की लम्बाई के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो यह कितनी है, यदि नहीं तो निर्णय लेने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है,

(ग) इस पनकट दीवार के लिये महाराष्ट्र सरकार ने कितना ऋण मांगा है,

(घ) ऋण की कितनी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दे दी गई है और कितनी राशि देने का विचार है, और

(ङ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई पूरी ऋण राशि न देने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ङ). 1500 फुट से आगे पनकट दीवार का विस्तार एक नई योजना मानी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने पनकट दीवार के विस्तार के लिये 100 लाख रुपये की और ऋण सहायता माँगी है। परन्तु केन्द्रीय प्रायोजित छोटे पत्तन योजना के लिये पांचवीं योजना के प्रारूप में व्यवस्था आगे लाई गई योजनाओं तक सीमित रखी गई है और नई योजनाओं के लिये किसी भी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई है। रत्नगिरि के और विकास की व्यवस्था राज्य सरकार को राज्य योजना के भाग के रूप करनी होगी।

मुगल लाइन्स द्वारा कोंकण तट पर यात्री भाड़े में वृद्धि

1601. श्री शंकर राव सावंत : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण तट पर यात्री यातायात मुगललाइन्स के हाथों में आने के बाद कोंकण तट पर यात्री भाड़े में कितनी बार तथा कितनी वृद्धि की गई;

(ख) क्या इस अवधि में माल भाड़े में की वृद्धि की गई है और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) नवम्बर 1973 में मुगल लाइन के कोंकण यात्री सेवा को अपने हाथ में लेने के बाद से सभी प्रकार के जहाजों का यात्री भाड़ा पिछले स्तर से अधिक कुल के 40 प्र० श० तक 14-11-1973 और 8-4-74 को दो बार बढ़ाया गया ।

(ख) और (ग) कुछ पार्सल और सामान को छोड़कर कोई अन्य माल कोंकण यात्री जलयानों से नहीं लेजाया जाता। पार्सल और सामान की दरें भी यात्री भाड़े के रूप में कुछ हद तक बढ़ाई गई हैं।

Area of Cultivable Land Ploughed by Tractor/Bullocks

1602. Shri Shive Kumar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total area of cultivable land in the country;

(b) the area out of it ploughed by tractor as also by bulocks, saparately;

(c) whether the fixation of ceilings on agricultural land has had any impact on the prices of tractors; and

(d) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Total cultivable area in the country is placed at 180·8 million hectares, comprising 141·2 million hectares of net area sown, 20·2 million hectares under fallow land, 4·3 million hectares under miscellanous tree crops groves not included in the net area sown and 15·1 million hectares of culturable waste land. These figures relate to land use statistics for the year 1970-71.

(b) to)(d) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Central Responsibility for Housing and Slum Programmes

1603. **Shri Shiv Kumar Shashtri :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Ministers of Works and Housing of the States have suggested that the responsibility for the implementation of minimum housing requirements and clearance of slum programmes during the Fifth Plan period should devolve on the Centre;

(b) the reaction of the Central Government thereto, and

(c) the procedure likely to be followed in regard to assistance for building houses in rural areas?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) & (b) : The Conference of State Ministers of Housing and Urban Development held at Madras from the 31st May to 2nd June, 1974, has recommended that the Schemes (i) for Provision of House-sites to Landless Workers in Rural Areas and (ii) for Environmental Improvement in Slum Areas should continue to be in the Central Sector as before even during the Fifth Five Year Plan with 100 per cent grant assistance. No decision on this recommendation has yet been taken.

(c) : The Village Housing Projects Scheme, which provides for rural Housing, is in the State Sector, Central Financial assistance for all State Sector Programmes, including rural housing, is released by the Ministry of Finance to the State Governments in the shape of 'block loans' and 'block grants'. The State Governments are free to earmark funds for various State Sector Schemes including rural housing, according to the requirements and priorities to be determined by them. As regard the scheme for Provision of House-sites to Landless Workers in Rural Areas, the beneficiaries are expected to construct houses/huts on the sites allotted to them with their own resources or with such help as the State Governments and other agencies may render to them.

वायु संदूषण पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्ताव

1604. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक केन्द्रीय कानून बनाकर उसके अन्तर्गत कानूनी प्रतिबन्ध के द्वारा वायु संदूषण पर नियंत्रण के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक प्राप्त हुआ था तथा इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) तथा (ख) निर्माण और आवास मंत्रालय में महाराष्ट्र सरकार से वायु प्रदूषण नियंत्रण पर कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, यह मंत्रालय वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने पर कार्रवाई कर रहा है ।

राज्यों में लम्बे फासले के नये बस मार्ग खोलने पर प्रतिबन्ध

1605. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि लम्बे फासले के नये बस मार्ग न खोले जाएं और विद्यमान बस मार्गों की सीमित किया जाये और पोषक सड़कों पर बसों की संख्या भी कम की जाये ताकि ईंधन की खपत में किफायत की जा सके।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि पैट्रोल और तेल उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने से आम लोग अपने वाहन रखने की स्थिति में नहीं रहे है और इस कारण सार्वजनकि परिवहन व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या सावधानी बरती गई है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाने की दृष्टि से पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पैट्रोल की कीमत में वृद्धि और इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध के कारण व्यक्तिगत परिवहन से महानगरीय शहरों में सरकारी परिवहन की और दवाव रहा है। बस सेवाओं को सशक्त और सुधार करने के लिये अल्पकालीन प्रस्ताव जिनसे जल्दी से लाभ होने की संभावना है के कार्यान्वयन के लिये महानगरीय शहरों में परिवहन उपक्रमों को वितीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

Construction Work of Drains and Roads in a D.D.A. Colony

1606. Shri Chandika Prasad : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the construction work of drains and roads in street Chetram in Manujpur colony of Delhi-Shahdara area which was started by the Delhi Development Authority has bee discontinued now;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which it will be completed?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) : Delhi Develppment Authority has not carried out any work in Chetram street. This street does not form part of Maujpur village.

(b) & (c) : Do not arise.

दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन-1 कालोनी में मकान बनाने की अनुमति देने के सम्बन्ध म दिल्ली विकास प्राधिकरण की उपसमिति का प्रतिवेदन

1607. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 15 अप्रैल, 1974 के अतांरिकित प्रश्न संख्या 6610 के उत्तर से सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिलशाद-गार्डन एक्सटेंशन-1 कालोनी में मकान बनाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण की उप-समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उप-समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले और सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) उक्त कालोनी का कितना क्षेत्र योजना आवश्यकताओं के लिये अर्जित किया गया है अब तक कितना मुआवजा दे दिया गया है और शेष कितनी राशि के लिये झगड़ा है।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन-I कालोनी में कोई भूमि अभी तक अर्जित नहीं की गई है, यद्यपि इस कालोनी के कुछ क्षेत्र को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचित किया गया है ।

उत्तर पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय द्वारा हेलीकोप्टर की खरीद

1608. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर द्वारा यह कहे जाने का समाचार था कि विश्वविद्यालय का विचार चार सीटों वाला एक हैलीकोप्टर खरीदने का है

(ख) क्या वाइस-चांसलर ने उसकी खरीद पर होने वाले खर्च के संबंध में उनसे अनुमति लेने के बाद यह वक्तव्य दिया है; और

(ग) प्रस्तावित हैलीकोप्टर की लागत क्या है और चालू वर्ष के लिये उत्तर पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय को कितनी धन राशि आवंटित की गई है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) उत्तर पूर्वी पर्वत्तीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने इस आशय का ऐसा कोई व्यक्तव्य दिया था, जिसका उन पर आरोप लगाया गया था, कि विश्वविद्यालय का एक हैलीकोप्टर खरीदने का प्रस्ताव था।

(ख) ओर (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में मद्यनिषेध

1609. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिनमें स्वतन्त्रता के बाद मद्यनिषेध लागू किया गया ;

(ख) सरकार ने विशेषतया मध्य देश के आदिवासी क्षेत्रों में धीरे-धीरे मद्यनिषेध लागू करने सम्बन्धी अपनी नीति को क्रियान्वित करने के बारे में क्या प्रयास किये हैं; और

(ग) उन राज्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनमें मद्यनिषेध पुनः समाप्त कर दिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क)

	पूर्ण रूप से	आंशिक रूप से
	1 तमिलनाडु	1 आंध्र प्रदेश
	2. गुजरात	2. असम
	3. महाराष्ट्र	3. हरियाणा
		4. केरल
		5. कर्नाटक
		6. राजस्थान
		7. उत्तर प्रदेश

(ख) राज्य सरकाररों से निम्नलिखित उपाय करने का निवेदन किया गया है :--

(1) धार्मिक स्थानों, शिक्षा संस्थानों, राजमार्गों, मिलों और कारखानों इत्यादि के पास शराब की दुकानें न खुलने दें।

(2) शराब की बिक्री को बढ़ाने से सम्बन्धित वाणिज्य विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाएं।

(3) 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा अल्कोहल पान किए जाने पर विशेष पाबन्दिया लगाएं।

(4) शुल्क दिनों की प्रणाली जारी करें और कारोबार के समय पर रोक लगाएं।

(5) सार्वजनिक मदिरापान पर साधारण पाबिन्दयां लगाएं।

(6) राज्य स्तर मद्यनिषेध सलाहकार समितियां स्थापित करें तथा मद्यत्याग के काम को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक प्रचार हेतु आवकारी राजस्व का कुछ भाग अलग रखें।

इनके अतिरिक्त मोटर गाड़ियों के ड्राइवरों, पायलटों तथा रेलवे के परिचालन स्टाफ द्वारा शराबनोशी किए जाने पर और सख्त प्रतिबन्ध लगाने पर सम्बंधित मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

आदिवासी क्षेत्रों, जिनमें मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, के लिए विशेष मद्यनिषेद नीति को अपनाने पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) सात, अर्थात्

(1) तामिल नाडु

(2) महाराष्ट्र

(3) केरल

(4) कर्नाटक

(5) आंध्र प्रदेश

(6) हरियाणा

(7) असम

गहरे नलकूपों के लिए केन्द्रीय सहायता और उसका उपयोग

1610. **श्री मार्तण्ड सिंह : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को गहरे नलकूपों के लिए वित्तीय सहायता की है :

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग किए जाने, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के राज्य नलकूप निगम के संदर्भ में, के बारे में जांच की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां, 1972-73 में शुरू किये गये आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो कि उस वर्ष देश के बड़े भागों में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए शुरू किया गया था, राज्यों को गहरे नलकूपों के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

(ख) 1972-73 में गहरे नलकूपों के लिए जो राशि दी गई थी, उसमें बिहार के लिए 791 लाख रुपये, हरियाणा के लिए 172 लाख रुपये, पंजाब के लिए 125 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश के लिए 836 लाख रूपये और पश्चिम बंगाल के लिए 300 लाख रुपये की राशियां शामिल हैं । वर्ष 1970-71 या 1971-72 के दौरान गहरे नलकूपों के लिए कोई विशेष सहायता नहीं दी गई थी ।

(ग) जी हां । राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार गहरे नलकूपों के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का सभी राज्यों ने पूरी तरह उपयोग किया था । क्योंकि 1972-73 के दौरान मध्य प्रदेश को आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों के लिए कोई राशि नहीं दी गई थी, इसलिए राज्य नलकूप निगम द्वारा इस राशि का उपयोग किये जाने के संबंध में जांच पड़ताल किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Percentage of Total Production of Wheat, Rice and Sugar sold in Open Market

1611. **Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) the percentage of total production of wheat, rice and sugar sold in open market;

(b) whether there is any proposal to cut it down further and to increase the procuremen' thereof; and

(c) the measures to be contemplated by Government keeping in view the presen circumstances and the future policy in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) : The marketed surplus of foodgrains varies from State to state and year to year depending upon the level of production, consumption and prices. On an average, the marketed surplus of wheat may be placed around 31% of production. In the case of rice, on an average, the marketed surplus may be placed around 23% of the production. In the case of sugar, 30% of the production is sold in the open market as levy-free sugar. To improve the availability of foodgrains in the deficit areas, it is considered necessary to procure foodgrains from the market to meet the recuirements of the public distribution system.

There is at present no proposal to cut the free sale quota of sugar.

Investigation into Intoxicating and Harmful Effect of Liquor

1612. **Shri Dhan Singh Pradhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether an investigation or survey has been made by Government about the intoxicating and harmful effect of liquor sold during the last three or four months;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) the steps proposed to be taken to check it?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के कब्जे वाले सरकारी क्वार्टरों का किराया

1613. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त किए गए सरकारी क्वार्टरों को सेवा-निवृति के बाद भी लम्बी अवधि तक अपने कब्जे में रखने के लिए कितने सरकारी कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है ।

(ख) सरकारी क्वाटरों को अभी भी अपने कब्जे में रखने वाले ऐसे भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या का मंत्रालय-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके अनधिकृत दखल को अधिकतम अवधि और औसत अवधि कितनी है और इस वर्ष कितने कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है; और

(घ) इस प्रकार के अनधिकृत कब्जे वाले व्यक्तियों को निष्कासित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सरकारी मकानों के आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद सामान्य पूल वास को दो महीने की अवधि के लिए अपने दखल में रख सकता है । जिन कर्मचारियों को मूल नियम, 86 के अधीन सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी अथवा अस्वीकृत छुट्टी दी जाती है, वे सामान्य पूल वास को, पूरे औसत वेतन पर दी गई छुट्टी को समस्त अवधि के लिए रख सकते हैं बशर्ते कि यह अवधि अधिक से अधिक चार महीने हो, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद की अनुमेय अवधि शामिल है । यह रियायत, सामान्य दर पर लाइसेंस फीस के भुगतान करने पर दी जाती है। विशेष मामलों में, उपर्युक्त रियायती अवधि के बाद, अधिक से अधिक 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ी हुई लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर सम्पदा निदेशक, वास को पास रखने की अनुमति दे सकता है । यह रियायत सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के 108 मामलों में दी गई है ।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) सरकारी वास के अनधिकृत दखलकारों के विरुद्ध कार्रवाई, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन की जा रही है ।

सरकारी फ्लैटों के बारे में संवाददाताओं को सुविधाएं

1614. **श्री मोहम्मद जमिलुर्रहमान**
श्री नागेश्वर द्विवेदी } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद और पत्र सूचना कार्यालय से प्रत्यायित संवाददाताओं को किराये की रियायती दरों पर सरकारी फ्लैट देने सम्बन्धी सुविधाएं क्या हैं; और

(ख) जिन संवाददाताओं को रियायती दरों पर सरकारी आवास दिया गया है, उनके नाम क्या हैं और वे किस-किस पत्रिका में काम करते हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) पत्र सूचना ब्यूरो और संसद के प्रत्यायित संवाददाताओं को आवंटन के लिए रियायशी वास का एक पृथक पूल बनाया गया है । इस के अतिरिक्त, कुछ संवाददाताओं को सामान्य पूल से भी वास का आवंटन किया गया है ।

(ख) संलग्न विवरण-पत्र के अनुसार । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 8122/74] ।

गैर-सरकारी व्यक्तियों को सरकारी आवास का आबंटन

1615. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीकृति न्यूनतम रियायती किराये पर जिन गैर-सरकारी व्यक्तियों को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं, उनके नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा आवास किस आधार पर आवंटित किया गया है ;

(ख) उनके आवंटन की तारीख, उनमें से प्रत्येक से वसूल किया गया मासिक किराया, उनके कब्जे वाले क्वार्टरों के वर्तमान पतों का ब्यौरा क्या है; और उनमें से किस पर किराये की राशि बकाया है और यह राशि कब से बकाया है ;

(ग) क्या आवास के आवंटन के समय आवंटन के जो आधार थे, वे उन सब के बारे में अभी भी लागू होते हैं; और

(घ) क्या उन्हें सरकारी क्वार्टर आवंटित किए जाने के बाद में उनमें से प्रत्येक की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिससे सरकार अन्यत्र गैरसरकारी आवास प्राप्त करने के लिए हकदार बन सके ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : एक विवरण-पत्र संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये

संख्या एल० टी० 8123/74] ये आवंटन उन्हें संवाददाता, प्रतिष्ठित कलाकार, समाज-सेवक, राजनीतिक पीड़ित, स्वतंत्रता सेनानी आदि होने के कारण किए गये थे।

(ग) तथा (घ) : आवंटियों को जिस आधार पर मकान दिये गये थे, उसके बारे में तथा उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कोई तबदीली सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

सलाहकार अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक

1616. **श्री गिरिधर गोमांगो**
श्री कुमार माझी } : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में सलाहकार अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 1961 से नहीं हुई है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस की अगली बैठक कब तक होगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : जी, नहीं : सामान्य तथा तकनीकी दोनों पक्षों के सलाहकार अधिकारियों को विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति/स्थायीकरण की विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक 1961 से समय-समय पर होती रही है।

तथापि सामान्य पक्ष में सहायक शिक्षा अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति के प्रयोजन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (जूनियर) की बैठक 1961 के बाद नहीं हो सकी क्योंकि शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के विलयन और सांख्यिकीय काडर को अलग करने तथा संबंधित अधिकारियों को पदोन्नति के और अधिक अवसर उपलब्ध करने के लिये भर्ती नियम भी परिशोधित किये जाने के फलस्वरूप संबंधित वरीयता सूचियां दोबारा तैयार की जा रही थी। यह किये जाने के बाद, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक मई, 1974 में हो चुकी है तथा उसकी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मुगल-लाइन्स द्वारा चलाई जा रही कोंकण तटवर्ती यात्री स्टीमर सेवा

1617. **श्री मधु दण्डवते :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन्स द्वारा चलाई जा रही कोंकण तटवर्ती यात्री स्टीमर सेवा को भारी घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुगल लाइन्स यात्री स्टीमर सेवा में होने वाले घाटे को दूर करने के लिये पर्याप्त सामान ढोने वाली स्टीमर सेवा आरम्भ करेगी, और

(ग) क्या सामान ढोने वाली स्टीमर सेवा आरम्भ करने की स्थिति में यात्री स्टीमर सेवा के बहुत अधिक, बढ़े हुए किरायों को कम किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) सभी कोंकण पत्तनों पर यथेष्ट माल के आवागमन की कमी और तट के साथ साथ घाट सुविधाओं का अभाव माल सेवा को शुरू करने को अलाभप्रद बनाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोंकण यात्री स्टीमर सेवा के किरायों में वृद्धि

1618. **श्री मधु दण्डवते :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 14 नवम्बर 1973 की जारी अधिसूचना में घोषित किरायों की तुलना में कोंकण यात्री स्टीमर सेवा के किरायों में वृद्धि बहुत अधिक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन किरायों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं । कोंकण यात्री स्टीमर सेवा भाड़ा 14-11-1973 की अधिसूचना के अतिक्रमण में जारी की गई सरकारी अधिसूचना से कुल के केवल 40 प्र० श० से बढ़ाया गया जिसमें सरकार के अपने हाथ में लेने से पहले के भाड़े के ऊपर 30 प्र० श० की वृद्धि निश्चित की गई है ।

(ख) मौजूदा भाड़े से भी मुगल लाइन घाटा उठा रहा है । अतः भाड़े को कम करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बीज खरीदने के लिए राज्यों को केन्द्रीय ऋण

1619. **श्री मुरासोली मारन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान बीज खरीदने के लिये राज्यों को ऋण मंजूर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह सहायता राज्य सरकारों द्वारा कृषकों को वितरित होने वाले बीजों के मूल्य के 50% भाग तक सीमित है । राज्य सरकारों को यह ऋण लेने की तिथि से 6 मास के अंत तक अदा करना होता है, क्योंकि क्रय हुए बीजों का वितरण उसी औसत के अंतर्गत करना होता है । तीन आदानों की 75 करोड़ रुपये की कुल ऋण की धनराशि में से वर्ष 1971-72 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को बीजों के लिये 15.56 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण स्वीकृत किया गया है । वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान ऐसे ऋण तीनों आदानों के लिये इकट्ठे दिये गये थे और इन दो वर्षों के दौरान क्रमशः 100 करोड़ रुपये तथा 54 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये थे । वर्ष 1974-75 के दौरान

(1 अप्रैल, 1974 से 31 जुलाई, 1974 तक) बीजों के लिये 438 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। ये ऋण इस अवधि के लिये स्वीकृत की हुई 12.14 करोड़ अल्पावधि ऋणों की रकम में से दिए गए थे।

कांगड़बाग (पटना) में केन्द्रय स्कूल का खोला जाना

1620. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना जिले के कांगड़बाग में एक केन्द्रीय स्कूल शीघ्र ही खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित केन्द्रीय स्कूल को कांगड़बाग के बजाय राजेन्द्र नगर जो कि पटना के बीचोंबीच स्थित है, में खोलने का विचार है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अनीसाबाद (पटना) में केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) को कांकरबाग में ले जाने का विचार है जिसके लिए वहां पर बिहार सरकार द्वारा 7 एकड़ भूमि भी निःशुल्क आंवटित की गई है। कंकरबाग में भवन निर्माण तथा अन्य भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था होने तक 1 अगस्त, 1974 से काकरबाग में किराए के एक मकान में I से III कक्षाओं सहित विद्यालय की एक शाखा आरम्भ की गई है। ऐसी संभावना है कि कंकरबाग में स्थायी भवन के निर्माण कार्य के पूरा होने तक अनीसाबाद में ही मुख्य विद्यालय चालू रहेगा।

(ख) राजेन्द्र नगर में स्कूल भवन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बिहार सरकार द्वारा राजेन्द्र नगर में कोई भूमि नहीं दी गई है।

Concession to Adivasi in Respect of Houses Constructed in 'A' 'B' & 'C' Classes of Cities

1621. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Adivasis living in 'A' 'B' and 'C' Classes of cities are given any concessions in respect of houses constructed by Government;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the number of Adivasis who have been given houses so far?

The Minister of State in Department of Parliamentary Affairs in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (c) : All the social housing schemes introduced by the Ministry of Works and Housing are intended for the benefit of all persons including the Adivasis and other backward classes irrespective of their caste, creed or community. No separate data about the number of Adivasis who might have been provided houses under the various social housing schemes is maintained by this Ministry.

10% of the quarters in Type I and Type II of the General Pool Accommodation in Delhi/New Delhi are reserved for allotment to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 5% o these quarters are also reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the General Pool Accommodation in Bombay, Calcutta, Nagpur and Chandigarh. The total number of houses allotted to these communities in Delhi and other places in the General Pool is 683.

Reduction in Sugar Quota being Supplied to Ration Card Holders in Delhi

1622. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government again propose to reduce the quota of sugar being given on ration cards to the people in Delhi; and

(b) if so, the reasons thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya) : (a) & (b) : The Delhi Administration have no propsal to reduce the present scale of distribution of sugar at 800 grams per head per month which is in force since the 16th July, 1974.

Adoption of National Policy Resolution for Children

1624. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether efforts have been made to adopt National Policy Resolution for children;

(b) whether provision to constitute a National Children Board has been made under the Chairmanship of Prime Minister; and

(c) if so, the main features in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) to (c) : A National Policy Resolution is under the active consideration of Government. A decision is expected soon.

Setting of Workshop for Mentally Retarded

1625. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a new workshop has been set up in New Delhi for mentally retarded persons;

(b) if so, when and its location and the methods of imparting education and whether there is any scheme to expand it?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) : Yes, Sir. A workshop was set up as part of the Model School for Mentally Retarded Children at Lajpat Nagar, New Delhi in November, 1973 for imparting training in wood-work and manufacture of stationary articles. It is proposed to introduce weaving shortly.

Chambal Bridge Near Dholpur

1626. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the bridge over Chambal near Dholpur (on Bombay-Agra Road) is lying breached for the last two years;

(b) whether it is causing great hardship in traffic; and

(c) if so, when this bridge is likely to be reconstructed?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) : The Chambal Bridge was closed to all traffic from 24th February, 1973 since some demage to a portion of the bridge was noticed. The actual collapse of a portion of the bridge, however, took place in April, 1973.

(b) With effect from 24th February, 1973 the traffic was diverted through the following alternative routes :—

(i) Indore-Kota-Jaipur-Delhi;

(ii) Shivpuri-Kota-Jaipur-Delhi;

(iii) Shivpuri-Jhansi-Kalpi-Bhognipur and then west to Agra or east to Kanpur;

(iv) Gwalior-Bhind-Etawah for light traffic not exceeding 5 tonnes on account of limited capacity of the Pontoon bridge across Chambal near Etawah on this road.

The Governments of Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh were requested to allow the road users all reasonable facilities for passing over the alternative routes, specially that they should not be required to pay extra taxes and/or obtain permits to play on the diverted routes. Also the concerned State Public Works Departments were requested to instal proper notice boards at suitable locations warning the traffic of the closure of the bridge and guiding the traffic to the alternative routes.

To facilitate the movement of traffic near the site of Chambal Bridge the following arrangements have been made :—

(i) During the dry season a temporary pontoon bridge is erected which caters to the movement of light vehicles such as cars, jeeps, unloaded trucks and buses. The pontoon bridge, however, is dismantled during the rainy season.

(ii) In addition to the pontoon bridge there is a ferry service comprising of 7 nos. marboats and 3 nos. R.P. L. barges. The ferry service is available throughout the year except when the river is in high floods. Whereas the R.P.L. barges can transport loaded trucks, the marboats can transport light vehicles and partially loaded trucks.

With the arrangements mentioned above the follwing safe traffic capacity is available at the Dholpur bridge site :—

(a) Number of light vehciles like cars, jeeps, etc. which can be transported per day by 7 nos. marboats=570 nos.

(b) Number of loaded trucks which can be transported per day by 3 nos. R.P.L. barges =300 nos.

The above capacity excludes the facility of pontoon bridge which is available in dry reason Efforts are being made to augment the ferry service. No cess is being charged from the users for the above mentioned facilities.

(c) The final report of the Committee which was constituted to enquire into the causes of collapse and to suggest measures for reconstruction of the bridge was received on 31st May, 1974. This report is being examined in detail and steps are being taken simultaneously to frame all relevant documents needed for inviting tenders for the alternatives recommended by the Committee for reconstruction of the damaged bridge. After tenders have been received and decided upon work of reconstruction whould be taken up which is likely to take three working seasons. If, however, a new bridge is considered necessary, it would take about five years for completion along with its approaches.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1974 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 785 और 786 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुई थीं की एक-एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8115/74]

राष्ट्रीय कृषि आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे की ओर से राष्ट्रीय कृषि आयोग के निम्नलिखित अन्तरिम प्रतिवेदनों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उत्पादन वानिकी-मानव-निर्मित वन

(2) जिन्स विकास परिषदों और निदेशालयों के संगठन और कार्य

(3) लघु तथा सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन

(4) कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि-मौसम-विज्ञान सम्बन्धी प्रभावों की स्थापना

(5) भारत का मृदा सर्वेक्षण तथा मृदा मानचित्र

(6) आलू के बीज

(7) सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण तथा नहरी क्षेत्रों का समेकित विकास

(8) सम्पूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम

(9) भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए आवासीय भू-खंड ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० सी० 8116/74]

Shri Madhu Limaye (Bank) : The National Commission on Agriculture was constituted some four years ago with a view to enquire into the progress and problems of the Indian agriculture. It has taken four years and still the assigned work to it has not so far been completed. Three full time members were appointed to this Committee. I want to know whether this is a permanent Commission? How much more time will be taken by the Commission to complete the work and also what amount has been spent on this Commission?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : माननीय सदस्य जानते ही हैं कि इस आयोग का काम कितना कठिन है । आयोग ने 23 अथवा 24 अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं । इसकी अवधि 10 महीने के लिये और बढ़ा दी गयी है मुझे आशा है कि अगले वर्ष 30 जून तक आयोग अपना कार्य पूरा कर लेगा ।

मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8117/74]।

(2) (एक) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्यिक पोत परिवहन (औषधियां, चिकित्सीय सामग्री तथा उपकरण) संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1384 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 488 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8118/74]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

एयर इंडिया के कुछ विमान चालकों को निलम्बित करने का समाचार

श्री निहार लास्कर : (करीमगंज) : श्रीमान, मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

'स्लिप प्रणाली' पर काम करने से इंकार करने के कारण एयर इंडिया के कुछ विमान चालकों को निलम्बित किये जाने का समाचार।

वक्तव्य

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) } : अक्तबर, 1973 से विमानन टर्बाइन ईंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप एयर इण्डिया का प्रबंधक वर्ग परिचालनात्मक तथा अन्य लागतों में यथासंभव अधिकतम कमी करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। किए जा रहे उपायों में से एक का संबंध कार्मिकों की कार्य विनियोजन प्रणाली से है।

भारत-यू० के० मार्ग तथा भारत-जापान मार्ग पर जहां कि परिचालनों की संख्या काफी अधिक है परिचालनों की स्लिप प्रणाली वर्तमान बेस प्रणाली की अपेक्षा कार्य-कुशलता की दृष्टि से अधिक प्रभावी समझी गयी । प्रति वर्ष अनुमानतः लगभग 75 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की एक काफी बड़ी बचत के अलावा इन मार्गों पर स्लिप प्रणाली के परिचालित करने से कार्मिकों का अधिक सदुपयोग भी होगा और उसके परिणामस्वरूप परिचालनों को चालू रखने के लिए अपेक्षित कार्मिकदलों की संख्या में भी कटौती होगी । इस प्रकार भारत-यू० के० मार्ग पर तीन कार्मिक दलों की बचत होगी और भारत-जापान मार्ग पर दो कार्मिक दलों की ।

यद्यपि कार्मिकों की विनियोजन प्रणाली का निर्धारण निर्विवाद रूप से प्रबंधकवर्ग के कार्य-क्षेत्र का ही विषय है, तथापि एयर इण्डिया के प्रबंधकवर्ग ने यह महसूस किया कि श्रमिक वर्ग के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की दृष्टि से यह अभीष्ट होगा कि उड़ान कार्मिकों के संबंधित एसोसियेशनों और गिल्डों से भी स्लिप प्रणाली को लागू करने के संबंध में परामर्श कर लिया जाए ताकि संशोधित प्रणाली के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उनके भी रचनात्मक सुझाव प्राप्त हो जाएं । मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि परिचालनों की स्लिप प्रणाली एयर इण्डिया में 1966 तक समय-समय पर लागू होती रही । इसलिए यह किसी प्रकार से भी परिचालनों की कोई नवीन प्रणाली नहीं कही जा सकती और वस्तुतः बहुत सी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां इसका प्रयोग कर रही हैं, जिनमें पैनाम, टी० डब्यू० ए०, ब्रिटिश एयरवेज, एलिटालिया, एयर फ्रांस, स्विसयर, के० एल० एम० लुफ्थांजा, जापान एयरलाइंस, क्वांटास इत्यादि सम्मिलित हैं । परिचालनों की स्लिप प्रणाली को लागू करने का निर्णय लेते समय प्रबंधकवर्ग न अपने आप को इस बात से पूरी तरह आश्वस्त कर लिया था कि इससे ना तो संबंधित एसोसियेशनों और गिल्डों के साथ किए गए किसी तरह के करार का कोई उल्लंघन हो रहा था, और न कार्मिकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ही करना पड़ रहा था, और न परिचालनों की सुरक्षा पर ही किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, तथा लागू की जा रही प्रणाली सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा अपनाई गयी सामान्य प्रणाली के अनुरूप ही थी । इस बात को भी सुनिश्चित कर लिया गया था कि कार्मिकों को विभिन्न स्टेशनों पर उड़ान करने के पहले और पश्चात् पर्याप्त विश्राम मिल सके तथा उड़ान और कार्यसमय की निर्धारित सीमाओं का भी व्यतिक्रमण न हो । जनवरी, 1974 से ले कर कई मास के लम्बे पत्र-व्यवहार तथा अनेक बैठकों के बावजूद प्रबंधकवर्ग को कार्मिकों के एसोसियेशनों और गिल्डों से स्लिप प्रणाली में किसी संभव सुधार के संबंध में कोई रचनात्मक सुझाव प्राप्त नहीं हुआ तथा क्योंकि मामले को अनिश्चित काल तक रोके नहीं रखा जा सकता था अतः इस प्रणाली को लागू करने का निर्णय ले लिया गया । प्रारंभ में इस प्रणाली को भारत-जापान और भारत-यू० के० मार्गों पर 1 अप्रैल, 1974 से लागू करने का प्रस्ताव था । परन्तु संबंधित एसोसियशनों में से एक, अर्थात एयर इण्डिया केबिन क्रू एसोसियेशन, ने प्रबंधकवर्ग को कार्मिकों की कार्य-विनियोजन की स्लिप प्रणाली लागू करने से रोकने के लिए बम्बई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी । तदनुसार प्रबंधकवर्ग ने न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया । 4 जुलाई, 1974 को बम्बई हाई कोर्ट न याचिका को खर्च सहित खारिज कर दिया और एयर इण्डिया के प्रबंधकवर्ग न भारत-जापान मार्ग पर

केबिन कार्मिकों के लिए कार्मिक विनियोजन की स्लिप प्रणाली को 15 जुलाई, 1974 से, भारत-जापान मार्ग पर उड़ान कार्मिकों, अर्थात् विमानचालकों, दिक्चालकों तथा उड़ान इंजीनियरों के लिए 1 नवम्बर, 1974 से, तथा भारत-यू० के० मार्ग पर सभी उड़ान तथा केबिन कार्मिकों के लिए 1 अगस्त, 1974 से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया।

यद्यपि, केबिन कार्मिक एसोसियशन की याचिका पर बम्बई हाई कोर्ट का निर्णय पूर्णतया प्रबधंकवर्ग के पक्ष में था तथापि उन्होंने अपने प्रस्तावों की 12 जुलाई, 1974 को घोषणा करने के पश्चात् कार्मिकों के एसोसिएशनों एवं गिल्डों से उनकी टिप्पणियां तथा ठोस सुझाव मांगे ताकि इन पर विचार किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो संशोधित प्रणाली को कार्यान्वित करने से पूर्व उनसे विचार-विमर्श किया जा सके। केबिन कार्मिक एसोसियेशन न स्लिप प्रणाली को भारत-जापान मार्ग पर 15 जुलाई से तथा भारत-यू० के० मार्ग पर 1 अगस्त, 1974 से स्वीकार कर लिया। नेवीगटर्स गिल्ड तथा फ्लाइट इंजीनियर्स एसोसियेशन भी 1 अगस्त से भारत-यू० के० मार्ग पर कार्मिक विनियोजन की स्लिप प्रणाली को लागू करने के लिए सहमत हो गये हैं।

मैं यहां इस बात का उल्लेख कर देना चाहता हूं कि पाइलट्स गिल्ड का प्रेजीडेंट हाल ही में मुझ से दो बार मिला। दूसरे मौके पर गिल्ड का महासचिव भी उसके साथ था। इनमें से प्रत्यक बैठक कई कई घंटों तक चली तथा परिचालन की स्लिप प्रणालीपर व्यापक रूप से, और प्रबंधकवर्ग एवं गिल्ड के मध्य परामर्श के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया गया था। दोनों ही मौकों पर मैंने गिल्ड के प्रेजीडेंट को सूचित किया कि इस प्रकार के मामल में मेरे लिए हस्तक्षेप करना उचित एवं उपयुक्त नहीं होगा जब तक कि स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित न हो जाय कि स्लिप प्रणाली को लागू करने से किसी भी प्रकार से परिचालनों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है अथवा यह उड़ान एवं कार्य समय संबंधी निर्धारित सीमाओं का उल्लंघ करती है। अत: मैंन गिल्ड से इसकी उचित आज़माइश करने का आग्रह किया। परन्तु इण्डियन पाइलट्स गिल्ड ने स्लिप प्रणाली को स्वीकार नहीं किया है। 29 जुलाई को पाइलट्स गिल्ड न प्रबंधक वर्ग को लिखा कि वह स्लिप प्रणाली को प्रारंभ किये जाने का विरोध करेगा। इससे पूर्व 27 जुलाई को गिल्ड ने अपने सभी सदस्यों को निर्देश दिया था कि वे स्लिप प्रणाली वाली किसी भी उड़ान का परिचालन न करें और अपने सभी सदस्यों को यह भी निर्देश दिया था कि यदि उनके किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है तो वे समस्त मार्ग-जाल पर उड़ानों का परिचालन करने से इंकार कर दें। 31 जुलाई को पाइलट्स गिल्ड ने अपने सभी सदस्यों को एयर इण्डिया के मार्ग-जाल पर किसी भी स्थान से बोइंग 707 तथा बोइंग 747 दोनों प्रकार के विमानों की स्लिप प्रणाली पर कोई भी उड़ान न करने का निर्देश दिया।

पाइलट्स गिल्ड के इन निदेशों का अनुसरण करते हुए उन सभी विमानचालकों ने, जिन्होंने स्लिप प्रणाली पर उड़ानों का परिचालन करना था अथवा जो स्टैंड-बाई के रूप में नियुक्त थे, उड़ानें करने से इन्कार कर दिया है।

उड़ान संबंधी कर्त्तव्यों का अनुपालन करने से, जिसकी कि न्यायोचित रूप से उनसे अपेक्षा की जाती है, इन्कार करने के कारण 10 विमानचालकों को निलम्बित करना पड़ा। 2 अगस्त को पाइलट्स गिल्ड ने एक और निर्देश जारी किया जिसके अनुसार गिल्ड के सभी सदस्यों को यह कहा गया था कि वे एयर इंण्डिया के मार्गों पर किसी भी प्रकार की उड़ान

का परिचालन न करें चाहे वह स्लिप प्रणाली पर आधारित है या नहीं। इस निर्देश का अनुसरण करते हुए उन सभी विमानचालकों ने जिन्होंने देशीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन करना था या जो ऐसी उड़ानों के लिए स्टैंड-बाई के रूप में नियुक्त थे, परिचालन करने से इन्कार कर दिया है। उनकी यह कार्रवाई एक गैर-कानूनी हड़ताल के समान है तथा प्रबंधकवर्ग को विवश हो कर 3 अगस्त के प्रातः 8.00 बजे से अपने लाइन विमान चालकों के लिए तालाबंदी की घोषणा करनी पड़ी है।

विमानचालकों द्वारा एक संकट की स्थिति उत्पन्न कर देने की यह कार्रवाई जिससे कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की आय की हानि के साथ-साथ बड़ी संख्या में यात्रियों को असुविधा भी होगी कष्टदायी एवं खेदजनक है। मैं विमानचालकों से आग्रह करूंगा कि वे संघर्ष का रास्ता छोड़ दें और परिचालनों के लिए स्लिप प्रणाली को उचित आज़माइश का अवसर दें। प्रबंधकवर्ग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्लिप प्रणाली लागू करने के दौरान यदि कोई वास्तविक कठिनाइयां सामने आती हैं तो उनके संबंध में पाइलट गिल्ड के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के लिये वे सहर्ष तैयार होंगे। विचार-विमर्श के लिए उनके द्वार सदैव खुले हैं।

इस प्रकार उत्पन्न हुई स्थिति में एयर इंडिया की सेवाएं गंभीर रूप से अस्त-व्यस्त हो गयी हैं तथा उनमें से कोई सेवाओं को निलम्बित कर देना पड़ा है। यात्री जनता को जो परेशानी तथा असुविधा हो रही है मुझे उसके लिए अत्यन्त खेद है। एयर इंडिया अधिकारी विमानचालकों एवं ऐसे लाइन विमानचालकों की सहायता से, जोकि स्लिप प्रणाली के आधार पर परिचालन करने को तैयार हैं, यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में सेवाओं का परिचालन करने का हर प्रयत्न करेंगे।

नवीनतम स्थिति यह है कि 21 विमान चालकों ने, जिनमें से अधिकांश 747 नामक विमान के चालक हैं, कार्य करने के लिए सहमति प्रकट कर दी है और स्लिप प्रणाली के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं। इनके अतिरिक्त 11 कार्यकारीविमानचालक हैं और इनको मिलाकर एयर इंडिया 474 नामक विमानों की भारत से लंदन तक दैनिक सेवा चालू करेगा। यह योजना भी बनायी जा रही है कि खाड़ी के देशों तक और लन्दन से आगे न्यूयार्क तक सेवाएं चलायीं जाएं ताकि एयर इंडिया द्वारा इसके सेवा क्षेत्र में पहले से बुक किए गए हजारों यात्रियों की असुविधा समाप्त की जा सके।

प्रबन्धकों ने इंडियन पाइलैट्स गिल्ड के तीन पदाधिकारियों अर्थात प्रधान, उप प्रधान और महासचिव को उनके द्वारा गैर-कानूनी हड़ताल जोकि निगम के व्यवहार नियमों और देश के कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, के लिए आदेश देने के आरोप में आरोपपत्र दिए हैं।

श्री निहार लास्कर : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने एयर इंडिया के लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की है। इन लोगों को देश के अन्य लोगों की अपेक्षा सब से अधिक वेतन मिलता है। तो ये किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? उनके रवैये की जितनी निन्दा की जाए उतना ही कम है। मंत्री महोदय ने उनसे लम्बी वार्ता की है। क्या वे बता सकेंगे कि नई प्रणाली अपनाने में इन लोगों को क्यों आपत्ति है? मंत्री महोदय ने 30 विमानचालकों के अतिरिक्त, जो काम पर आ गए हैं, अन्य लोगों से भी काम पर आने की अपील की है। उनकी अपील पर क्या प्रतिक्रिया हुई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने हमारी कार्यवाही की सराहना की है। जनवरी के बाद हमने विमान चालकों से अनेक बार बातचीत की है और मैंने उनकी कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया है। यह प्रणाली जो हमारे देश में पहले भी लागू थी और इसे विश्व के अन्य देशों ने भी लागू किया है। मैंने उन्हें ये सब बातें समझाने का प्रयास किया।

उन्हें "स्लिप प्रणाली" स्वीकार कर लेनी चाहिए और यदि उनको कोई कठिनाई हो तो प्रबन्धकों को उसकी सूचना दी जानी चाहिए। यदि वे अनुभव करें कि "स्लिप प्रणाली" सुरक्षा या यात्रियों की सुविधा के विरुद्ध है तो उस पर पुनः विचार हो सकता है, परन्तु अभी तक ऐसी बात का अनुभव नहीं हुआ है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : तालाबन्दी ने हाल के दिनों में एक नया रूप धारण कर लिया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत तालाबन्दी के लिए उचित व्यावस्था की गई है। लोगों ने सरकार के निर्णय का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। श्री टाटा ने विमानचालकों को कहा है कि वे देश भक्त नहीं है। वे स्वयं भी देशभक्त नहीं हैं और जमाखोर हैं। विमानचालक भी संसद सदस्यों की तरह अच्छे लोग हैं (व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि इसे कार्यान्वित करने से पहले इस पर बातचीत की गई थी ? क्या यह सच नहीं है कि इसकी घोषणा करने के बाद ही उनसे सहमति मांगी गयी। यह गलत है। क्या इन्हें निलम्बित करने से समस्या का समाधान होगा ? निलम्बित किये जाने के बाद क्या उनसे कोई बातचीत हुई है, यदि हुई है तो इसके क्या परिणाम निकल ? एयर इंडिया के कार्यकरण के लिए अच्छा वातावरण बनाने हेतु निलम्बित व्यक्तियों को क्या सेवा में लिया जाएगा तथा आरोप पत्र वापिस लिए जाएंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : जनवरी, 1974 के बाद विमानचालकों के प्रतिनिधियों से अनेक बार वार्ता हुई है। लेकिन उन्हें हमारे न्यायसंगत तर्क स्वीकार नहीं थे। उनमें से कुछ चाहते थे कि उनकी नियुक्ति विदेश में हो। इस बात को हम कैसे स्वीकार कर सकते थे ?

पुनः वार्ता के लिए उन्हें मेरी अपील स्वीकार करनी चाहिए। यदि ये "स्लिप प्रणाली" को स्वीकार करें तो निलम्बित व्यक्तियों को बहाल करने पर हम विचार कर सकते हैं। हम उनसे यथासंभव नम्रतापूर्वक पेश आना चाहते हैं।

मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये इस उद्योग के निर्माता हैं और यदि इनके कोई सुझाव हैं तो ये हमें दे सकते हैं। और यदि वे उचित हुए तो हम इन्हें अवश्य स्वीकार करेंगे।

अचानक 27 तारीख को एक आदेश जारी किया किया गया कि कोई विमानचालक "स्लिप" प्रणाली के स्वीकार नहीं करेगा। यह वास्तव में हड़ताल ही थी। 31 तारीख को पायलट्स गिल्ड ने अपने सभी सदस्यों को यह निदेश दिया है कि एयर इंडिया का बोइंग 707 या 737 कोई भी विमान "स्लिप" प्रणाली के अन्तर्गत नहीं उड़ाया जा सकेगा। यह हड़ताल की घोषणा थी और वह भी अवैध हड़ताल। वैध हड़ताल के लिए पहले सूचना

दी जाती है। जब औद्योगिक विवाद अधिनियम, का पालन नहीं किया जाता और हड़ताल अवैध होती है तो हमारे पास एक वही विकल्प रह जाता है जो हमने किया है। जहां तक श्री जे० आर० डी० टाटा का सम्बन्ध है वह नागर विमानन के संस्थापकों में से एक हैं और उन्हें नागर विमानन से स्नेह है। जहां तक विमानचालकों की देशभक्ति का सम्बन्ध है, मुझे उनकी देशभक्ति पर कतई सन्देह नहीं है। देशभक्ति न केवल एक भाव है बल्कि उसमें त्याग भी निहित है। मैं आशा करता हूं कि विमानचालक देश की अर्थव्यवस्था के हित में और कार्य-कुशलता के लिए थोड़ा और बलिदान करेंगे।

Shri M.C. Daga (Pali) : Sir, the pilots are getting an amount of Rs. 10,000/- per month. They are also getting foreign exchange and our country is losing Rs. 75 lakhs on this account. The strike of pilots is causing a loss of Rs. 20 lacs daily. Under the Industrial Disputes Act, a notice of 14 days is required for the strike. But in this case, notice was not given and hence their strike is illegal. Stern action should be taken against these people, who did not agree to work under the 'slip system' and went on strike. The introduction of slip system will save foreign exchange worth Rs. 75 lacs. I would like to know what will happen to the ticket holders of chartered flights. and the incentive Government propose to give to faithful employees who are attending to their duties.

Shri Raj Bahadur : No doubt their strike is illegal as they did not give the notice of strike, but our doors are still open for talks for resolving the deadlock. As regards the drastic action against the striking pilots, we will deal with these on the basis of merits. As regards the ticket holders, they will not be put to loss.

गया में देखते ही गोली मारने के कथित आदेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ALLEGED SHOOT-AT-SIGHT ORDERS AT GAYA

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : महोदय, आपको याद होगा कि बिहार की स्थिति के बारे में 17 अप्रैल, को मैं ने एक वक्तव्य दिया था जिस के दौरान कहा था कि "राज्य सरकार ने बताया है कि गया में देखते ही गोली मार देने का कोई आदेश नहीं दिया गया था और तीनों बार गोली घटनास्थल पर उपस्थित मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन चलाई गई थी। इस विषय पर 19 अप्रैल को सदन में आगे विचार-विमर्श हुआ था और उत्तर के दौरान मैं ने अन्य बातों के साथ कहा था कि :—

> "तथ्य स्पष्ट हैं। देखते ही गोली मार देने के कोई आदेश नहीं दिये गये थे। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि लोगों को बताने के लिये ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई कि जो लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करेंगे कि उन्हें गोली मार दी जायगी। 12 तारीख को कोई कर्फ्यू नहीं था, यह बाद में लगाया गया था किन्तु चेतावनी दी गई थी कि जो लूट और आगजनी करेंगे उन्हें गोली मारी जा सकती है।

अपने वक्तव्य और उत्तर में मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो सूचना मैं ने दी है वह राज्य सरकार से प्राप्त हुई है।

श्री मधु लिमये ने गया की घटनाओं की जांच करने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त की गई एक समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्य-सभा के एक भूत-पूर्व सदस्य श्री बी० के०पी० सिंहा ने जो समिति को सूचना दी थी उसका उल्लेख किया था? बताया जाता है कि श्री सिंहा ने समिति को सूचित किया था कि उन्होंने यह घोषणा सुनी है कि कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है और जो सड़क पर पाये जायेगें उन्हें गोली मार दी जायेगी। किन्तु समिति ने यह भी कहा था कि प्रशासन से तथ्यों की जांच करना उनके लिए सम्भव नहीं है और इसलिए लिखित

आदेश यदि इस सम्बन्ध में कोई जारी किये हों, के सही शब्द प्राप्त करना उनके लिए कठिन हैं। किन्तु हमने राज्य सरकार से स्थिति की पुन: जांच की है, उन्होंने इस बात को दोहराया है कि जो कुछ मैं ने सदन को बताया था, सही है। श्रीमान, जब कभी केन्द्र सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था अथवा संविधान के अधीन पूर्णतः राज्य सरकार की सक्षमता के अन्तर्गत किसी अन्य विषय से सम्बन्धित स्थिति से सदन के सदस्यों को अवगत कराये जाने की आवश्यकता पड़ती है तो यह प्रथा रही है कि हम संबन्धित राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना पर भरोसा करते हैं। हमारे विचार में यह प्रथा संवैधानिक स्थिति के सही मूल्यांकन पर आधारित है। मैं सदन को जो सूचना दी थी वह राज्य सरकार द्वारा हमको भेजी गई सूचना पर आधारित थी और ऐसा करने में सदन को गुमराह करने और इसके विशेषाधिकारों की किसी प्रकार से अवहेलना करने का कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री मधु लिमये से पहले प्राप्त विशेपाधिकार भंग करने के नोटिस की एक प्रति लोक सभा सचिवालय द्वारा मुझे भेजी गई थी और मैंने सभी तत्सम्बन्धी तथ्य अध्यक्ष के विचार के लिए भेज दिये थे। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि हमने जो सूचना भेजी है उसकी श्री मधु लिमये को भेजे जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। श्री मधु लिमये ने गत एक अगस्त को इस मामले का उल्लेख सदन में फिर किया था और अध्यक्ष के निदेशानुसार मैं ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I Would like to know whether you will order an impartial inquiry into it, or, now you have given the information furnished to you by the State Government?

Shri Uma Shankar Dikshit : The present question relates to the privilege issue and now you are raising a different question.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I remember that the Home Minister had said at that time that an officer of Central Government had gone there to enquire about the firing incident.

Shri Uma Shankar Dikshit : The point of issue is Shoot-at-sight order and new issues should not be raised now.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि गृह मंत्री या अन्य मंत्री के माध्यम से सभा को राज्य सरकार से कोई गलत जानकारी प्राप्त होती है, तो इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न विधान सभा में उठाया जायेगा या लोक सभा में । इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें विशेपाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। यह जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी और उसका पुन: सत्यापन कर लिया गया है। जहां तक राज्य विधान सभा का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

समितियों के लिये चुनाव

ELECTIONS TO COMMITTEES

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके

अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद्, बंगलौर

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान की सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रशासन और प्रबन्ध सम्बन्धी स्कीम के खण्ड 9(1) के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद् बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

(तीन) काफी बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि काफी अधिनियम 1942 की धारा 4 की उपधारा (2)(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) नेताजी जांच आयोग के प्रतिवेदन को पुनः सभा-पटल पर रखना

अध्यक्ष महोदय : प्रो० समर गुह, आपने मुझे एक पत्र लिखा है। आप संक्षेप में बतायें कि खोसला जांच आयोग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ? पहले मंत्री महोदय को उत्तर दे लेने दीजिए ।

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : श्रीमान्, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसद का प्रतिवेदन पेश करने में विलम्ब करने का कारण सरकार का इरादा नहीं है। आयोग ने यह रिपोर्ट

30 जून 1974 को सरकार को दी थी और कानून के अनुसार सरकार को यह 6 मास के भीतर संसद को पेश करनी है और उसके साथ एक ज्ञापन लगाना है जिसमें यह बताया जाता है कि गत छः महीनों में क्या कार्यवाही की गई। अतः 30 दिसम्बर 1974 तक इसे सभा में पेश करना विधिसम्मत है। सभा-पटल पर रखे जाने से पहले इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद कराना है और इसे हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में छपवाना है और दोनों प्रतियां एक साथ सभा-पटल पर रखनी हैं। संसद के समय के दौरान सरकारी प्रेस में प्राथमिकता संसदीय कार्य को दी जाती है। फिर भी हमने इन्हें शीघ्र छापे जाने के लिए प्रैस को कहा है। जैसे ही ये सभी आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं पूरी हो जायेंगी प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं इस बात के लिए अत्यधिक इच्छुक हूं कि खोसला जांच आयोग का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जाये। आयोग की कार्यवाही, प्रतिवेदन लिखे जाने और उसे सरकार को दिये जाने की अवधि में जो असाधारण बातें हुई हैं और जिनके कारण मुझे इस बारे में चिन्ता हुई है, उनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। प्रतिवेदन का लिखना शुरू किये जाने से एक मास पूर्व 3 सचिव बदले और लगभग सभी कर्मचारी बदले गये। छपने से पहले ही इस प्रतिवेदन का सार कलकत्ता प्रैस को पहुंच गया। आयोग के चेयरमैन ने एक ओर प्रधान मंत्री को चेतावनी लिखी और दूसरी ओर जांच जारी रखी। आयोग में बहस होने से पहले ही चेयरमैन ने रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया था। और भी कई भद्दी बातें हुई हैं जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। मंत्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण दिया है, वह ठीक नहीं है। प्रवर समितियों के प्रतिवेदन दो-तीन दिन में ही छप जाते हैं। हिन्दी में अनुवाद कराने का बहाना भी सच्चा है। यदि सरकार चाहे तो इस रिपोर्ट को एक सप्ताह के अन्दर सभा-पटल पर रख सकती है ताकि सदस्यों को उस पर चर्चा करने का अवसर मिल जाये। श्री खोसला ने शाहनवाज खां समिति के प्रतिवेदन का समर्थन किया है हालांकि जापान द्वारा नेताजी के बारे में दी गई मृत्यु रिपोर्ट से विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकला था कि वह एक सैनिक की मृत्यु की रिपोर्ट थी। मैं इस रिपोर्ट के सभा-पटल पर रखे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) : It should be placed in cyclostyled form and its cyclostyled copies should be made available to all the Members of this House.

Mr. Speaker : Action taken report should be given priority.

श्री उमा शंकर दीक्षित : यदि मैं यह सम्पूर्ण कार्य इस सत्र के समाप्त होने से 3 या 4 दिन पहले तक समाप्न कर सका तो वह रिटोर्ट सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(दो) सीमा सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा नागालैंड विधान सभा के एक सदस्य का अपहरण और गारो हिल्स में उनके द्वारा एक गांव को लूटने का मामला

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मैं यह मामला नियम 377 के अन्तर्गत उठा रहा हूं। 14 जुलाई, की आधी रात को सीमा सुरक्षा बल का एक कर्मचारी मेघालय राज्य के गारो हिल्स के मझेरछर गांव में एक विधवा के घर में घुस गया था और शोर मच जाने पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। समीप की चौकी से सीमा सुरक्षा बल के अन्य कर्मचारी आये और उन्होंने गांव वालों पर नृशंस अत्याचार किये तथा अपने साथी को छुड़ा ले गये। उन्होंने विधान सभा सदस्य श्री शमसुल हक जिसने अत्याचारों का विरोध किया का भी अपहरण किया और उसे अपनी चौकी पर बंद रखा, जिसे स्थानीय पुलिस ने उनसे मुक्त कराया। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस कांड की जांच करायी जाये और देखा जाये कि सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी ऐसा क्यों करते हैं, वे तस्करों के साथ सांठ-गांठ क्यों करते हैं। इस बारे में मंत्री महोदय जांच करने के बाद वक्तव्य दें।

श्री **एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : यह एक गम्भीर मामला है और इस सभा के कई सदस्यों ने माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया था। मैं चाहता हूं था कि आप निदेश दें कि यहां इस मामले पर मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे गृह मंत्री को भेज दूंगा ताकि वह इस पर एक वक्तव्य दे सकें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 20 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**]

Mr Deputy Speaker *in the chair.*

उत्तर प्रदेश में बिस्कुट बनाने वालों को मैदा सप्लाई न करने तथा दिल्ली में डबल रोटी की कमी के बारे में

RE : NON-SUPPLY OF MAIDA TO BISCUIT MANUFACTURERS IN U.P. AND SCARCITY OF BREAD IN DELHI.

श्री **एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 लोग बिस्कुट बनाने का काम करते हैं। राज्य सरकार ने मैदा की सप्लाई नहीं की इसीलिए ये लोग बेरोजगार हो गये हैं। मैं राज्य के मुख्य मंत्री से मिला था और उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप इसे यहां क्यों उठा रहे हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र ने मैदा का कोटा नहीं दिया। केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। श्री शिन्दे इस बारे में एक वक्तव्य दें।

Shri Ramavatar Shashtri : There is scarcity of bread in Delhi. Even Modern Bakeries is not supplying the same.

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कम्पनी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा यह सुझाव है कि इसके लिए अधिक समय नियत किया जाये।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं प्रो० मधु दंडवते का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : पीठासीन अधिकारी अपने स्वविवेक से समय एक घंटा बढ़ा सकता है। यह समय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नियत किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण और जटिल विधेयक है। इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति ने तीन घंटे का समय नियत किया था और सभा ने उसका अनुमोदन किया था। निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए मुझे सदस्यों से लड़ना पड़ता है और जो सदस्य विद्वत्तापूर्ण योगदान करता है उसे अपना भाषण संक्षिप्त करने के लिए कहते हुए मुझे दुख होता है। मेरे सामने समस्या यह है कि मैं कैसे अपने विवेक का इस्तेमाल करूं।

श्री के० रघुरामैया : आप चाहें तो समय एक घंटा बढ़ा सकते हैं।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि यह विधेयक महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहें तो समय एक घंटा बढ़ा दें। परन्तु चर्चा आज ही समाप्त हो जाये। जिससे सरकार कल उत्तर दे सके।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सब इस पर सहमत हैं। किन्तु सदस्यों को संदर्भ से बाहर न जाकर अपने भाषण में यथोचित बातें ही कहनी चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल): सर्व प्रथम मैं संयुक्त समिति को इस विधेयक में सुधार करने के लिये बधाई देता हूं। इस समिति ने मूल विधेयक में उपबन्धों को युक्तिसंगत बनाया है। इसने मध्यम वर्ग अपनाया है।

इस विधेयक में उस प्रणाली की बुराइयों को दूर करने की व्यवस्था है जो इस समय गंभीर रूप धारण कर चुकी है।

एक बात जो मेरे ध्यान में आई है वह यह है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 293क को अछूता छोड़ा गया है जिस धारा से कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले अंशदान पर रोक लगती है।

यह धारा गत कुछ वर्षों से कानून की पुस्तक में रखी हुई है, क्या मैं विधि मंत्री से पूछ सकता हूं कि कम्पनियों को कितने अधिकारियों को जेल भेजा गया है ? कितनी कम्पनियों पर जुर्माना किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या मैं समझूं कि कम्पनियों ने कोई राजनीतिक दान नहीं दिये हैं ; कम्पनी अधिनियम से जब तक यह विशेष धारा हटाई नहीं जायेगी तब तक ये बुराइयां दूर नहीं हो सकती। यह अच्छा होता यदि संयुक्त समिति धारा 293क के बारे में यथार्थ दृष्टिकोण अपनाती। मैं प्रो० मधु दंडवते और श्री एस० एम० बनर्जी पर यह छोड़ता हूं कि वे मेरा सुझाव स्वीकार करें।

बहुत-सी कम्पनियों में जहां यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, राष्ट्रीययुक्त बैंक और वित्तीय संस्थान या सरकार का नियंत्रक हित है वहां यह सुनिश्चित किया जाना है कि वे किसी एक दल का संरक्षण न करें।

मैं खंड 26 के बारे में संक्षेप में कुछ कहूंगा। कुछ परिस्थितियों के अन्दर प्रबन्ध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति से इन्कार करने के लिये सरकार की शक्तियां देने हेतु, कुछ उपबन्ध किये गए हैं।

यह अच्छा होता यदि इस धारा में पूर्णकालिक निदेशकों या प्रबन्ध निदेशकों की योग्यता का भी उपबंध किया जाता । यह खंड, जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, पूर्णतया नकारात्मक है । इसमें केवल यही उपबन्ध है कि सरकार किसी पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रवन्ध निदेशक की नियुक्ति पर तब तक स्वीकृति नहीं देगी जब तक बोर्ड की राय में वह उपयुक्त और उचित व्यक्ति न हो । इस प्रकार का उपबन्ध दोनों किनारों से मार करने का काम करता है ।

सरकारी क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को प्रबन्धक बना दिया जाता है जो उस पद के योग्य नहीं होते हैं । यदि हम सरकारी क्षेत्र में कामयाब नहीं होते हैं तो इसका कारण यही है कि उचित व्यवस्था वाले लोगों को व्यावसायिक प्रबन्ध नहीं दिया जाता है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे और इस विशेष खंड पर पुर्नविचार करेंगे ।

लेखा परीक्षकों के बदले जाने और उनके काम पर अधिकतम सीमा लगाये जाने के बारे में मेरा निवेदन है कि पुनरीक्षित उपबन्ध मूल उपबंध से कहीं अधिक युक्तिसंगत है ? परन्तु 1913 में बनाये गए कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत लेखा परीक्षकों के कर्त्तव्य क्या हैं ? उनका कर्त्तव्य केवल अंशधारियों को सूचित करना है । श्रमिकों और सरकार तथा समुदाय के प्रति उनका कुछ उत्तरदायित्व होना चाहिए । लेखा परीक्षा का वह उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण उपेक्षित है । धारा 227, उप-धारा 2 का यदि कोई ध्यान पूर्वक अध्ययन करे तो पता चलता है कि लेखा परीक्षा का कर्त्तव्य सूचना देने तक सीमित है । लेखा-परीक्षक के व्यवसाय पर अधिकतम सीमा लगाने से सम्बन्धित उपबंधों को युक्तिसंगत बनाते समय उसके कार्यों को भी युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिये था ।

इस मामले का एक और पहलू है । कराधान विधियां संशोधन विधेयक के अन्तर्गत केवल वे ही लेखापरीक्षाएं आयेंगी जो नियमित क्षेत्र से बाहर होंगी । अतः मेरा निवेदन है कि कम्पनी विधि में संशोधन करना होगा ताकि लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्वों को कराधान विधियां संशोधन विधेयक के अन्तर्गत गैर-नियमित क्षेत्र के लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्वों जैसा बनाया जा सके । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर उचित विचार करेंगे ।

कम्पनी विधि-बोर्ड का नाम अब कम्पनी विधि न्यायालय रखा जायेगा । पहले जिन थोड़े से अधिकारों का प्रयोग न्यायालयों द्वारा किया जाता था उनका प्रयोग अब कम्पनी विधि न्यायालय द्वारा किया जायेगा । ऐसी आशा की जाती है कि कम्पनी विधि न्यायालय अपनी अर्द्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौकरशाही पूंजीवाद का दूसरा रूप नहीं होंगे ।

ब्रिटिश विधि के अन्तर्गत जब भी किसी संस्था के ज्ञापन के किसी अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है तो पन्द्रह प्रतिशत अंशधारियों/डिवेंचरधारियों को उचित न्यायालय में अपील करने का अधिकार होता है। यहां भी कुछ ऐसे ही उपबन्ध किये जाने चाहिये । ऋणदाताओं के हितों को खतरे में नहीं डालना चाहिये ।

मैं प्रो० मधु दंडवते के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इस विधेयक का उद्देश्य निजी एकाधिकार पूंजी के हाथ में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण पर रोक लगाना है । इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी और काले धन में वृद्धि होगी तथा कुछ लोगों के हाथ में शक्ति आ जायगी ।

चीनी और कपड़ा उद्योग में पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है । तीन-चार कारों के मामले में मूल्य भी बढ़ाये जा रहे हैं ।

सरकार छोटी कम्पनियों की सहायता क्यों नहीं कर रही है? विद्युत और अन्य वस्तुओं की कमी के कारण छोटी कम्पनियां इस स्थिति में नहीं हैं कि वे अपने कारखाने चला सकें। वे अपने लाइसेंस बड़ी कम्पनियों को बेच रहीं हैं। जिस पर कोई रोक नहीं है। चोरी-छिपे की जाने वाली इन गतिविधियों को रोकने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इस एकाधिकारी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर किया जाता?

यह विधेयक अधूरा कानून है। संशोधित विधेयक से मुश्किल से निगमित प्रबन्ध और होलिडंग कम्पनियों में व्याप्त बुराइयां दूर हो पाएंगी।

कम्पनी विधि बोर्ड को इतनी अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। इस पर कुछ रोक होनी चाहिए। इस संशोधक विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है।

इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया गया है जिसमें कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिए जाने की व्यवस्था हो। मैं नहीं समझता कि क्या सरकार अभी भी यह महसूस करती है कि बेहतर उत्पादन के लिए श्रमिकों का कम्पनी के प्रबन्ध में प्रनितिधित्व होना चाहिए।

निःसन्देह लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ सुधार किया गया है परन्तु लागत लेखाकारों को लेखा परीक्षक नियुक्त करने के बारे में क्या किया गया है? सरकार बड़ी कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य क्यों नहीं कर देती कि वे लागत लेखाकारों को लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करें? इस प्रयोजन के लिए एक सांविधिक उपबन्ध होना चाहिए।

मैं सरकार पर स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि अपनी पवित्र इच्छाओं के बावजूद उसने विड़ला, टाटा और सिंघानिया जैसे बड़ी-बड़ी कम्पनियों को कालाधन इकट्ठा करने दिया है। बड़-बड़े व्यापारियों द्वारा उनके कर्मचारियों को देय भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा का अंशदान अदा नहीं किया गया है उनसे वह राशि वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन बातों की जांच की जानी चाहिए ताकि विधेयक का उद्देश्य पूरा हो सके।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : These amendments are not going to bring about vital changes. Economic power continues to be concentrated in a few hands. No steps have been taken to check it.

Three points are necessary First, the Board of Director should consist of the members who can deliver good in the national interest.

Second, the present system of appointment of auditors is not defective.

Third, there is malpractice in the purchase and elling Agency to a longer extent.

Section 408 of the original Act has been amended in 1959. But the persons having no knowledge of purchase and sale were appointed as Directors. There should be representatives of workers in the Board of Directors. I have given an amendment in this regard.

There is a provision in section 530 of the original Act that whenever a company goes into liquidation, a sum of Rupees One Thousand should be paid to the workers as first charge. This amount was increased to Rs. 2 thousand when the Act was amended in 1959. Snce then, there is provision for the same amount whereas the cost of living index has considerably gone higher. There should be provision for Rs. 5 thousand as first charge.

The system of appointment of auditors of the companies is not good. The companies continue to keep such auditors for a long period who can prepare bogus balance-sheet.

I submit that the firms having Chartered Accountants should be nationalised these amendment are merely a portch-work.

A legal provision has been made to the effect that the amount of donations and charities should not exceed Rs. 25 thousand. If such donations are made, they should be given from one's pocket and not from the company's fund.

Internal Audit system and Cost Audit are very essential. There is mismanagement in several companies to-day. The big capitalists spend huge amount of the funds of the company on tours of foreign countries. They show less profits in order to pay less amount of bonus and greatuity etc. to the workers the company Act should be so amended that this mismanagement is removed.

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) मंत्री महोदय ने इस विधेयक को पुन: स्थापित करते समय कहा कि इस विधेयक से निगमित क्षेत्र में अधिक कुशलता और सामाजिक न्याय बढ़ेगा परन्तु इससे प्रगति में बाधा आएगी।

वर्ष 1956 के बाद इस अधिनियम में अनेक बार संशोधन किए गए हैं परन्तु निगमित संस्थाओं की खरीद और बिक्री की नीतियों जैसे नाजुक पहलुओं पर कभी विचार नहीं किया गया।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक से उद्देश्य पूरा होगा ? नहीं। इस विधेयक से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

इस विधेयक पर प्रवर समिति ने विचार किया है और उसने अनेक उपयोगी सुधार किए हैं तथापि इसमें अनेक अस्पष्ट और विषम बातें हैं जिन्होंने विधेयक को और अधिक जटिल बना दिया है। यह विधेयक अपने आप में पूर्णतया नकारात्मक है। इस विधेयक का अर्थ और कुछ नहीं बल्कि निगमित संस्थाओं के कार्यकरण में बाधाएं, प्रतिबंन्ध आदि पैदा करना है। अच्छा होता यदि सरकार इन समस्याओं पर विचार करती और इनके सुधार कार्यकरण के लिए कुछ करती।

इस विधेयक से सरकारी अधिकारियों को इतनी अधिक शक्तियां मिल गई हैं कि गैर-सरकारी उद्यमी अब किसी भी रूप में गैर-सरकारी नहीं रहेगा। इस विधेयक से इन संस्थाओं का लगभग राष्ट्रीयकरण सा हो जाता है जहां इनके संचालन का उत्तरदायित्व नहीं लिया गया है। इससे उत्पादन गिर जाएगा। मैं इसे कार्यकरण के मामले में गैर-लोकतांत्रिक कहूंगा।

आज किसी भी विधेयक की परख की कसौटी यही है कि क्या उससे मुद्रा स्फीति रुकेगी अथवा नहीं और क्या उससे उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी अथवा नहीं। सरकार, उत्पादन बढ़ाना आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मानती है। परन्तु इस विधेयक से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। यदि सरकार मूल्य वृद्धि रोकना चाहती है तो इसे उत्पादन विरोधी कानूनों को कुछ समय के लिए निलम्बित करना होगा। 1974 की प्रथम छमाही में 34 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई है और यदि आज की सरकार की नीतियां बनी रहीं तो वर्ष के अंत तक मूल्यों में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो जाएगी। सरकार को इस स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला करना होगा। परन्तु मेरे विचार से इस विधेयक से प्रगति रुकेगी, उत्पादन

एवं आर्थिक विकास में रुकावटें आएंगी । परन्तु सरकार द्वारा आज राष्ट्र के साथ और जनता के साथ धोखा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि स्थिति को सुधारने के लिए अध्यादेश जारी किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप भी मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

सरकारी उपक्रमों में बहुत अधिक धन लगा है परन्तु उनसे आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे । गैर-सरकारी क्षेत्र में भी अनेक रुकावटें हैं । उनके संबंध में अनेक संशोधन हैं । धारा 293 क के बारे में एक महत्वपूर्ण संशोधन है । देश में यह धारणा व्याप्त है कि कांग्रेस दल राजनैतिक दलों को चन्दा देने के लिए कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास कर रहा है परन्तु दूसरी ओर स्वयं यह दल निगमित क्षेत्र से प्राप्त काले धन पर ही फल-फूल रहा है । इस प्रकार की दोहरी बातों के कारण आज देश के नेताओं की प्रतीष्ठा गिर रही है । राजनैतिक दलों को मिलने वाले चन्दे पर से जितना शीघ्र प्रतिबन्ध हटाया जाएगा उतना ही अच्छा होगा । यह समझा जाता है कि सरकार ने इस बारे में निर्णय कर लिया है परन्तु फिर भी इसी विधेयक में इसे सम्मिलित न करने की बात समझ में नहीं आती ।

सरकार को लाइसेंस प्राप्त क्षमता के पूर्ण उपयोग की ओर ध्यान देना चाहिए । आज स्थिति यह है कि कोई भी निगमित क्षेत्र में धन लगाने को उत्सुक नहीं। यदि आप चाहते हैं कि देश में इसी प्रकार की स्थिति बनी रहे तो इसी प्रकार के उपाय जारी रखे जा सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

***श्री टी० एस० लक्ष्मणन् (श्रीपोम्बइर)** : हमारे देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में 36,115 और सरकारी क्षेत्र में 412 कम्पनियां हैं जिनकी प्रदत्त पूंजी क्रमश : 3041 करोड़ रुपया और 2380 करोड़ रुपया है । यह विधेयक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है । इस विधेयक के 40 खण्ड हैं जिनमें से 35 खण्ड प्रवर समिति द्वारा संशोधत किए गए हैं । इससे स्पष्ट है कि यदि इसे प्रवर समिति को निर्देशित न किया गया होता तो इसमें अनेक खामियां रह गई होतीं ।

अब सरकार को इस विधेयक के उपबन्धों को गैर-सरकारी एवं सरकारी, दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू करना चाहिए । सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में लगा धन जनता का धन है । इस धन का प्रवन्ध करने का महान उत्तरदायित्व सरकार के कन्धों पर है जिससे कि जनता को इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । सरकारी क्षेत्र की हानि जनता के धन की हानि है । सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जनता अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके कर देती है। अत: इस क्षेत्र में लगे धन पर हानि नहीं होनी चाहिए।

परन्तु इसके विपरीत आज की स्थिति यह है कि कुछ महीने पहले तक 10 सरकारी कम्पनियों में प्रबन्ध निदेशक नहीं थे। पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन तीन सरकारी कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशक के पदों पर एक व्यक्ति श्री वर्मा को नियुक्त किया गया है । सरकारी कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों का पालन नहीं किया जाता । आय वार्षिक बैठक समय पर नहीं की जाती। सरकार को सरकारी कम्पनियों के कुप्रबन्ध और कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों की अवहेलना के लिए उनके विरुद्ध कठोर कार्य-

*(तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर) ।
Summarised translated version based on English translation of the Speech delivered in Tamil.

वाहीं करनी चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सरकार के न्याय के प्रति जनता का विश्वास उठ जाएगा। यह सरकारी कम्पनियों के प्रति पक्षपात होगा और देश की आर्थिक प्रगति में भी इससे बाधा आएगी ।

यद्यपि देश में 36,115 गैर-सरकारी कम्पनियां हैं परन्तु जांच निदेशालय ने गैर-सरकारी कम्पनियों की लेखा तथा अन्य पुस्तकों के 263 निरीक्षण किए । कानूनी उपबन्धों को व्यवहार में लाना चाहिए । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएं । सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि इन निरीक्षणों से कदाचार एवं कुप्रबन्ध के मामले सामने आए हैं । परन्तु फिर भी जांच निदेशालय में कर्मचारी-संख्या बढ़ाई नहीं गई है। कम्पनी अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए यह जरूरी है ।

मैं विधेयक के खण्ड 19 का समर्थन नहीं करता जिसके अन्तर्गत 6 महीने तक लाभांश न लेने की स्थिति में उसे केन्द्रीय राजस्व में जमा करने की बात है । और उस स्थिति में वैध दावेदार को उसका दावेदार बनने पर सरकार से अनुरोध करना होगा । सरकार के हाथ में गया धन तो हाथी के मुंह में गए अन्न के समान है । शेयरधारी के लिए उसे सरकार से वापस पाना आसान नहीं । इस प्रकार की राशि को कम्पनी द्वारा अलग लेखे में अपने पास रखा जाना चाहिए। विधेयक में इसके लिए उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए ।

विधेयक के खण्ड 31 से सरकार को अपनी इच्छा के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति मिल जाती है । सरकारी कम्पनियों के निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है । ये कम्पनियां अनेक वर्षों से घाटे पर चल रहीं हैं । इससे मन में यह बात उत्पन्न होती है कि क्या सरकार सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति करने में समर्थ भी है कि नहीं। सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के आधार पर गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की स्थिति के बारे में भी यह संशय उत्पन्न होता है । अतः इस स्थिति में सुधार की अपेक्षा है ।

कम्पनियों के प्रबन्ध में श्रमिकों को योगदान दिया जाना चाहिए । तमिलनाडु सरकार ने श्रमिकों को निगम का अंशधारी बनाया है । उससे कार्यकुशलता आदि में जो सुधार हुआ है वह उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। यदि सरकारी कम्पनियों को लाभप्रद स्थिति में लाना है तो प्रबन्ध में श्रमिकों को सम्मिलित करना होगा। इस प्रकार प्रबन्ध में कर्मचारियों का निहित स्वार्थ उत्पन्न होगा । इस विधेयक में सभी सरकारी कम्पनियों के निदेशक मंडलों में श्रमिकों को अनिवार्य एवं सांविधिक प्रतिनिधित्व देने संबंधी उपबन्ध होना चाहिए, तभी उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

गैर सरकारी कम्पनियों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी सांविधिक उपबन्धों की आवश्यकता है। सरकार ने खण्ड 31 के अधीन निदेशक नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त की है इसे गैर सरकारी कम्पनियों को अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए निदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए । तमिलनाडु सरकार ने अपने अधीन कम्पनियों को इस प्रकार के निदेश जारी कर दिए हैं । केन्द्र सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कम्पनी कानून एक ऐसा विधान है जिस के देश की बदलती स्थिति के अनुसार निरन्तर पुनरीक्षण और पुनः निर्धारण की आवश्यकता है । जब से कम्पनी अधि-

नियम बनाया गया है तब से लेकर 1960, 1965 और 1969 में उसमें समय के अनुकूल अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इससे उपरोक्त मत की पुष्टि होती है। इसी संदर्भ में इस विधेयक द्वारा भी मूल कम्पनी अधिनियम के अनेक उपबन्धों का संशोधन किया जा रहा है।

इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू किसी कम्पनी के अधिग्रहण के बारे में उपबन्ध है। पिछले कुछ समय से निगमित क्षेत्र में कुछ समूहों अथवा व्यक्तियों द्वारा सुचारू कम्पनियों के अधिकार ग्रहण करने के पश्चात उनमें कदाचार प्रकट हुए । कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 372 और एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 23 को इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त किया गया। उसको रोकने के लिए इस विधेयक में उपबन्धों का समावेश किया गया है जो कि स्वागत योग्य है।

सरकार द्वारा कम्पनी एवं अंशधारियों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से निदेशक नियुक्त किये जाते हैं। परन्तु अब तक के उपबन्धों के अनुसार उन का प्रभाव कारगर सिद्ध नहीं हुआ । इस विधेयक में कम्पनी, अंशधारियों एवं जनता के हितों की रक्षा के लिए उपबन्ध रखे गए हैं।

प्रवर समिति ने विधेयक में पर्याप्त सुधार किया है परन्तु इसमें आगे सुधार की और अपेक्षा है । कम्पनियों द्वारा अपने शेयर स्टाक एक्सचेंजों को सूचित नहीं किये जाते । इसी प्रकार बेनामी अंशधारियों की समस्या है । लेखा परीक्षा के विषय में भी एकाधिकार की स्थिति बन रही है जिसके कारण शेयर धारियों और उपभोक्ताओं के हितों की उपेक्षा होती है। इस विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करना है।

इस विधेयक में भूतपूर्व मैनेजिंग एजेन्टों, सचिवों और कोषाध्यक्षों की नियुक्ति पर प्रतिबन्धों के बारे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं। 1970 में मैनेजिंग एजेंसी पद्धति समाप्त करके भूतपूर्व मैनेजिंग एजेंन्टों, सचिवों व कोषाध्यक्षों को उनकी शक्तियों से वंचित किया गया था । उसके पश्चात यह पाया गया कि वे लोग गलत तरीके अपना कर फिर से पहले वाले संगठनों एंव कम्पनियों में प्रवेश कर सकते थे। नये उपबन्धों के अनुसार यह व्यवस्था की जा रही है कि भूतपूर्व मैनेजिंग एजन्टों, सचिवों व कोषाध्यक्षों के द्वारा किसी ढंग से फिर से प्रवेश करने का कोई इरादा हो तो उससे पूर्व सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस प्रकार कुछ सीमा तक यह बुराई भी दूर होगी।

विधेयक में कुछ कमियां रह गई हैं और जब तक उन्हें दूर नहीं किया जाता तब तक विधेयक के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेंगे । यदि कम्पनी कानून में आमूल परिवर्तन किये जाने हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जाना है तो यह आवश्यक है कि कम्पनियों के प्रबन्ध बोर्डों व निदेशक बोर्डों के ढांचे में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं कि उन में शेयर धारियों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं की आकांक्षाएं परिलक्षित हों।

यदि इस विधेयक के उपबन्धों को कारगर रूप से कार्यान्वित किया जाना है तो वित्तीय सस्थाओं संबंधी परिकल्पना को भी व्यापक बनाना होगा जिससे कि राष्ट्रीयकृत बैंक और सामान्य बीमा निगम को भी वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सके।

इसमें कोई शक नहीं कि लेखापरीक्षा पद्धति को सुधारा जा रहा है परन्तु इसका एक पहलू और भी है । कुछ लोगों का मत है कि लेखा परीक्षा एक 'विशेषज्ञ' विज्ञान है और

लेखापरीक्षकों की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाया जाना चाहिये। इसको देखते हुए मैं यह दोहरी लेखा प्रणाली का सुझाव देना चाहता हूं। कम्पनी की लेखा परीक्षा के लिए दो लेखा परीक्षक हों जिनमें से एक प्रवर लेखा परीक्षकों की सूची में से लिया जाए और दूसरा अवर लेखा परीक्षकों की सूची में से यह सूचियां इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा तैयार की जाएं।

अतिरिक्त अशंदान के कारण भी अनेक गोलमाल होते हैं। प्राय: यह अनुभव किया जाता है कि कुछ कम्पनियां अपने शेयरों का विज्ञापन करके अधिक शेयर बेचती हैं। तब यह अतिरिक्त धन काफी समय तक कम्पनियों के पास पड़ा रहता है। इस धन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। इस बारे में मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के धन को शेयरों के पूरी तरह बिक जाने के तुरंत बाद उन लोगों को तुरंत लौटा दिया जाए जिन्होंने वह धन भेजा और यदि ऐसा न करें तो उस पर 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाये।

अदा न की गई लाभांश की राशि के अन्तरण संबंधी उपबन्ध मेरी दृष्टि में अनुचित हैं। प्राय: यह देखा जाता है कि बड़े बड़े अशंधारी तो लाभांश घोषित होने के तुरंत बाद अपने दावे प्रस्तुत कर देते हैं परन्तु छोटे छोटे अशंधारी पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार अदा न की गई लाभांश की राशि को सरकार के पास जमा करने से उन छोटे अंशधारियों के लिए कठिनाईयाँ उत्पन्न होंगी। इसको वापस लेने की प्रक्रिया जो निर्धारित है वह बहुत ही दुष्कर है। अत: इसे नहीं रखा जाना चाहिये। मैंने अपनी उपरोक्त बातों के संबंध में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं और मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय मेरे संशोधनों पर विचार करें।

संशोधनों के संबंध में हमारी प्रक्रिया इस प्रकार की है कि यदि कोई सदस्य मूल अधिनियम के विषय में कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत करना चाहे जो संशोधन विधेयक के किसी उपबन्ध के विषय में नहीं हैं तो उसे उक्त संशोधन पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। कम्पनी विधेयक 1956 के विषय में मैं कुछ इस प्रकार के संशोधन प्रस्तुत करना चाहता था परन्तु प्रवर समिति में भी मुझे उसकी अनुमति नहीं दी गई। मेरा अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को बदला जाय और मेरे संशोधनों पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल अधिनियम के विषय में इस प्रकार के संशोधन के सुझाव दिये जा सकते हैं जो संशोधन विधेयक के अन्तर्गत न भी आते हों। इसके लिए अनेक रास्ते हैं। यदि कोई ऐसा संशोधन हो जो किसी प्रस्तावित संशोधन के परिणाम स्वरूप आवश्यक हो गया हो तो वह भी मामला उठाया जा सकता है। उसके लिए दूसरा ढंग यह है कि संशोधन विधेयक में नया खंड जोड़ने का संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका तीसरा ढंग यह है कि यदि कोई विधेयक प्रवर समिति के विचाराधीन हो तो समिति, अध्यक्ष अथवा सरकार को इस बारे में प्रतिवेदन दे सकती है कि ये संशोधन आवश्यक हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I rise on a point of order. I think under Rule 79 if a notice of an amendment to a clause or schedule has not been given, any member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail, unless the speaker allows the amendment to be moved. I think we should not stick to technicalities, if an improvement can be made in the Bill. Permission should be given to him to move an amendment during the second reading.

श्री एच० आर० गोखले : मैं तकनीकी बातों का उल्लेख नहीं कर रहा। यदि पूर्व सूचना न हो तो सरकार के पास संशोधन पर विचार करने का समय नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है । यदि मंत्री महोदय चाहें तो वे स्वयं भी आवश्यक संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : क्या आप संशोधनों का उल्लेख कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उसका उल्लेख कर रहा हूं । वह कह रहे थे कि विलम्ब होने से इसका समय निकल गया है । मैं इसे अभी भी स्वीकार कर सकता हूं परन्तु गैर-सरकारी सदस्यों के संशोधनों का सरकार को अध्ययन करना पड़ता है ।

श्री मधु लिमये : हम एक दिन के लिये चर्चा स्थगित कर सकते हैं और नये संशोधन दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य आग्रह करते हैं तो मैं मंत्री महोदय का संशोधन भी स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं उन संशोधनों को प्रस्तुत नहीं करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उन संशोधनों को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं । (**व्यवधान**) कृपया, शांत रहिये । मंत्री महोदय उन्हें पेश नहीं कर रहे हैं इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने दो संशोधन दिये । वे संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष पहले ही रखे जा चुके हैं । हमें बताया गया है कि वे संशोधन असंगत हैं । अतः उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है और उन पर विचार नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका यही उपाय है कि हम एक दिन और लें और इस मामले पर विचार करें ।

श्री एच० आर० गोखले : संशोधनों की बहुत लम्बी सूची है । यदि और संशोधन लिये जायेंगे तो बहुत विलम्ब हो जायेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने भाषण दिये हैं । विरोधी दल के जो सदस्य बोलना चाहे, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधु लिमेय को तीसरे वाचन के समय बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं समझता हूं कि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । श्री लिमये जो बात कहना चाहते हैं वह उनके सहयोगी प्रो० दंडवते कह चुके हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि यदि सत्तारूढ़ दल के वक्ता न हों तो विरोधी पक्ष के सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय श्री लिमये की बात सुनने को तैयार हैं ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं वाद-विवाद में बाधा नहीं डालना चाहता । यह पूर्वोदाहरण नहीं बनना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होगा । श्री लिमये, आप अधिक समय न लें ।

Shri Madhu Limaye : I start from Clause 37. This clause is abount the remuneration to be given to the office-bearers of the companies. Will the hon. Minister place before the House the details of the salaries, allowances and other facilities given to the office-bearers of the companies?

I want to know whether the Government will exercise their powers in the public interest? It seems that the Government has not so far exercised their powers with regard to their remuneration. They must adopt stringent measures in this regard.

Efforts have been made to bring the foreign companies within the purview of clauses 32 and 33. A comprehensive provision should be made about the foreign companies for a transitional period.

Take clause 31. A provision has been made to increase the number of Government Directors. It is not enough. It should be made obligatory on the part of the Directors to put their signatures on the decisions and minutes of the Boards of Directors.

It is stipulated in Clause 30 that there should be a whole-time Secretary. This is a bureaucratic tendency. I think there is no need for a full-time paid Secretary.

So far as Clause 27 is concerned. it is good that restriction has been imposed on the sole Selling Agency.

There are provisions in this Bill about the take-over bids. But I am sorry to say that the laws under the existing Companies Act have not yet been excercised. If the Government deos not deal with the companies indulging in mismanagement willingly and sincerely. These provisions will not work.

Why does the Central Government want to put the amount of dividend in the General Revenue Account under Clause 19 of The hon. Minister should clarify the position.

Why the Joint Committee has changed the provisions regarding deposits while the original provisions were good? It will not be good if the Government exempts the companies, which have not marketed their products, to receive deposits from public.

Judicial powers have been conferred on the Company Law Board. It is not good. The Company Law Board is already not functioning satisfactorily.

श्री एच० आर० गोखले : मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य ने वाद-विवाद में भाग लिया है । प्रो० दंडवते द्वारा किये गए वर्तमान उपबंधों के पुनर्विलोकन से मेरा काफी बोझ कम हो गया है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी **पीठासीन हुए**

Shri Dinesh Chandra Goswami in the Chair.

इन उपबंधों पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है । इस विधेयक द्वारा वर्तमान कम्पनी कानून में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं ।

कुछ मूल बातों के बारे में उल्लेख किया गया है । "समूह" की धारणा के बारे में संयुक्त समिति में विस्तृत चर्चा की गई । संशोधी विधेयक के खंड 2 में निर्दिष्ट "समूह" की परिभाषा पर काफी मतभेद भी हुआ । "समूह" की परिभाषा स्पष्ट है । अब कम्पनी

विधि बोर्ड यह निर्धारित करने की स्थिति में होगा कि अमुक व्यक्ति "समूह" के हैं या नहीं। "समूह" की परिभाषा उन कम्पनियों के संदर्भ में संगत है जो एकाधिकार तथा निमन्धित-कारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं। यह सही है कि संयुक्त समिति में यह संशोधन उस समय किया गया जब यह बताया गया कि यदि "वही प्रबन्ध" की धारणा सभी कम्पनियों पर लागू की गई तो छोटी और मध्यम क्षेत्र की कम्पनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके विकास में बाधा आयेगी। अतः "वही प्रबन्ध" की पूरी परिभाषा को एका-धिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम अन्तरित कर दिया गया।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्या यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा ?

(श्री एच० आर० गोखले) : यह भूतलक्षी प्रभाव से तो लागू नहीं होगा परन्तु एम० आर० टी० पी० एक्ट के अन्तर्गत अनेक मामले विचाराधीन पड़े हैं और ज्यों ही यह विधेयक पारित हो जायेगा, यह उन सभी मामलों पर लागू होगा जो एम० आर० टी० पी० आयोग के समक्ष जांच हेतु पड़े हुए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : एम० आर० टी० पी० आयोग द्वारा विलम्ब एवं उत्तम गुण बन गया है।

श्री एच० आर० गोखले : यह सही नहीं है। एम० आर० टी० पी० आयोग अब मामलों को शीघ्रता पूर्वक निपटा रहा है। अधिनियम के अन्तर्गत 90 दिन की अवधि में प्रतिवेदन दिए जाने की आशा की जाती है परन्तु यदि जांच पूरी न हो तो उसके द्वारा जानकारी स्थगित करने के लिए अधिक समय मांगे जाने के लिए उपबंध है।

कम्पनी अधिनियम की धारा 408 का उल्लेख किया गया है जो सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के बारे में है। वर्तमान कानून के अन्तर्गत केवल दो निदेशक नियुक्त किए जा सकते हैं परन्तु यदि वे दोनों निदेशक कम्पनी के प्रबंध पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं कर सकते जहां ऐसा करना आवश्यक होता है, तो यह प्रस्तावित संशोधन इसलिये है कि सार्व-जनिक हित में कम्पनी के प्रबन्धक कुप्रबन्ध पर नियंत्रण करने के लिए चाहे जितने निदेशक नियुक्त किए जा सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते ने सभी स्टाक एक्सचेंजों की सूची न बनाए जा सकने जा उल्लेख किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण ऐसा आवश्यक हो गया है जहां सरकार के उस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया जिसे वह पहले अपनाए हुए थी।

वर्तमान कानून, जैसा भी है, इस के अन्तर्गत न्यायालयों का यह दृष्टिकोण रहा है कि उन सभी स्टाक एक्सचेंजों में सूची रखना अनिवार्य नहीं है जो विवरण-पत्र (प्रौस्पैक्टस) में निर्दिष्ट हैं।

इस कमी को दूर करने के लिए अब यह उपबंध किया गया है कि यदि वे विवरण-पत्र में चार स्टाक एक्सचेंजों का उल्लेख करते हैं तो उन चारों स्टाक एक्सचेंजों में शेयरों की सूची रखी जानी चाहिए। यदि वे चार का उल्लेख नहीं कर सकते हैं तो एक का ही उल्लेख करें।

इस विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा विचार किए जाने के समय एक महत्वपूर्ण पहलू छूट गया है । इस पर मैंने एक संशोधन दिया है । उपबंध इस प्रकार था कि जब कम्पनियां पूंजी प्राप्त करती हैं, मान लीजिए एक करोड़ रुपये की तो अंशों के माध्यम से पूंजी 2-3 करोड़ रुपये हो जाती है । जिस व्यक्ति को शेयर नहीं मिलता है उसे वह राशि वापस की जानी चाहिए ।

एक कदाचार यह है कि कम्पनियां उस राशि को अपने पास रख लेती हैं और उस पर ब्याज देने का उपबंध भी है जो अब पुराना हो गया है । हमने 12 प्रतिशत ब्याज का प्रस्ताव किया है जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

बनामी सौदों का उल्लेख किया गया है । शयर हस्तांतरित करने वाले और जिसे हस्तांतरित किया जाता है उस व्यक्ति के लिए अब यह अनिवार्य हो गया है कि वे दोनों एक निर्धारित फार्म पर घोषणा करें कि वास्तव में वह किसे मिलेगा।

लाभांश के लिये रक्षित निधियों के सम्बन्ध में वाणिज्य मंडल द्वारा की गई आलोचना को मैंने पढ़ा । उनकी मुख्य आलोचना यह थी कि यदि उन्हें लाभांश को घोषणा के लिये रक्षित निधियों का प्रयोग न करने दिया गया तो उससे रक्षित निधि बनाने में उत्साह नहीं मिलेगा । हमारा उत्तर यह था कि हम उनके लिये यह अनिवार्य कर देंगे कि वे लाभ का कुछ भाग रक्षित निधि में लायें ताकि वे वह सब कुछ न कर सकें जो रक्षित निधि बनाने में उत्साह प्रदान न करें । यह उपबंध किया गया है और एक सीमा लगाई गई है।

अप्रदत्त लाभांश के रूप में जो निधि है उसके प्रयोग के बारे में भी कहा गया है । कम्पनियों के पास लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि अप्रदत्त लाभांश के रूप में पड़ी हुई है । छोटे अंशधारियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बड़े पूंजी-निवेशकर्त्ता तो किसी न किसी तरह लाभांश ले लेते हैं । अतः प्रस्तावित उपबंध में ऐसी व्यवस्था है कि वह लाभांश जिनका भुगतान नहीं किया गया है, उसे इस प्रयोजन के लिये खोले जाने वाले तीन वर्ष की अवधि के लेखे में हस्तांतरित कर दिया जायेगा । यदि तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद लाभांश का भुगतान न किया जाये तो उसे सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाये।

भूतपूर्व प्रबन्ध एजेन्टों के बारे में उल्लेख किया गया है । प्रबन्ध एजेंसी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है । फिर भी कम्पनी का नियंत्रण किसी न किसी रूप में उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में रहता है । अब यह सांविधिक उपबंध किया गया है कि प्रबन्ध एजेंसी प्रणाली समाप्त किए जाने के समय जो व्यक्ति प्रबन्ध एजेंट थे उन्हें सरकार की अनुमति के बिना किसी न किसी रूप में कार्य करने से रोका जायेगा।

विधेयक के खंड 3 में वित्तीय संस्थाओं की परिभाषा की गई है। ये मान्यता-प्राप्त संस्थाएं हैं जो विभिन्न कम्पनियों में पूंजी-निवेश करती हैं। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा निगम । एक प्रकार से राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्थाएं हैं। परन्तु वे साधारणतया इस लिए पूंजी निवेश करने वाली संस्थाएं नहीं हैं क्योंकि वे कम्पनियों के शेयरों में निवेश नहीं करती हैं। वे ऋण देती हैं। अतः हमने विचार किया कि हमें केवल उन्हीं मान्यता-प्राप्त संस्थाओं तक सीमित रहना है जो पूंजी-निवेश करती हैं ।

लेखा-परीक्षकों के बारे में उल्लेख किया गया है । इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य यही है कि लेखा-परीक्षकों से जिस ग्रात्म-निर्भरता की ग्राशा की जाती है वह खतरे में न पड़े। इस उपबंध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कुछ ही लेखा परीक्षक फर्मों के हाथ में लेखा-परीक्षा कार्य केन्द्रित न रहे । इस लिए उनके कार्य पर सीमा लगाई गई है । इसका कर्मचारियों ग्रौर इंस्टीट्यूट ग्राफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स द्वारा स्वागत किया गया है।

मुझे विश्वास है कि इसे संयुक्त समिति में भी बहुत ग्रधिक समर्थन मिला है।

धारा 293 क को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है । वम्बई उच्च न्यायालय ने ग्रपने एक मामले में निर्णय दिया था कि कानून किसी कम्पनी को ग्रंशदान करने से नहीं रोक सकता । वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना कठिन है कि धारा 293 क को समाप्त किया जाये ग्रथवा नहीं । मैं तो इस बारे में केवल यह कह सकता हूं कि हम इस विषय पर पूरी तरह विचार करेंगे ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : अनुभव यह बताता है कि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुग्रा है बल्कि इससे स्थिति ग्रौर बिगड़ी ही है ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं केवल यह कह सकता हूं कि हम इस बारे में विचार करेंगे । माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि हमन इस विधेयक में लागत लेखापालों के लागत लेखापरीक्षा करने के ग्रधिकारी को भी मान्यता दी है । हमें यह जानकारी मिली है, ग्रौर हमारे पास इस बारे में पर्याप्त ग्रांकड़े भी उपलब्ध हैं कि कुछ समय तक पर्याप्त संख्या में ग्रर्हता प्राप्त लागत लेखापाल उपलब्ध नहीं होंगे । ग्रत: जब तक वे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों निर्धारित ग्रर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को ग्रधिसूचना जारी कर उक्त कार्य करने की ग्रनुमति दी जानी चाहिये ।

जहां तक न्यायालय की शक्तियां वापिस लेने की प्रश्न है, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे० सी० शाह की, जो बकाया समिति के ग्रध्यक्ष थे ग्रध्यक्षता में गठित समिति ने सिफारिश की है कि ये ऐसे कार्य हैं कि इन्हें किसी भी तरह से न्यायालयों के ग्रधिकार क्षेत्र में नहीं रखा जाना चाहिये । इन्हें कम्पनी विधि बोर्ड को सौंपा जाना चाहिये । कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्यों की ग्रधिकतम संख्या इसे बढ़ाकर 9 करने के बारे में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था । मैंने संयुक्त समिति में उल्लेख किया है कि कम्पनी विधि बोर्ड की विभिन्न बैंचों को विभिन्न मामलों को निपटाने के ग्रधिकार दिये गये हैं।

कम्पनी विधि बोर्ड को ग्रर्धन्यायिक निकाय के रूप में काम करना होता है । ऐसा निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है । संविधान के ग्रनुच्छेद 136 के ग्रन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड पर नियंत्रण रखना सरकार का ग्राशय नहीं है।

इस सम्बन्ध में एक ग्रन्य वैधा ग्रालोचना की गई है ग्रौर वह यह कि वर्तमान विधान के ग्रन्तर्गत कम्पनी निधि बोर्ड को केवल सरकार की प्रत्यायोजित शक्तियां ही प्राप्त हैं। एक निकाय के रूप में शक्तियां कम्पनी विधि बोर्ड को दी जानी चाहियें । यही संशोधन किया गया है । कम्पनी विधि बोर्ड को प्रदान की जाने वाली शक्तियों के साथ सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । कम्पनी विधि बोर्ड को शक्ति विधान के उपबन्धों के ग्रन्तर्गत दी गई है ।

खंड 38 के अन्तर्गत पहली बार कुछ मार्ग दर्शन किया गया है जो परिलब्धियों का निर्धारण करने में सरकार के निर्णय के आधार को सुनिश्चित करेगा।

विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में दो खण्डों का भी उल्लेख किया गया है। जो कम्पनियां भारत के बाहर समाविष्ट हुई हैं और जो भारतीय कम्पनी विधि के अनुशासन के अन्तर्गत नहीं आती हैं, ऐसी कम्पनियों पर भी वही प्रतिबन्ध लागाये गये हैं जो भारतीय कम्पनियों पर लागू होते हैं।

पूर्णकालिक सचिव की व्यवस्था से असहमति प्रकट की गई है। यह सामान्य भावना है कि कम्पनी का व्यवसायिक स्तर पर प्रबन्ध उपयुक्त व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिये। इस उपबन्ध का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब व्यावसायिक सचिव पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जायें तो उन्हें पूर्णकालिक बना दिया जाये। वर्तमान अनुभव यह रहा है कि एक ही व्यक्ति केवल एक कम्पनी में ही सचिव के पद पर कार्य नहीं करता बल्कि तीन या चार कम्पनियों में सचिव के पद पर कार्य करता है। उक्त त्रुटि को दूर करने के लिये यह उपबन्ध किया गया है।

जहां तक एक मात्र बिक्री एजेंसी का सम्बन्ध है, बिक्री बढ़ाने हेतु एक मात्र विक्रय बिक्री एजेंसी रखने का मूल विचार अनेक कमी वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में सफल नहीं हो सका है।

धारा 108-क और 108-ज के अन्तर्गत इन्हें अपने अधिकार में लेने के अधिकार प्राप्त किये जा रहे हैं। इन अधिकारों के प्रयोग से ही हम कम्पनियों द्वारा शेयरों को अपने अधिकार में करने पर रोक लगा सके हैं।

कम्पनियों द्वारा जमाराशि स्वीकार करना खराब नहीं है क्योंकि अधिकांश मामलों में कम्पनी की कार्यकारी पूंजी का बड़ा भाग जमा राशि के रूप में प्राप्त होता है।

वित्तीय स्थिति के बारे में जमाकर्ताओं को कम्पनी की वास्तविक स्थिति से अवगत न कराना उचित नहीं है। अतः उस जमाराशि जो रिजर्व बैंक के विनियमों के अनुसार है वह तब तक जमा रहेगी जब तक उसकी अवधि समाप्त नहीं होती।

जमा राशियों के बारे में किया गया उपबन्ध बहुत हितकर है और वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त है।

Shri Madhu Limaye : There are no guide lives for the Government Director anu the persons appointed as directors as the representatives of the Public financial Institutions.

श्री एच० आर० गोखले : इस सुझाव की ओर हम ध्यान देंगे, यद्यपि इसका सम्बन्ध विधेयक के किसी खंड से नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:—"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 प्रतिभूति सुविधा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा एकाधिकारी तथा निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

सभापति महोदय : अब हम खंडों पर चर्चा करेंगे।

खंड 2

संशोधन किया गया : पृष्ठ 2, पंक्ति 16;—

"1973" के स्थान पर '1974' प्रतिस्थापित किया जाये (संख्या 3)

(श्री एच० आर० गोखले)

श्री आर० वी० बड़े : (खरगोन) : मैं अपने संशोधन संख्या 103, 104, और 105 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 103, 104 और 105 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments No. 103, 104 and 105 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

खण्ड—3

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 51 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 51 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड—5

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4, पंक्ति 15, "1973" के स्थान पर "1974" प्रतिस्थापित किया जाए। संख्या 4

(श्री एच० आर० गोखले) :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 6

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 4, पंक्ति 24 और 41,—"1973" के स्थान पर '1974' **प्रतिस्थापित** किया जाए **(संख्या 5)**

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 और 32, '1973' **के स्थान पर** '1974' **प्रतिस्थापित** किया जाए। **(संख्या 6)**

पृष्ठ 5, पंक्ति 39 और 40,—

"goods produced, supplied, distributed or controlled or service rendered"

["माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण या नियंत्रण या प्रदान की गई सेवाएं"] **के स्थान पर**

"realisation made from the sale, supply or distribution of goods or on account of services rendered., or both",

["माल के विक्रय, प्रदाय या वितरण से अथवा उसके द्वारा की गई सेवाओं, लेखे या दोनों के लिए की गई वसूली का संकलित मूल्य अभिप्रेत हो"] **प्रतिस्थापित** किया जाए। **(संख्या 7)**

(श्री एच० आर० गोखले)

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपने संशोधन संख्या 106, 107 और 108 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एच० आर० गोखले : ऐसी प्राईवेट कम्पनियां हैं जिनकी प्रदत्त पूंजी तो कम है परन्तु उनकी कुल बिक्री बहुत अधिक है और लाभ बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जिनकी कुल बिक्री एक करोड़ रुपए से अधिक की है उन्हें शामिल किया गया है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 106, 107 और 108 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments No. 106, 107 and 108 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

10—369LSS/74

खण्ड 7

संशोधन किये गये

पृष्ठ 6, पंक्ति 12, 23 और 37, "1973" के स्थान पर "1974" प्रतिस्थापित किया जाए। (संख्या 8)

पृष्ठ 6, पंक्ति 26,—

"in the manner specified in Clause (d)"

["खण्ड (घ) में उल्लिखित प्रकार से"] के स्थान पर

"in full on or before 1st day of April, 1975"

["1 अप्रैल, 1975 को अथवा इससे पूर्व पूर्णतया"] प्रतिस्थापित किया जाए। (संख्या 9)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 30 से 35 हटा दी जायें। (संख्या 10)

पृष्ठ 7, पंक्ति 9 और 10,—

"in contravention of the provisions of Sub-section (1) or sub-section (2),"

["उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में,"] के स्थान पर

"in excess of the limits prescribed under sub-section (1) or in contravention or the manner or condition prescribed under that sub-section or in contravention of the provisions or sub-section (2),"

["उपधारा (1) के अधीन विहित सीमाओं से अधिक या उस उपधारा के अधीन विहित रीति या शर्त के उल्लंघन में अथवा उपधारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में,"] प्रतिस्थापित किया जाए। (संख्या 11)

(श्री एच० आर० गोखले)

श्री आर० वी० बड़े: मैं संशोधन संख्या 109 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 109 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 109 was put and negatived.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 8

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 8, पंक्ति 1, "with" ["के साथ"] शब्द हटा दिया जाए। (संख्या 57)

पृष्ठ 8, पंक्ति 13,— "with" ["के साथ"] के स्थान पर "in" ["में"] प्रतिस्थापित किया जाए। (संख्या 58)

पृष्ठ 8,—

(क) पंक्ति 17, उपधारा (2) के बाद, "a" ["ए"] अन्तःस्थापित किया जाए।

(ख) पंक्ति 19 के बाद, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए,—"Five per cent" ["पांच प्रतिशत") शब्दों के स्थान पर "Twelve percent" ["बारह प्रतिशत"] शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ;

(iia) in sub-section (3), for the words, brackets and figure "So long as the company may become liable to repay it under sub-section (2)", the words, brackets and figure "until the permission has been granted, or where an appeal has been preferred against the refusal to grant such permission, until the disposal of the appeal, and the money standing in such separate account shall, where the permission has not been applied for as aforesaid or has not been granted, be repaid within the time and in the manner specified in sub-section (2)" shall be substituted;

(iib) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(3A) Moneys standing to the credit of the separate bank account referred to in sub-section (3) shall not be utilised for any purpose other than the following purposes, namely :—

(a) adjustment against allotment of shares, where the shares have been permitted to be dealt in on the stock exchange or each stock exchange specified in the prospectus; or

(b) repayment of moneys received from applicants in pursuance of the prospectus, where shares have not been permitted to be dealt in on the stock exchange or each stock exchange specified in the prospectus, as the case may be, or, where the company is for any other reason unable to make the allotment of share."

[(2क) उपधारा (3) में, जब तक रखी जाएगी जब तक कम्पनी पर उसे वापस लौटा देने का दायित्व उपधारा (2) के अधीन न आ जाए शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "तब तक रखी जाएगी जब तक अनुज्ञा न दे दी गयी हो या जहां ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार के खिलाफ अपील की गई है वहां जब तक अपील का निपटारा न हो गया हो तथा ऐसे पृथक खाते में जमा धनराशि, उस दशा में जब पूर्वोक्त प्रकार से अनुज्ञा के लिए आवेदन नहीं किया गया है या अनुज्ञा नहीं दी गई है, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर और रीति से प्रतिसंदत्त की जाएगी" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(2ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(3क) उपधारा (3) में निर्दिष्ट पृथक बैंक खाते में जमा धनराशियां निम्नलिखित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) शेयरों के आबंटन में समायोजन, जहां शेयरों में स्टाक एक्सचेंज या प्रोस्पैक्टस में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्टाक एक्सचेंज में व्यौहार करने की अनुज्ञा दी गई है ; या

(ख) प्रोसपैक्टस के अनुसरण आवेदकों से प्राप्त धनराशियों का प्रतिसंदाय, जहां शेयरों में स्टाक एक्सचेंज या यथास्थिति प्रोसपैक्टस में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्टाक एक्सचेंज में व्यौहार करने की अनुज्ञा नहीं दी गई है,

या जहां कम्पनी किसी अन्य कारण से शेयरों का आबंटन करने में असमर्थ है।"] (संख्या 59)

(श्री एच० आर० गोखले)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 19 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए** —

'(iia) after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely :—

"(2A) Where permission has been granted by the recognised stock exchange or stock exchanges for dealing in any shares or debentures in such stock exchange or each such stock exchange and the moneys received from applicants for shares or debentures are in excess of the aggregate of the application moneys relating to the shares or debentures in respect of which allotments have been made, the company shall repay the moneys to the extent of such excess forthwith without interest, and if such money is not repaid within eight days, from the day the company becomes liable to pay it, the directors of the company shall be jointly and severally liable to repay the money with interest at the rate of twelve per cent. per annum from the expiry of the said eighth day;

Provided that a director shall not be liable if he proves that the default in the repayment of the money was not due to any misconduct or negligence on his part.

(2B) If default is made in complying with the provisions of sub-section (2A), the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees, and where repayment is not made within six months from the expiry of the eighth day, also with imprisonment for a term which may extend to one year."

['(iiक) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां पर मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज या स्टाक एक्सचेंजों ने ऐसे स्टाक एक्सचेंज में या ऐसे प्रत्येक स्टाक एक्सचेंज में किन्हीं शेयरों में कारबार करने की अनुज्ञा दे दी हो और शेयरों और डिबेन्चरों के लिए आवेदकों से प्राप्त हुई धनराशियां उन शेयरों और डिबेन्चरों से संबंधित, जिनकी बाबत आबंटन किए जा चुके हैं, आवेदन-धन-राशियों के कुल योग से अधिक हों तो, कम्पनी ऐसे आधिक्य की सीमा तक धनराशियां बिना ब्याज तुरंत प्रतिसंदत्त करेंगी, और यदि कम्पनी ऐसी कोई धनराशि संदेय होने के दिन से आठ दिन के भीतर प्रतिसंदत्त नहीं करेगी तो उस कम्पनी के निदेशक संयुक्ततः और पृथकतः वह धनराशि उक्त आठवें दिन के अवसान के पश्चात् से बारह प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज के सहित प्रतिसंदत्त करने के देनदार होंगे :

परन्तु यदि कोई निदेशक यह सिद्ध कर दे कि धनराशि संदत्त करने में जो व्यतिक्रम है वह उसके किसी अवचार या उपेक्षा के कारण नहीं हुआ है तो, वह देनदार नहीं होगा।

(2ख) यदि इस उपधारा (2क) के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाएगा तो, व्यतिक्रम करने वाली कम्पनी और उस कम्पनी का प्रत्येक आफिसर, जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा, और जहां आठवें दिन के अवसान से छह मास के भीतर प्रतिसंदाय नहीं किया जाएगा तो, कारावास से भी जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।"।'] **(संख्या 73)**

श्री एच० आर० गोखले : मैं श्री मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 73 स्वीकार कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये —

'(iia) after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely :—

"(2A) Where permission has been granted by the recognised stock exchange or stock exchanges for dealing in any shares or debentures in such stock exchange or each such stock exchange and the moneys received from applicants for shares or debentures are in excess of the aggregate of the application moneys relating to the shares or debentures in respect of which allotments have been made, the company shall repay the moneys to the extent of such excess forthwith without interest, and if such money is not repaid within eight days, from the day the company becomes liable to pay it, the directors of the company shall be jointly and severally liable to repay the money with interest at the rate of twelve per cent. per annum from the expiry of the said eighth day;

Provided that a director shall not be liable if he proves that the default in the repayment of the money was not due to any misconduct or negligence on his part.

(2B) If default is made in complying with the provisions of sub-section (2A), the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees, and where repayment is not made within six months from the expiry of the eighth day, also with imprisonment for a term which may extend to one year." '

['(iiक) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापति की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां पर मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज या स्टाक एक्सचेंजों ने ऐसे स्टाक एक्सचेंज में या ऐसे प्रत्येक स्टाक एक्सचेंज में किन्हीं शेयरों में कारबार करने की अनुज्ञा दे दी हो और शेयरों और डिबेंचरों के लिए आवेदकों से प्राप्त हुई धनराशियां उन शेयरों और डिबेंचरों से सम्बन्धित, जिनकी बाबत आबंटन किये जा चुके हैं, आवेदन-धनराशियों के कुल योग से अधिक हों तो, कम्पनी ऐसे आधिक्य की

सीमा तक धनराशियां बिना ब्याज तुरंत प्रतिसंदत्त करेंगी, और यदि कम्पनी ऐसी कोई धनराशि संदेय होने के दिन से आठ दिन के भीतर प्रतिसंदत्त नहीं करेगी तो उस कम्पनी के निदेशक संयुक्तत: और प्रथकत: वह धनराशि उक्त आठवें दिन के आवसान के पश्चात से बारह प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज के सहित प्रतिसंदत्त करने के देनदार होंगे :

परन्तु यदि कोई निदेशक यह सिद्ध कर दे कि धनराशि संदत्त करने में जो व्यक्तिक्रम है वह उसके किसी अवचार या उपेक्षा के कारण नहीं हुआ है तो, वह देनदार नहीं होगा।

(2ख) यदि इस उपधारा (2क) के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाएगा तो, व्यतिक्रम करने वाली कम्पनी और उस कम्पनी का प्रत्येक आफिसर, जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा, और जहां आठवें दिन के अवसान से छह मास के भीतर प्रतिसंदाय नहीं किया जाएगा, तो कारावास से भी जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा"।']

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 115 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 115 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 115 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 9

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 43,—

'1973' **के स्थान पर** '1974'

प्रतिस्थापित किया जाये (**संख्या 12**)

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 10

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 9, पंक्ति 7,--

'1973' **के स्थान पर** '1974'

प्रतिस्थापित किया जाये (**संख्या** 13)

Shri Madhu Limaye : I welcome this amendment. Had it been done earlier atleast one corporation would have been saved. Now this National Rayon Corporation has gone in the hands of Kapadias. I want to know whether companies covered under 87(2) will include other companies established before 1956?

श्री एच० आर० गोखले : मैंने स्वयं यह संशोधन प्रस्तुत किया था कि वर्ष 1956 से पहले के अधिमान अंशधारियों और 1956 के बाद के अधिमान अंशधारियों के बीच भेदभाव किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है । अतः अब वे बराबर हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 9, पंक्ति 7,—

"1973" **के स्थान पर** "1974"

प्रतिस्थापित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 11

संशोधित किये गये :

पृष्ठ 9, पंक्ति 29,--

"has converted" ["परिवर्तित किया है"] शब्दों **के स्थान पर** 'proposes to convert' ["परिवर्तित करने का विचार रखती है"] शब्द **प्रतिस्थापित** किये जायें । (संख्या 14) ।

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 40 और 41 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :—

"and also to the company and on receipt of such order, the company shall file in the prescribed form, within thirty days from the date of such receipt, a return to the Registrar with regard to the increase of share capital and the Registrar shall, on receipt of such order and return, carry out the necessary alterations in the memorandum of the company."

["तथा उस कम्पनी को भी भेजेगी और ऐसे आदेश की प्राप्ति पर कम्पनी शेयर पूंजी में वृद्धि की बाबत विहित प्ररूप में एक विवरणी ऐसी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अन्दर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी और रजिस्ट्रार ऐसे आदेश और विवरणी की प्राप्ति पर उस कम्पनी के ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तन करेगा।"] **(संख्या 15)**

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 12

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 10, पंक्ति 37,—

"the Company" ["कम्पनी"] शब्द **के स्थान पर** "The body Corporate or bodies Corporate" ["निगमित निकाय अथवा निगमित निकायों"] शब्द **प्रतिस्थापित** किये जायें।

(संख्या 16)

पृष्ठ 11, पंक्ति 24 और 40,—

"company" ["कम्पनी"] शब्द **के स्थान पर** "body corporate" ["निगमित निकाय"] शब्द **प्रतिस्थापित** किये जायें। **(संख्या 17)**

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 47 और 48 हटा दी जायें **(संख्या 18)**

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 1 से 3 हटा दी जायें **(संख्या 19)** **(श्री एच० आर० गोखले)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैं संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूं।

यह धारा 108 एफ के लिये संशोधन है। इस समय इस खण्ड की स्थिति यह है कि यदि धारा 108-ए या 108-बी अथवा 108 सी के उपबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो पांच वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है और जुर्माना भी किया जा सकता है। मैं कठोर दंड देने के पक्ष में हूं परन्तु मैं

महसूस करता हूं कि 'exercises' (प्रयोग कर्ता है) शब्द के बाद 'knowingly or wilfully' (जानते हुए और जानबूझकर) शब्द जोड़ दिये जाने चाहिये।

श्री एच० आर० गोखले : यह उसमें निहित है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि स्पष्ट कर दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री एच० आर० गोखले : यह अनावश्यक है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि मंत्री महोदय महसूस करते हैं कि यह पहले से ही निहित है तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या 52, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 52 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 13

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 27,—

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये **(संख्या 20)**

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 14, was added to the Bill.

खण्ड 15

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 13, पंक्ति 35,—

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये। **(संख्या 21)**

पृष्ठ 14, पंक्ति 4,—

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये **(संख्या 22)**

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17

संशोधित किया गया

पृष्ठ 15, पंक्ति 16 और 26,—

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये **(संख्या 23)**

(श्री एच० आर० गोखले)

श्री आर० बी० बड़े : मैं संशोधन संख्या 110 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 110 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 110 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 18

संशोधित किया गया :

पृष्ठ 16, पंक्ति 24,—

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये **(संख्या 24)**

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 19

संशोधित किये गये :

पृष्ठ 16, पंक्ति 31,—

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये। **(संख्या 25)**

पृष्ठ 17, पंक्ति 1,—

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये **(संख्या 26)**

(श्री एच० आर० गोखले)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं संशोधन संख्या 116 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 116 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 116 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 20 was added to the Bill.

खण्ड 21

प्रो० मधु दण्डवते : मैं संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन में लेखापरीक्षा की दोहरी प्रणाली आरम्भ करने की मांग की गयी है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 53 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 53 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 21, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 21 was added to Bill.

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 22 was added to the Bill.

खण्ड 23

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 20, पंक्ति 9 और 10—

"in sub-sections (1B) and (1C)" ["उपधारा (1ख) और (1ग)"] **के स्थान पर** "in sub-section (1B)" ["उपधारा (1ख) में"] **प्रतिस्थापित किया जाये :** **(संख्या 27)**

पृष्ठ 20, पंक्ति 11,—

"Sub-section (1A)" ["उप-धारा (1क)"] **के स्थान पर** "Sub-section (1) and (1A)" ["उपधारा (1) और (1क)"] **प्रतिस्थापित** किया जाये (**संख्या 28**)

पृष्ठ 20, पंक्ति 16 और 32,—

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये। (**संख्या 29**)

पृष्ठ 20, पंक्ति 17,—

"Company" ["कम्पनी"] शब्द के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तः स्थापित** किया जाय।
"or its Board of Directors" ["अथवा उसके निदेशक बोर्ड"] (**संख्या 30**)

पृष्ठ 20, पंक्ति 19,—

"as auditor of more than" ["से अधिक संपरीक्षक के रूप में"] शब्दों **के स्थान पर** निम्नलिखित शब्द **प्रतिस्थापित** किये जायें—

"as auditor of the specified number of companies or more than" ["विनिर्दिष्ट संख्या में कम्पनियों के संपरीक्षक के रूप में या उस से अधिक"] (**संख्या 31**)

पृष्ठ 20,—

पंक्ति 28 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"Provided also that where any partner of a firm of auditors is also holding office, in his individual capacity, as the auditor of one or more companies, the number of companies which may be taken into account in his case shall not exceed the specified number, in the aggregate."

["परन्तु यह भी कि जहां संपरीक्षकों को फर्म का कोई भागीदार एक या अधिक कम्पनियों के संपरीक्षक के रूप में भी अपनी वैयक्तिक हैसीयत में पद धारण करता है वहां उसके मामले में गणना में ली जाने वाली कम्पनियों की संख्या कुल मिलाकर विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी"।] (**संख्या 32**)

(**श्री एच० आर० गोखले**)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाये।

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 24 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 24 was added to the Bill.

खण्ड 25

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या 117 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधत संख्या 117 के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 117 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 25 was added to the Bill.

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 26 was added to the Bill.

खण्ड 27

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 24, पंक्ति 26,--

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये (**संख्या 33**)

(**श्री एच० आर० गोखले**)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 27, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 28, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 28 was added to the Bill.

खण्ड 29

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 26, पंक्ति 8,--

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये। (**संख्या 34**)

(**श्री एच० आर० गोखले**)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 26, पंक्ति 19 से 29 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :--

"(2B) If, after the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1974, any office or place of profit is held, without the prior consent of the company by a special resolution and the approval of the Central Government, the partner,

relative, firm or private company appointed to such office or place of profit shall be liable to refund to the company any remuneration received or the monetary equivalent of any perquisite or advantage enjoyed by him on and from the date on which the office was so held by him.

(2C) If any office or place of profit is held in contravention of the provisions of the proviso to sub-section (1B), the director, partner, relative, firm, private company or manager concerned shall be deemed to have vacated his or its office as such on and from the expiry, of six months from the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1974, or the date next following the date of the general meeting of the company referred to in the said proviso, whichever is earlier, and shall be liable to refund to the company any remuneration received or the monetary equivalent of any perquisite or advantage enjoyed by him or it for the period immediately preceding the date aforesaid in respect of such office or place of profit.

(2D) The company shall not waive the recovery of any sum refundable to it under sub-section (2B) or (2C), as the case may be, unless permitted to do so by the Central Government."

["2ख) यदि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाभ का पद या स्थान विशेष संकल्प द्वारा कम्पनी की पूर्व सम्मति और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना धृत हो तो ऐसे लाभ के पद या स्थान पर नियुक्त भागीदार, नातेदार, फर्म या प्राइवेट कम्पनी उस तारीख से जिसको उसके द्वारा पद ऐसे धारित किया गया था उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक या उपभोग की गई किसी परिलब्धि या प्रसुविधा का आर्थिक समतुल्य कम्पनी को प्रतिदत्त करने की दायी होगी ।

(2ग) यदि कोई लाभ का पद या स्थान उपधारा (1ख) के परन्तुक के उपबंधों के उल्लंघन में धृत हो तो संबंधित निदेशक, भागीदार, नातेदार, फर्म प्राइवेट कम्पनी या प्रबन्धक की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ से छह मास की समाप्ति से या उक्त परन्तुक में निर्दिष्ट कम्पनी के साधारण अधिवेशन की तारीख के ठीक बाद की तारीख से, इनमें से जो भी पहले हो उस तारीख से, उस रूप में अपना पद रिक्त कर दिया है और वह पूर्वोक्त तारीख से पूर्वगामी अवधि के लिए ऐसे लाभ के पद या स्थान के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक या उपभोग की गई किसी परिलब्धि या प्रसुविधा का आर्थिक समतुल्य कम्पनी को प्रतिदत्त करने का दायी होगा ।

(2घ) कम्पनी यथास्थिति उपधारा (2ख) या (2ग) के अधीन उसे प्रतिदेय किसी राशि की वसूली का अधित्यजन नहीं करेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वैसा करने के लिए अनुज्ञा न दी गई हो ।"] **(संख्या 35)**

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 30

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 27, पंक्ति 2,—

"1973" के स्थान पर "1974" प्रतिस्थापित किया जाये। (36)

(श्री एच० आर० गोखले

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted.

खण्ड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 30, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 31

प्रो० मधु दंडवते (राजपुरा) : मैं संशोधन संख्या 54 और 55 प्रस्तुत करता हूं। मैं मूल अधिनियम के उस भाग में संशोधन करना चाहता हूं जहां निदेशक बोर्ड और प्रबन्ध बोर्ड के गठन के बारे में उल्लेख है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन संशोधनों को स्वीकार कर ले, क्योंकि इसकी भावना को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है।

श्री एच० आर० गोखले : मैं इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जनहित (पब्लिक इंटेरेस्ट) एक व्यापक पद है और कर्मचारी और उपभोक्ता दोनों ही इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कर्मचारियों के हित के लिए या श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिए जाने के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है।

सभापति महोदय : अब मैं ये संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : हम इन पर मत विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 54 मतदान के लिए रखा गया।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 13	विपक्ष में 55
Ayes	Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 55 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 55 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 31 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 31 was added to the Bill.

खण्ड 32

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 32 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 32 was added to the Bill.

खण्ड 33

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 28, पंक्ति 12,—

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये । [37]

पृष्ठ 28, क्ति 18,—

"Section 209 A"

(धारा 209क) **के स्थान पर**

"Sections 209", 209A, 233A and 233B"

धारा 209, 209क 233 क और 233(ख) **प्रतिस्थापित** किया जाये । [38]

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 33, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 34 से 37 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 34 to 37 were added to the Bill.

खण्ड 38

प्रो० मधु दण्डवते : मैं संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करता हूं । यह एक अच्छी और जनतांत्रिक परम्परा होगी कि सभी अनुमोदनों को सरकारी राजपत्र या कम्पनी ला बुलेटिन में प्रकाशित किया जाये ।

श्री एच० आर० गोखले : चूंकि इनका प्रकाशन कम्पनी न्यूज एण्ड नोटिस में होता है इस लिये उन्ह राजपत्र में प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 56 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 56 was put and Negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 38 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 38 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 38 was added to the Bill.

खंण्ड 39 से 42 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 39 to 42 were added to the Bill.

खण्ड 43

श्री आर० बी० बड़े :(खारगोन) : मैं संशोधन संख्या 113 और 114 प्रस्तुत करता हूं।

I request the Minister to accept these amendments as the explanation given in the Bill will be harmful for the public.

श्री एच० आर० गोखले : मुझे ये संशोधन स्वीकार्य नहीं हैं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 113 और 114 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 113 and 114 were put and negatived.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 118 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 118 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 118 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 43 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 43 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 43 was added to the Bill.

खण्ड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये। [2]

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया । :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1'—'Twenty fourth' (24वें) **के स्थान पर** 'Twenty fifth' (25वां) ।

प्रतिस्थापित किया जाये

[**श्री एच० आर० गोखले**]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting formula as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, the companies owned by big capitalists and foreign companies have been looting the whole country for a number of years and the policy of Government which is supporting the formation of capitalistic form of society, has been favouring them. These companies have been exploiting the people of the country. That is why I say that such companies should be soon nationalised. If you will not do it, the economy of the country will go on suffering and it cannot yield benefits for the people at large. If Government have no courage to nationalize the foreign firms, at least a ban can be put on repatriation of dividends abroad. If you are not prepared to do even this, I would like to know the reasons therefor. Secondly, I want to lay stress on the fact that no licence or financial assistance should be given to bogus companies or the companies which do not exist physically and stern action should be taken against those who are responsible for creating such bogus companies. One thing more I would like to say in this connection, that more licences should be issued for the economically backward states so as to ensure the balanced development of the conntry.

Shri Madhu Limaye : Sir, I wanted to speak on clause 30 of the Bill but it was passed in such a hurry that I could not get a chance to express my opinion thereon. I do not agree with the first part of clause 30 but I fully agree with its latter part. In addition, to it I want to say that Government should have paid attention. to a member of good suggestions and opinions contained in Shri Palkhiwala's evidence. The main act was passed in 1956 and since then the same has been amended many times. But it appears to me that the amendments had no major effect on company sector. The reason for it is that the policy and procedure followed by Government in this respect has not undergone any change so far and unless it happens, no purpose will be served or no improvement will be brought about by mere legislative changes. So, it is my suggestion that efforts should be made to eradicate the evils prevalent in the company sector.

श्री एच० आर० गोखले : मेरे विचार से उस समय यह उचित नहीं है कि मैं श्री पालखीवाला द्वारा संयुक्त समिति को दिये गये साक्ष्य का यहां उल्लेख करूं। हां, यह मैं आवश्यक मानता हूं कि कोई व्यक्ति एक से अधिक कम्पनियों के सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। इंगलैन्ड में पूर्णकालिक सेक्रेटरी रखने की परम्परा नहीं है। परन्तु हमारे यहां कम्पनी अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कम्पनी के प्रशासन की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसके लिए एक पूर्णकालिक सेक्रेटरी की आवश्यकता होती है। मैं श्री पालखीवाला के इस मत से सहमत नहीं हूं कि इससे उत्पादन लागत में वृद्धि होगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 6 अगस्त, 1974/15 श्रावण, 1896 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 6, 1974/Sravana 15, 1896 (Saka).

M369 LSS/74—490—5-12-74/GIPF.